इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ

BCOC-135
कम्पनी विधि

खंड

3

शेयर पूंजी और सदस्यता

इकाई 9
शेयर तथा ऋण पूंजी 169

इकाई 10
शेयरों का निर्गमन और आबंटन 193

इकाई 11
शेयरों का हस्तांतरण और पारेषण 227

इकाई 12
कम्पनी की सदस्यता 249

खंड 3 शेयर पूंजी और सदस्यता

खंड 1 और 2 में आपने कंपनी के प्रवर्तन और गठन की प्रक्रिया तथा संबधित प्रमुख प्रलेखों की प्रकृति और महत्व के संबंध में अध्ययन किया। कंपनी के निगमित हो जाने के पश्चात् प्रवर्तकों को इस संबंध में जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना होता है वह है शेयरों और डिबेंचरों को जारी करके कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी की राशि जुटाना। इस खंड में आप उन विभिन्न प्रकार के शेयरों और डिबेंचरों के संबंध में पढेंगें जिन्हें कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है। साथ ही आप शेयरों, और डिबेंचरों को जारी करने के संबंध में उन कार्यविधियों का भी अध्ययन करेंगे जिनका पालन करना आवश्यक होता है। साथ ही आप शेयरों और डिबेंचरों को जारी करने के संबंध में उन कार्यविधियों का जिनका पालन करना आवश्यक होता है तथा शेयरों के हस्तांतरण, पारेषण, निर्गमन और आंबटन के नियम तथा सदस्यता सम्बंधित नियमों का भी अध्ययन करेंगे।

इकाई 9 में उन विभिन्न प्रकारों के शेयरों और डिबेंचरों का विवेचन किया गया है जिन्हें कोई कंपनी जारी कर सकती है। इसमें जमा तथा ऋण का अर्थ, डिबेंचर और जमा में अंतर तथा सार्वजनिक जमा से सबंधित नियमों की तथा ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद की भी चर्चा की गयी है।

इकाई 10 में शेयरों के निर्गमन और आबंटन की चर्चा की गयी है और इसमें शेयरों के सार्वजनिक निर्गमन, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, दूसरा सार्वजनिक प्रस्ताव, की भी चर्चा की गयी है और शेयर प्रमाणपत्र, शेयरों की मांग, शेयरों की जब्ती और शेयरों के अभ्यर्पण संबंधी नियमों का विवेचन किया गया है।

इकाई 11 शेयरों के हस्तांतरण तथा पारेषण के विषय में है। इसमें हस्तांतरण, कोरा हस्तांतरण, डिपाजिटरी विधि में शेयर हस्तांतरण तथा नामाकंन का वर्णन किया गया है। इसमें हस्तांतरण तथा पारेषण में अन्तर तथा मृत्यु और दिवालियापन में पारेषण की भी व्याख्या की गई है। इसमें इनसाडर ट्रेड़िंग तथा व्हिसल ब्लोंइंग की भी चर्चा की गयी है।

इकाई 12 किसी कंपनी की सदस्यता संबंधी नियमों का विवेचन किया गया है। इसमें बताया गया है कि शेयरधारी और सदस्य के बीच क्या अंतर होते हैं, सदस्य कैसे बना जा सकता है, सदस्यता की समाप्ति और सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व तथा सदस्यों के रजिस्टर को रखने के संबंध में किन–किन नियमों का पालन करना होता है।

इकाई 9 शेयर तथा ऋण पूंजी (Share and Loan Capital)

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 शेयर पूंजी का अर्थ एवं उसके प्रकार

9.3 शेयर का अर्थ एवं उसके प्रकार

- 9.3.1 शेयर का अर्थ
- 9.3.2 शेयर की प्रकृति
- 9.3.3 शेयरों के प्रकार

9.4 स्टॉक का अर्थ

9.5 डिबेन्चर का अर्थ एवं उसके प्रकार

- 9.5.1 अर्थ और परिभाषा
- 9.5.2 डिबेन्चर के मुख्य लक्षण
- 9.5.2 डिबेन्चरों के प्रकार

9.6 शेयर तथा डिबेन्चर में अन्तर

9.7 सार्वजनिक जमा

- 9.7.1 जमा का अर्थ
- 9.7.2 जमा और ऋण
- 9.7.3 जमा और डिबेन्चर

9.8 ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद

9.9 सारांश

9.10 शब्दावली

9.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.12 स्वपरख प्रश्न

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगें किः

- शेयर का अर्थ तथा उसके प्रकार को स्पष्ट कर सकें;
- पूंजी के प्रकार का वर्णन कर सकें;
- शेयर तथा स्टॉक में अन्तर स्पष्ट कर सकें;
- डिबेन्चर का अर्थ जान सकें और वर्गीकरण कर सकें;
- शेयर तथा डिबेन्चर में अन्तर स्पष्ट कर सकें;
- 'जमा' तथा 'ऋण' शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर सकें;
- कम्पनियों द्वारा 'जमा' स्वीकार करने से सम्बन्धित नियमों को सूचीबद्ध कर सकें; और
- ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद का वर्णन कर सकें।

9.1 प्रस्तावना

आप पढ़ चुके है कि सार्वजनिक कम्पनी शेयर तथा डिबेन्चर जारी करके तथा जनता से 'जमा' के रूप में धन स्वीकार करके आवश्यक धन एकत्रित करती है। इस इकाई में आप शेयर पूंजी का अर्थ, जारी किए जाने वाले शेयरों के प्रकार तथा डिबेन्चरों का अर्थ एवं प्रकार ऋण का अर्थ जमा और ऋण में अन्तर और जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करने से सम्बन्धित नियमों का तथा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद के बारे में अध्ययन करेंगे।

9.2 शेयर पूंजी का अर्थ एवं उसके प्रकार

आप जानते है कि किसी भी व्यापार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसे सामान्यतः पूंजी कहते हैं। कम्पनी की स्थिति में, बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तब शेयर जारी करके यह राशि एकत्रित की जाती है। इस प्रकार जो धनराशि एकत्रित की जाती है, उसे कम्पनी की 'शेयर पूंजी' कहते हैं।

शेयर पूंजी द्वारा सीमित कम्पनी को अपने सीमानियम में शेयर पूंजी का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सीमानियम में शेयर पूंजी का कम्पनी, जो अपने जीवन काल में एकत्र करती है जब तक इस की वृद्धि ना की जाए, उल्लेख करती है। सीमानियम के पूंजी खंड में पूंजी की राशि को अधिकृत पूंजी या अभिहित पूंजी कहते हैं। इस राशि का निश्चित रकम वाले शेयरों में विभाजन का भी उल्लेख किया जाता है, उदाहरण के लिए, कम्पनी की अधिकृत पूंजी दस–दस रुपयों के शेयरों में बटी हुई हो सकती है। शेयरों में धन लगाने वाले व्यक्ति को 'शेयरधारी' कहते है। **यहां यह स्मरण रहे कि डिबेन्चर जारी करके जो धनराशि एकत्रित की जाती है, वह कम्पनी की शेयर पूंजी का भाग नहीं होती है बल्कि वह कम्पनी का लम्बी अवधि का ऋण होती है।**

शेयरों की राशि एकत्रित करने के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी की शेयर पूंजी का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1) **अभिहित या अधिकृत पूंजी (Nominal or Aurthorised Capital): इससे तात्पर्य उस राशि से है जो कम्पनी के सीमानियम में पूंजी वाक्य में लिखी होती है तथा इस राशि से ही कम्पनी का पंजीकरण किया जाता है।** यह कम्पनी की वह अधिकतम पूंजी होती है जो वह शेयर जारी करके एकत्रित कर सकती है। इसे कम्पनी की 'पंजीकृत पूंजी' भी कहते हैं क्योंकि इसी राशि से कम्पनी का पंजीकरण कराया जाता है। यह राशि निश्चित रकम वाले शेयरों में विभाजित होती है। अधिकृत पूंजी की राशि को निर्धारित विधि का पालन करके बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2) **निर्गमित पूंजी (Issued Capital)** : यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे खरीदने के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है। कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सारी अधिकृत पूंजी आरम्भ में ही एक साथ जारी कर दे। निर्गमित पूंजी से वास्तव में आशय उस पूंजी से है जिसके लिए शेयर जारी या आबंटित किए जाते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे अभी जनता के समक्ष नहीं रखा जाता है, उसे 'अनिर्गमित पूंजी (Unissused Capital) कहते हैं।

3) **अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital)** : निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से वास्तव में आवेदन किया है वह अभिदत्त पूंजी कहलाती है।

अन्य शब्दों में यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उन्हें ये शेयर आबंटित किए जा चुके हैं। अतः अभिदत्त पूंजी की राशि किसी भी स्थिति में निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि कम्पनी को जितने शेयर जारी करने है, वह उससे अधिक शेयर आबंटित ही नहीं कर सकती। जब कम्पनी को जितने शेयर निर्गमित करने थे, वह सब जनता ने ले लिए है, तब निर्गमित पूंजी एवं अभिदत्त पूंजी की रकम एक समान होती है।

4) **मांग की गई पूंजी या याचित पूंजी (Called up Capital)** : यह निर्गमित पूंजी के अंकित मूल्य का वह भाग है जिसके लिए कम्पनी के सदस्यों से मांग की है। सामान्यतः कम्पनी आबंटित शेयरों पर पूर्ण राशि की एक साथ ही मांग नहीं करती। बल्कि शेयरों पर राशि विभिन्न किश्तों में मांगी जाती है जैसे कि आवेदन राशि, आबंटन राशि, प्रथम मांग, द्वितीय मांग, आदि आदि। कम्पनी जितनी किश्त की मांग करती है, उस राशि को मांग की गई या याचित पूंजी कहते हैं तथा जिस राशि की मांग कम्पनी ने अभी नहीं की है उसे 'अयाचित पूंजी' कहते हैं, तथा शेयरधारी इस राशि को अदा करने के लिए बराबर उत्तरदायी रहते हैं।

5) **प्रदत्त पूंजी (Paid up Capital)**: यह मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो शेयरधारियों से वास्तव में प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, एक कम्पनी ने शेयरधारियों से 5 लाख रुपये की मांग की, परन्तु उसे वास्तव में 4,90,000 रुपये प्राप्त हुए, इस स्थिति में 4,90,000 रुपयें प्रदत्त पूंजी कहलाती है। आबंटन तथा मांग की वह राशि जिसकी प्राप्ति कम्पनी को अभी नहीं हुई है वह मांग की बकाया राशि कहलाती है। उपर्युक्त उदाहरण में 10,000 रुपये मांग की बकाया राशि है। यदि कोई भी बकाया राशि नहीं है, उस स्थिति में प्रदत्त पूंजी तथा याचित पूंजी की राशि एकदम बराबर होगी।

9.3 शेयर का अर्थ एवं उसके प्रकार

9.3.1 शेयर का अर्थ

कम्पनी की पूंजी एक निश्चित राशि की विभिन्न इकाइयों में विभाजित होती है। इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को 'शेयर' कहते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 2(84) में शेयर की परिभाषा इस प्रकार से की गई है, 'शेयर का अर्थ कम्पनी की शेयर पूंजी में हिस्से से है इसमें स्टॉक भी शामिल है।

Commissioner of Income-Tax vs. Standard Vacuum Oil Company (1966) के केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शेयर की परिभाषा इस प्रकार की है "कम्पनी के शेयर का अर्थ एक धन–राशि न होकर, ऐसे हित से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है तथा अन्तर्नियमों द्वारा विभिन्न अधिकार शेयरधारियों को दिए जाते हैं जिसके अनुसार शेयरधारी व कम्पनी में एक अनुबन्ध होता है।"

एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेयर की परिभाषा इस प्रकार दी है "कम्पनी के लाभों में साझे का अधिकार, जब कम्पनी चल रही हो और लाभांश घोषित किया हो, और कम्पनी का समापन होने पर परिसम्पत्तियों में अधिकारÞ **(Bucha F. Guzdar vs. Comissioner of Income Tax, Bombay)** ।

संक्षिप्त में 'शेयर' का अर्थ केवल कम्पनी में शेयरधारी का हित ही न होकर कुछ अधिकारों और दायित्वों से है जब कम्पनी चालू है या जब कम्पनी का समापन किया जाए। यह अधिकारों और दायित्वों का पुलिंदा है।

9.3.2 शेयर की प्रकृति

एक शेयर, केवल मुद्रा का जोड़ ही नहीं है बल्कि कम्पनी के शेयरधारी का हित है जो पहले दायित्व एवं लाभांश तथा इसके बाद शेयरधारियों के हित की दृष्टि से मुद्रा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस के साथ–साथ इस में ऐसे अनेक अनुबन्ध भी होते हैं जो शेयरधारियों द्वारा परस्पर किये जाते हैं **(Borland's Trustees vs. Steel Blos & Co. Ltd (1901))।**

शेयर एक दावा योग्य सम्पत्ति है। इस का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसको दावा करने का अधिकार है परन्तु उसके भौतिक अधिकार से विभिन्न, और जब तक शेयर जारी नहीं होता ऐसे किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता।

भारत में शेयर एक 'माल' (goods) है। धारा 2(7) भारतीय माल बिक्री अधिनियम 1930 में 'माल' की परिभाषा दी गई है "कोई चल सम्पत्ति सिवाए दावा योग्य सम्पत्ति और मुद्रा के, इस में स्टॉक और शेयर शामिल हैं। धारा 44 कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार शेयर को चल सम्पति माना गया है जिसे किसी कम्पनी के अन्तर्नियम द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है।

Vishwanathan vs. East India Distilleries (1957) में यह कहा गया "एक शेयर निःसन्देह चल संम्पत्ति है परन्तु चल सम्पत्ति इस की प्रकार है जैसे कपड़े की गांठ या गेहूं की बोरी। ऐसी वस्तुऐं कानून द्वारा बनाई नहीं जातीं परन्तु कम्पनी में शेयर एक अलग प्रकार के वर्ग में सम्पत्ति है। इस की प्रकृति देहरहित है यह केवल कुछ अधिकारों और दायित्वों का बंडल है"।

Shree Gopal Paper Mills Ltd vs. CIT (1967) में न्यायाधीश ने कहा कि "जब शेयर किसी सदस्य से जुड़ जाता है तो चल सम्पत्ति बन जाता है। यह चल सम्पत्ति ऐसी नहीं है जिस पर इस के हस्तांतरण पर केवल माल बिक्री अधिनियम ही लागू होता है। परन्तु इस के हस्तांतरण पर कम्पनी अधिनियम और/या कम्पनी के अन्तर्नियम भी लागू होते हैं..... प्रत्येक शेयर का अलग विशेष नम्बर होता है। यह कोई मूर्त (tangible) सम्पत्ति नहीं होता क्योंकि यह शेयर प्रमाण पत्र नहीं होता यह कुछ अधिकारों और दायित्वों का बन्डल होता है। और शेयर विनिमय साध्य प्रलेख (negotiable instrument) भी नहीं होता"।

9.3.3 शेयरों के प्रकार

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी केवल दो प्रकार के शेयर जारी कर सकती है। धारा 43 के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित सार्वजनिक कम्पनी की शेयर पूंजी दो प्रकार की हो सकती है:

(क) इक्विटी (साधारण) शेयर पूंजी तथा, (ख) पूर्वाधिकार (अधिमानी) शेयर पूंजी

(क) **इक्विटी (साधारण) शेयर**

i) मताधिकारों सहित या

ii) ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाए, लाभांश, मतदान के बारे में अन्यथा विशेष अधिकारो के सहित; और

(ख) पूर्वाधिकार (अधिमानी) शेयर

(क) **इक्विटी शेयर (धारा 43)**

इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जो पूर्वाधिकार शेयर नहीं होते। दूसरे शब्दों में वे शेयर

जिन्हे लाभांश का भुगतान या पूंजी अधिशेष में पूर्वोक्त पूर्वाधिकार अधिकार नहीं होता उन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं।

पूर्वाधिकार (अधिमानी) शेयरों के अधिकारों को पूरा करने के बाद, साधारण शेयरों को बाकी धन का, जो निवल (शुद्ध) लाभों के बाद बचा है उसे साधारण शेयरों में विभाजित किया जायेगा। साधारण शेयरों पर लाभांश निर्धारित नहीं होता और हर वर्ष भिन्न हो सकता है क्योंकि यह उपलब्ध लाभों पर निर्भर होता है। लाभांश की दर कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं और वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारी उस की घोषणा करते हैं।

प्रत्येक सदस्य को शेयर द्वारा सीमित कम्पनी में, जो उस में साधारण शेयर पूंजी धारित करता है,

क) कम्पनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार होगा; और

ख) मतदान में उस का मताधिकार कम्पनी की प्रदत्त साधारण शेयर पूंजी में उस की हिस्सेदारी के अनुपात में होगा।

इसकी तुलना में पूर्वाधिकार शेयरधारी, केवल उन प्रस्तावों पर मतदान कर सकता है जो उस के अधिकार उस प्रकार के शेयरों को प्राप्त हैं और कम्पनी समापन के लिए, या अदायगी या कम्पनी के साधारण या पूर्वाधिकार शेयर पूंजी कम करने वाले प्रस्तावों पर। परंतु जहां पूर्वाधिकार शेयरों के किसी वर्ग के सबंध में लाभांश दो वर्ष या अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया गया है, वहां ऐसे पूर्वाधिकार शेयरधारकों के ऐसे वर्ग को कम्पनी के समक्ष रखे गए सभी प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार होगा (धारा 47)।

पूर्वाधिकार शेयरधारकों को मतदान का अधिकार कम्पनी की प्रदत्त पूर्वाधिकार शेयर पूंजी में उस के शेयरों के अनुपात में होगा।

साधारण शेयरों के लाभांश, मतदान या अन्यथा के विशेष (अधिमानी) अधिकारों सहित निर्गमन सम्बंधी नियम

कम्पनी कार्य विभाग ने विशेष अधिकारों वाले शेयरों के निर्गमन सम्बंधी Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में नियम नः 4 के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी को साधारण शेयर लाभांश या मतदान सम्बंधी विशेष (अधिमानी) अधिकार देकर निर्गमन का अधिकार नहीं होगा, जब तक वे अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीः–

(क) कम्पनी अन्तर्नियमों द्वारा विशेष (differentiate) अधिकारों वाले शेयरों का निर्गमन अधिकृत किया गया है।

(ख) शेयर धारकों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित किया हो जो ऐसे शेयरों के निगर्मन को प्रधिकृत करता हो। परंतु यह भी कि जब कम्पनी के साधारण शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों तो शेयरधारियों ने डाक मत पत्र द्वारा इस का अनुमोदन प्रदान किया हो।

(ग) विशिष्ट अधिकारों सहित शेयर; किसी भी समय पर पूर्व जारी कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के जारी किए गए विशिष्ट अधिकारों सहित इक्विटी शेयरों सहित 26% से अधिक नहीं होंगे।

(घ) कंम्पनी का पिछले तीन वर्षों से वितरणीय लाभ का सतत ट्रेक रिकार्ड रहा हो।

(ड़) कम्पनी ने उस वित्त वर्ष से ठीक पूर्व जिस में इस ने ऐसे शेयर जारी करने का निश्चय किया है, विगत तीन वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों और वार्षिक विवरणी फाइल करने में कोई चूक नहीं की हो।

(च) कम्पनी अपने शेयरधारकों को घोषित लाभांश के भुगतान करने या अपनी ऐसी जमाओं के प्रति अदायगी अथवा अपने पूर्वाधिकार शेयर अथवा डिबेंचरों के मोचन जो मोचन के लिए देय हो गये हैं या ऐसी जमाओं पर ब्याज भुगतान अथवा लाभांश के भुगतान के लिए देय हो गए हो, के भुगतान में लगातार चूक न करती रही हो।

(छ) कम्पनी ने पूर्वाधिकार शेयरों पर लाभांश के भुगतान में चूक न की हो या सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था या अधिसूचित बैंक से किसी अवधि ऋण जो पुनः भुगतान के लिए देय हो गया हो, या ब्याज देय हो या अपने कर्मचारियों से संबधित कानूनी भुगतानों के संबंध में किसी प्राधिकरण को देय ब्याज का भुगतान करने अथवा केंद्रीय सरकार के विनिधानर्कता शिक्षा और संरक्षण निधि में राशि जमा कराने में चूक न की हो।

कम्पनी ने जिस वित्तीय वर्ष में चूक की पूर्ति की थी उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्ष की समाप्ति पर विशेष मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर जारी कर सकती है। (MCA notification GSR, 704(E) dated 17.7.2016)

(ज) विगत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी को भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1934, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनिमय 1992, प्रतिभूति विनियमन अधिनियम 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 अथवा अन्य किसी विशिष्ट अधिनियम जिन के अधीन ऐसी कम्पनियों को क्षेत्रीय विनियामकों द्वारा विनियमित किया गया है के अधीन किसी न्यायालय अथवा न्यायधिकरण द्वारा दंडित नहीं किया गया हो।

(ट) कम्पनी मताधिकार सहित अपनी वर्तमान इक्विटी शेयर पूंजी को विशिष्ट मताधिकार वाली इक्विटी शेयर पूंजी में और इसके विपरित (*vice versa*) परिवर्तन नहीं करेगी।

(ख) **पूर्वाधिकार शेयर या पूर्वाधिकार शेयर पूंजी**

पूर्वाधिकार शेयर पूंजी कम्पनी की शेयर पूंजी के उस भाग को कहते हैं जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करती है।

(1) कम्पनी के जीवन काल मे इन को पूर्वाधिकार लाभांश अवश्य मिलेगा। यह पूर्वाधिकार लाभांश एक निश्चित रकम (जैसे एक लाख रुपए) साधारण शेयरधारियों से पहले पूर्वाधिकार शेयर धारियों को मिलेगी या एक निश्चित दर से गणना किया गया पूर्वाधिकार लाभांश जैसे प्रत्येक शेयर के अभिहित मूल्य का 10% ।

2) कम्पनी के समापन के समय, इन शेयरधारियों को अपनी शेयर पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अर्थात पूर्वाधिकार शेयरधारियों द्वारा अदा की गई रकम का भुगतान साधारण शेयरधारियों को भुगतान करने से पहले होगा।

पूर्वाधिकार (अधिमानी) शेयरों के निर्गमन और अधिमोचन सम्बन्धी नियम

कम्पनी (शेयर पूंजी ओर डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 9 की अन्य बातों (*inter alia*) के अनुसारः –

(1) शेयर पूंजी वाली कम्पनी, यदि अपने अन्तर्नियमों द्वारा इस प्रकार अधिकृत की गई है।

(2) ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए कम्पनी की साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर के अधिकृत किया गया है।

(3) कम्पनी ने ऐसे पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन के समय पर या मोचन में या उन पर देय लाभांश के भुगतान में सतत रूप से कोई से कोई त्रुटि नहीं की है।

(4) धारा 88 के अधीन रखे गये सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे पूर्वाधिकार शेयर धारकों के संबंध में विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

(5) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक में अपने पूर्वाधिकार शेयरों को सूचीबद्ध करने का विचार करने वाली कोई कम्पनी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनिमयमों के अनुसार ऐसे शेयरों का निर्गमन करेगी।

(6) कोई कम्पनी अपने पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन केवल ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जिसके अनुसार वह जारी किए गये थे अथवा अधिनियम की धारा 48 के अधीन पूर्वाधिकार शेयरधारकों के समुचित अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तित किए गए थे। पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन किया जा सकता हैः

(क) एक निर्धारित समय पर अथवा कोई विशिष्ट घटना के होने पर;

(ख) कम्पनी के विकल्प पर किसी भी समय; या

(ग) शेयरधारकों के विकल्प पर किसी भी समय।

पूर्वाधिकार शेयरों के प्रकार

क) **अवशिष्ट भागी और गैर अवशिष्ट भागी शेयर (Participating and Non participating)**

अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और साथ ही इन्हें, साधारण शेयरधारियों को एक निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद, बचे हुए लाभ में से भी हिस्सा लेने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए साधारण शेयर धारियों को 20% लाभांश देकर बाकी बचे लाभों में अवशिष्ट भागी शेयरधारियों और साधारण शेयर धारियों में आपस में लाभ बराबर–बराबर बांटा जा सकता। पुनः, समापन के समय यदि पूर्वाधिकर और इक्विटी शेयरधारियों को भुगतान करने के बाद यदि कुछ बचता है तब अवशिष्ट भागी शेयरधारियों को अधिशेष सम्पतियों में अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। गैर अवशिष्ट भागी शेयरधारियों को बाकी लाभ या परिसम्पत्तियों में हिस्सा नहीं मिलता। यदि अन्तर्नियम में कोई प्रावधान नहीं है सभी पूर्वाधिकार शेयर गैर अवशिष्ट भागी माने जाते हैं।

ख) **संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार शेयर (Cumulative and non-Cumulative Shares)**: संचयी या असंचयी पूर्वाधिकार शेयरधारियों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। संचयी शेयरधारक को अधिकार है कि उसे पिछले वर्ष और चालू वर्ष दोनों का लाभांश आगामी वर्षों के लाभ में से मिले। इन शेयरों पर निश्चित देय लाभांश संचित होता रहता है जब तक कि उस का पूर्ण रूप से भुगतान ना किया जाए। असंचयी पूर्वाधिकार शेयर को केवल एक निशचित दर या निश्चित रकम के रूप में प्रत्येक वर्ष के लाभों में से लाभांश मिलता है। यदि किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ तो शेयरधारियों को कुछ नहीं मिलता और ना ही आगामी वर्ष में जो लाभांश नहीं मिला उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता।

पूर्वाधिकार शेयर जब तक स्पष्ट रूप से असंचयी न लिखा हो तब तक संचयी माने जाते हैं। पूर्वाधिकार शेयर पर भी, साधारण शेयरों की तरह, लाभांश केवल लाभों में से ही दिया जाएगा।

ग) **मोचनीय और अमोचनीय पूर्वाधिकार शेयर (Redeemable and Irredeemable Shares)**: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार

(1) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी, पूर्वाधिकार शेयरों का निर्गमन नहीं कर सकती जो अमोचनीय हैं।

(2) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी, यदि उस के अन्तर्नियमों द्वारा इस प्रकार अधिकृत किया जाता है, ऐसे पूर्वाधिकार (अधिमानी) शेयरों का निर्गमन कर सकेगी जो निर्गमन की तारीख से बीस वर्ष की अनाधिक अवधि के भीतर मोचन किए जाने के लिए दायी हैं।

परन्तु कम्पनी ऐसी आधारभूत परियोजनाओं के लिए, बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पूर्वाधिकार शेयरों का निर्गमन कर सकती है, बशर्ते ऐसे शेयरों का मोचन ऐसे प्रतिशत पर जो विहित की जाएं पूर्वाधिकार शेयर धारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाए।

कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेचंर) नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार ऐसी कोई कम्पनी जो आधारभूत परियोजनाओं को स्थापित करने सम्बन्धित काम में शामिल है, बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो की अवधि के लिए पूर्वाधिकार शेयर जारी कर सकेगी बशर्ते कम से कम 10 प्रतिशत मोचन प्रति वर्ष, बीस वर्ष के पश्चात् या पहले अनुपातिक आधार पर पूर्वाधिकार शेयरों के विकल्प पर किया जाए।

3) जहां कम्पनी निर्गमन की शर्तों (terms) के अनुसार किन्हीं पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन करने या इन पर लाभांश देने की स्थिति में नहीं है वहां ऐसे पूर्वाधिकार शेयरों के मूल्य के तीन–चौथाई के धारकों की सहमति से और इस संदर्भ में उस के द्वारा की गई याचिका पर, अधिकरण के अनमोदन से, शोध्य रकम के बराबर जिस के अंतर्गत पूर्वाधिकार शेयरों के संबंध में उन पर लाभांश सहित अतिरिक्त मोचनीय पूर्वाधिकार शेयर निर्गमित कर सकती है और ऐसे अतिरिक्त मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन पर अनुमोचित (unredeemed) पूर्वाधिकार शेयरों को मोचित शेयर समझा जाएगा।

परंतु अधिकरण, अनुमोदन देते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित पूर्वाधिकार शेयरों के तुरन्त मोचन का आदेश देगा जिन्होंने अतिरिक्त मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन में सहमति नहीं दी है।

यह भी ध्यान दें कि अधिनियम धारा 64 के अनुसार कम्पनी को मोचनीय शेयरों का मोचन करने की सूचना रजिस्ट्रार को 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन की शर्तें:

(क) ऐसे शेयरों का मोचन केवल कम्पनी के उन्हीं लाभों से किया जा सकता है जो लाभांश बांटने के लिए उपलब्ध होंगे या मोचन के उद्देश्य से निर्गमित किए गए नये शेयरों पर प्राप्त राशि से इनका मोचन किया जा सकता है।

(ख) ऐसे शेयरों का मोचन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह पूर्वदत नहीं है।

(ख) जहां ऐसे शेयरों का कम्पनी के लाभों में से मोचन किए जाने के लिए प्रस्ताव है वहां शेयरों के मोचन पर देय राशि के बराबर रकम "पूंजी मोचन निधि खाते" (capital acdemption reseve account) में अंतरित की जानी चाहिए।

(ग) "पूंजी मोचन निधि खाते" को कम्पनी के जारी न किए गए शेयरों को कम्पनी द्वारा पूर्णतः प्रदत बोनस शेयरों के रूप में कम्पनी के सदस्यों को जारी करने में उपयोग किया जाना चाहिए।

(घ) शेयर प्रीमियम, यदि है, जो मोचन पर दिया जाना है, ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कम्पनी के लाभों में से उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड) मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन या पूर्वाधिकार शेयरों के मोचन का कम्पनी की शेयर पूंजी में, यथास्थिति वृद्धि या कमी नहीं समझा जाएगा।

जैसा कि पहले नोट किया गया है कंम्पनीज (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार कोई कम्पनी अपने पूर्वाधिकार शेयर धारकों का मोचन ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जिन शर्तों पर उन्हें जारी किया था या धारा 48 के अंतर्गत पूर्वाधिकार शेयरधारियों के अनुमोदन के पश्चात् परिवर्तित किया था।

पूर्वाधिकार शेयरों को मोचन किया जा सकता हैः

(क) एक निर्धारित समय पर अथवा कोई विशिष्ट घटना के होने;

(ख) कम्पनी के विकल्प पर किसी भी समय; या

(ग) शेयरधारकों के विकल्प पर किसी भी समय

साधारण शेयर और पूर्वाधिकार शेयर में अन्तर

(1) पूर्वाधिकार शेयर एक निश्चित रकम या दर पर लाभांश के अधिकारी होते हैं। साधारण शेयरधारियों को, पूर्वाधिकार शेयरधारियों को लाभांश देने के बाद और भविष्य में कम्पनी के विस्तार के लिए रकम छोड़ कर, जो निवल (शुद्ध) लाभ का शेष बचता है उस में से लाभांश मिलता है।

(2) पूर्वाधिकार शेयरों पर लाभांश साधारण शेयरों की तुलना में पूर्वाधिकार के रूप में मिलता हे।

(3) कम्पनी के समापन के समय भी पूर्वाधिकार शेयरों को साधारण शेयरों से पहले शेयर पूंजी वापिस की जाती है।

(4) यदि पूर्वाधिकार शेयर सचंयी है तो किसी वर्ष लाभांश न देने पर ऐसे शेयर पर चालू वर्ष और पिछले वर्ष का लाभांश मिला कर देना होता है और यदि लाभांश शेष रहता है तो जब तक शेष लाभांश नहीं दिया जाएगा तब तक साधारण शेयरों पर कोई लाभांश नहीं मिलेगा।

(5) मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन एक निश्चित अवधि के भीतर होता है परन्तु साधारण शेयरों का मोचन नहीं होता।

(6) पूर्वाधिकार शेयरधारियों का मत अधिकार सीमित होता है। साधारण शेयरधारियों को हर उस विषय पर मत देने का अधिकार है जो कम्पनी से संबंधित है। पूर्वाधिकार शेयरधारी को केवल उन विषयों पर मत देने का अधिकार है जब उसके विशेष अधिकारों में परिवर्तन किया जा रहा हो या

कम्पनी के समापन के लिए किसी प्रस्ताव पर, या कम्पनी की साधारण या पूर्वाधिकार पूंजी में कमी या अदायगी की जाए या जब पूर्वाधिकार शेयरों पर कम से कम दो वर्ष से लाभांश न दिया हो।

(7) एक कम्पनी वर्तमान इक्विटी शेयरधारियों को "अधिकार शेयर (right issue) जारी कर सकती है। परन्तु पूर्वाधिकार शेयरों को ऐसे शेयर जारी नहीं कर सकती (धारा 62)।

श्रम साध्य साधारण शेयर (Sweat Equity Share)

श्रम साध्य शेयर से ऐसे इक्विटी (साधारण) शेयर से तात्पर्य है जो जानकारी देने या बौद्धिक सम्पदा अधिकार या मूल्य परिवर्तन के उपलब्ध कराने के लिए चाहे जिस नाम से उन्हें पुकारा जाए कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकदी के अतिरिक्त किसी और प्रतिफल पर निर्गमित किए जाते हैं (धारा 2(83))।

कम्पनीज़ (शेयर पूंजी और डिबेन्चर) नियम, 2014, के नियम 8 के अनुसार कर्मचारी का अर्थ कम्पनी के स्थायी कर्मचारी से है, जो भारत या विदेश में, कम से कम एक वर्ष से कार्य कर रहा हो और इस में वह कर्मचारी भी शामिल है, नियंत्रित कम्पनी का, भारत या भारत से बाहर या कम्पनी की नियत्रंण कम्पनी का। कम्पनी के निदेशक में पूर्ण कालिक निदेशक और उसके साथ कम्पनी के दूसरे निदेशक और नियत्रंण या नियंत्रित कम्पनी के निदेशक भी शामिल हैं जो भारत या भारत से बाहर हैं।

कोई कम्पनी केवल पहले से निर्गमित शेयरों के वर्ग के श्रमसाध्य शेयरों का निर्गमन कर सकती है। धारा 54 में और बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करनी होंगीः

1) निर्गमन कम्पनी द्वारा परित किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है। विशेष प्रस्ताव के शेयरों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल, यदि कोई है, और निदेशकों या कर्मचारियों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट करना होगा जिन्हें यह इक्विटी शेयर निर्गमित किए जाएंगे। नियम 8 के अनुसार श्रमसाध्य साधारण शेयर का आबंटन अधिकृत करने वाला विशेष प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव पारित करने की तारीख के केवल 12 महीने से अधिक वैध नहीं होगा।

   सूचीबद्ध कम्पनी की स्थिति में श्रमसाध्य साधारण शेयरों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है और यदि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है तो श्रमसाध्य साधारण शेयरों को ऐसे नियमों के अनुसार निर्गमित किया जाता है, जो इस संदर्भ मे निर्धारित किए जाएं।

2) नियम 8 के अनुसार एक कम्पनी वर्तमान साधारण प्रदत्त पूंजी का एक वर्ष में 15% प्रतिशत से अधिक श्रमसाध्य साधारण शेयरों का निगर्मन नहीं करेगी या शेयरों का मूल्य पांच करोड़ मूल्य के निर्गमित शेयर जो भी दोनों मे अधिक हो। किसी भी समय श्रमसाध्य साधारण शेयर साधारण प्रदत्त पूंजी का 25% से अधिक जारी नहीं किया जाना चाहिए।

3) श्रमसाध्य साधारण शेयर जो निदेशकों ओर कर्मचारियों को जारी किये हैं आबंटन की तारीख से तीन वर्ष तक अहस्तांतरणीय/निश्चित अवरूद्धता अवधि (nontransferable/lock in) होगें। प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र पर मोटे अक्षरों में मोहर के द्वारा या किसी प्रचलित तरीके से प्रमाण पत्र की अवरूद्ध अवधि तथा समाप्ति की अवधि लिखी होनी चाहिए।

4) निर्गमित किए जाने वाले श्रम साध्य साधारण शेयरों का पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्य उचित मूल्य के रूप में औचित्य देते हुए मूल्यांकन किया जायेगा।

5) बौद्धिक संपदा अधिकारों का या ज्ञान उपलब्धी या मूल्य परिवर्धन का मूल्य निर्धारण किसी पंजीकृत मूल्यांकक से कराया जाएगा और वह निदेशक बोर्ड को इस बारे में रिपोर्ट देगा और मूल्यांकन का औचित्य बताएगा।

6) ऐसे अधिकार, सीमाएं, और प्रतिबंध जो साधारण शेयरों को लागू होते हैं श्रमसाध्य साधारण शेयरों पर लागू होगें।

9.4 स्टॉक का अर्थ

स्टॉक किसी व्यक्ति की शेयरपूंजी के संकलित जोड़ को कहते हैं। सरल शब्दों में, इससे हमारा आशय कुछ शेयरों को एक बंडल में एक साथ रखने से है। स्टॉक को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है न कि शेयरों की संख्या में। शेयरों के मूल अंकित–मूल्य की परवाह किए बिना ही इसे कितने ही भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्टॉक का मुख्य लाभ यही है कि अब वह व्यक्ति इसके किसी भी भाग को हस्तांतरित कर सकता है।

आपने अधिनियम की धारा 2(84) में पढ़ा है कि शेयर में स्टॉक भी शामिल होते हैं। अतः यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत किया जाए, तब कम्पनी साधारण प्रस्ताव पास करके पूर्ण–दत्त शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है (धारा (61)। इससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कम्पनी आरम्भ में ही स्टॉक निर्गमित नहीं कर सकती। जब शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसा करने के तीस दिन के भीतर इस परिवर्तन की सूचना कम्पनियों के रजिस्ट्रार को अवश्य दे देनी चाहिए। (धारा 64)। शेयर को स्टॉक में बदलने पर, सदस्यों के रजिस्ट्रार में सदस्य के पास कितने शेयर है, इस सूचना के स्थान पर यह लिखा जाना चाहिए कि सदस्य के पास कितनी राशि का स्टॉक है। उदाहरण के लिए, एक सदस्य के पास यदि दस–दस रुपये के एक सौ पूर्ण–दत्त इक्विटी शेयर हैं, तब जब इन्हें स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है, तो वह 1,000 रुपये मूल्य के स्टॉक का स्वामी माना जाता है।

शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित कर देने पर उसके धारक और कम्पनी के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्टॉकधारी अभी भी कम्पनी का सदस्य रहता है। स्टॉकधारी को अपने स्टॉक के मूल्य के अनुरूप लाभांश, कम्पनी की सभाओं में मताधिकार तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में ठीक वैसे ही अधिकार मिलते हैं जैसे कि उन शेयरों के शेयरधारी को होते हैं जिनसे स्टॉक उत्पन्न हुआ है। शेयरों के समान स्टॉक को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। आप यह नोट करें साधारण प्रस्ताव के द्वारा कम्पनी स्टॉक को पुनः पूर्ण–दत्त शेयरों में बदल सकती है।

शेयर तथा स्टॉक में अन्तर

इस इकाई के 9.4 में आप पढ़ चुके है कि स्टॉक में शेयर के सभी विशेष लक्षण विद्यमान होते हैं, परन्तु फिर भी इन दोनो में कई अन्तर हैं। इन दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैंः

शेयर	स्टॉक
1. शेयर का एक अंकित मूल्य होता है।	स्टॉक का अंकित मूल्य नहीं होता।
2. शेयरों का एक पृथक क्रमांक होता है, जो इसे अन्य शेयरों से भिन्न करता है।	स्टॉक का कोई क्रमांक नहीं होता।
3. शेयर आरम्भ से ही निर्गमित किए जा सकते हैं।	स्टॉक को आरम्भ में निर्गमित नहीं किया जा सकता। वह कम्पनी जो विद्यमान है पूर्ण–दत्त शेयरों को स्टॉक में बदल सकती है।
4. शेयर अंशतः प्रदत्त या पूर्ण–दत्त हो सकता है।	यह कभी भी अंशतः प्रदत नहीं हो सकता। स्टॉक सदैव पूर्ण–दत्त होता है।
5. शेयर को पूर्णतः ही हस्तांतरित किया जा सकता है अर्थात् इसे छोटे–छोटे भागों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।	स्टॉक को छोटे–छोटे भागों में हस्तांतरित किया जा सकता है।
6. एक वर्ग के सभी शेयर एक ही मूल्य के होते हैं।	स्टॉक भिन्न–भिन्न राशियों का हो सकता है।

बोध प्रश्न क

1) कम्पनी की "शेयर पूंजी" का क्या अर्थ है ?

.....

.....

.....

.....

2) प्रदत पूंजी और याचित पूंजी में अन्तर बताइये।

. .....

.....

.....

.....

3) निम्नलिखित कथन में कौन सा **सही** और कौन सा कथन **गलत** है।

(i) कम्पनी की अभिदत्त पूंजी

(क) कभी भी निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती।

(ख) कभी भी निर्गमित पूंजी से कम नहीं हो सकती

(ग) सदैव निर्गमित पूंजी के बराबर होती है।

(ii) कम्पनी अपने सारे अथवा कुछ पूर्ण–दत्त शेयरो को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है।

क) एक विशेष प्रस्ताव पारित करके

ख) एक साधारण प्रस्ताव पारित करके

ग) अधिकरण की अनुमति से

4. बताए कि निम्नलिखित कथन **सही** अथवा **गलत** :

i) शेयर तथा स्टॉक आरम्भ में ही सीधे जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं।

ii) केवल सार्वजनिक कम्पनी ही अपने शेयरों को स्टॉक में साधारण प्रस्ताव पारित कर परिवर्तित कर सकती है।

iii) इक्विटी शेयरधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है।

iv) पूर्वाधिकार शेयरधारियों को, सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं होता।

v) कम्पनी अमोचनीय पूर्वाधिकार शेयर निर्गमित नहीं कर सकती।

vi) मोचन के उद्देश्य से निर्गमित नये शेयरों की राशि में से मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन नहीं किया जा सकता।

9.5 डिबेन्चर का अर्थ एवं उसके प्रकार

9.5.1 अर्थ और परिभाषा

जब कम्पनी को अपनी किसी परियोजना या विस्तार और वृद्धि के लिए फंड की आवश्यकता होती हैं तब वह शेयर पूंजी बढ़ाए बिना जनता से उधार लेती है। जनता से धन लेने का सबसे सामान्य तरीका डिबेन्चर जारी करना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(30) के अनुसार डिबेन्चर शब्द की परिभाषा इस प्रकार है "डिबेन्चर के अंतर्गत डिबेन्चर, स्टॉक, बांड या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में किसी कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियां भी हैं चाहे वह कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर कोई प्रभार (charges) निर्मित करती हों या नहीं।"

यदि हम उपरोक्त डिबेन्चर की परिभाषा को देखें तो विनिमय साध्य प्रपत्र, करार विलेख और अन्य दस्तावेज जिसमें कम्पनी कोई धनराशि देने का वचन देती है उसे भी डिबेन्चर माना जाएगा।

9.5.2 डिबेन्चर के मुख्य लक्षण

डिबेन्चर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं :–

(1) डिबेन्चर एक चल सम्पति है (moveable property) (धारा 44)।

(2) यह कम्पनी द्वारा जारी किया जाता है और ऋण का प्रमाण पत्र होता है।

(3) इस में मोचन की तारीख होती है तथा मूलधन और ब्याज को वापस करने की तारीख भी लिखी होती है।

(4) साधारणतया इस के द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर प्रभार निर्मित होता है। प्रायः इन की शर्तों पर शब्द "समान रूप से" (Pari Passu) लिखा होता है। इस का अर्थ यह है कि जब कम्पनी सारा ऋण नहीं चुका सकती तो एक ही वर्ग के डिबेंचरों को, समानुपात से धन वापिस होगा। यदि ऐसी कोई शर्त नहीं है तो डिबेंचर धारकों को श्रेणीबद्ध धन वापिस होगा। यदि एक ही तिथि में सब डिबेचंर जारी हुए है तो समय, (जो श्रृंखला के नम्बर से जाना जा सकता है) के हिसाब मे मिलेगा।

9.5.3 डिबेंचरों के प्रकार

डिबेंचर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:

1) **वाहक डिबेंचर (Bearer Debenture):** वाहक डिबेंचर विनिमय साध्य प्रपत्र (negotiable instrument) होते हैं। ये सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित हो सकते हैं।

पैरीन्स और जैफरेज के अनुसार डिबेंचर को वाहक को देय बनाने से उन में विनिमय साध्य प्रपत्र के लक्षण हो जाते हैं इसलिए कि

(क) हस्तांतरणीय बनाने से वे सारे जोखिमों (equities) से स्वतंत्र हो जाते हैं।

(ख) कम्पनी की डिबेंचर और साथ में ब्याज कूपन की सुपुर्दगी से ऋण की समाप्ति हो जाती है।

(ग) वाहक हो अपने नाम से कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार होता है, यदि आवश्यकता हो।

(घ) कोई भी व्यक्ति जो डिबेंचर सद्भावना (bonafide) से और वैध प्रतिफल देकर लेता है उसे श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे उस व्यक्ति जिस से उस ने डिबेंचर लिया है चाहे उस का अधिकार दोषयुक्त हो। "वाहक डिबेंचर" पर ब्याज एक संलग्न कूपन होता है उस के आधार पर होता है, अवधि समाप्त होने पर मूलधन वाहक हो मिलता है।

2) **पंजीकृत डिबेंचर (Registered Debenture)** : ये डिबेंचर पंजीकृत धारकों को ही देय होते हैं अर्थात् वो व्यक्ति जिन के नाम डिबेंचर धारकों के रजिस्ट्रर में दर्ज होते हैं। यह डिबेंचर शेयरों के समान ही हस्तांतरित होते हैं या उन शर्तों के अनुसार जो इनके पीछे लिखी होती हैं।

डिबेंचरों के दो भाग होते हैं:

(क) कम्पनी द्वारा मूलधन और ब्याज देने का वचन।

(ख) पृष्ठाकिंत शर्तें अर्थात् ऋण की शर्तें।

पृष्ठाकिंत शर्तें अलग–अलग हो सकती हैं। परन्तु साधारणयतः यह प्रावधान होता है कि एक श्रृंखला के डिबेंचरों का समान रूप (pari passu) का दर्जा होगा।

3) **स्थायी या अमोचनीय डिबेंचरः (Perpetual or Irredeemable Debenture):** डिबेंचर जिसमें वापस देने का प्रावधान नहीं होता और न ही रकम वापस करने का प्रावधान होता है। वह स्थायी या अमोचनीय डिबेंचर कहलाते हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 120 के अर्न्तगत ऐसे डिबेन्चर जारी करने का प्रावधान था परन्तु कम्पनी अधिनियम 2013 में इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अतः कम्पनियां अमोचनीय डिबेंचर जारी नहीं कर सकतीं।

4) **मोचनीय डिबेंचर (Redeemable Debenture)**: ये डिबेंचर ऐसे होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। निश्चित अवधि के बाद कम्पनी को डिबेंचर धारको को रकम वापस करने का और अन्य सम्पत्ति जिस पर भार है या गिरवी है उस छुड़ाने का अधिकार होता है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल मोचनीय शेयर जारी किये जा सकते हैं।

5) **आरक्षित तथा अनारक्षित डिबेंचर (Secured and Unsecured/Naked Debentures)**

सामान्यतः डिबेंचरों को कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर प्रभार या बंधक द्वारा आरक्षित बनाया जाता है। परन्तु कम्पनी परिसम्पत्तियों पर प्रभार के बिना भी डिबेंचर जारी कर सकती है। ऐसे डिबेंचरों को अनारक्षित डिबेंचर कहा

जाता है। ये केवल कम्पनी के ऊपर ऋण की स्वीकृति के रूप में होते हैं। इनके अनारक्षित लेनदार (unsecured creditors) की भांति अधिकार होते हैं। अनारक्षित डिबेन्चर जमा की तरह माने जाते है और इन्हें जनता से जमा पर जो प्रावधान लागू होते हैं उन का पालन करना होता है।

6) **परिवर्तनीय डिबेंचर (Convertible Debentures)**

कोई कम्पनी पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है। परिवर्तनीय डिबेंचर में डिबेंचर धारकों को विकल्प दिया जाता है कि वे निश्चित अवधि के बाद नियत विनिमय दर से डिबेंचरों को साधारण या पूर्वाधिकार शेयरों में परिवर्तन कर सकते हैं। धारा 71 के अनुसार कम्पनी को परिवर्तनीय डिबेंचर पूर्णतः या अंशतः जारी करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। ऐसे डिबेंचरों को शेयरों में परिवर्तन करने के बाद इन शेयरों को डिबेंचरों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कम्पनी नियम 18 (शेयर पूंजी ओर डिबेंचर नियम) 2014, के अनुसार कोई कम्पनी आरक्षित डिबेंचर जारी नहीं करेगी जब तक निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीः

(क) आरक्षित डिबेंचर जारी करने पर यह आवश्यक है कि उन के मोचन की तारीख जिस दिन से जारी किए हैं दस वर्ष से अधिक की अवधि के नहीं हो सकते। परन्तु जो कम्पनी आधारभूत परियोजनाओं के कार्य में है दस वर्ष से अधिक परन्तु तीस वर्ष से कम अवधि के आरक्षित डिबेंचर जारी कर सकती है।

(ख) ऐसे डिबेंचरों का निर्गमन परिसम्पतियां या सम्पतियों पर प्रभार उत्पन्न कर प्रत्याभूत किया जा सकता है जिन का मूल्य इतना हो कि डिबेंचर का मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान करने के लिए पर्याप्य हो।

(ग) कम्पनी को प्रास्पेक्टस जारी करने से पहले एक डिबेंचर न्यासी नियुक्त करना होगा या डिबेंचर के अभिदान सम्बंधी प्रस्ताव पत्र जारी करना होगा और डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिन से पहले एक डिबेंचरधारकों के हितों की रक्षा के लिए डिबेंचर न्यासी विलेख का निष्पादन करना होगा।

(घ) डिबेंचरधारकों को जमानत के रूप में प्रभार (charge) या बन्धक (mortgage) वह डिबेंचर न्यासी के समर्थन में निम्नलिखित पर तैयार की जायेगीः

(i) कम्पनी की किसी विशेष चल सम्पत्ति पर वह गिरवी (pledge) के रूप में न हो, और/या

(ii) कोई विशेष अचल सम्पत्ति कहीं भी हो, या उस में हित हो।

(ड) किसी भी व्यक्ति की न्यासी के रूप में नियुक्ति नहीं होगी यदि :–

(i) कम्पनी के शेयर अपने हित के लिए उस के पास हैं;

(ii) वह कम्पनी, या उस की नियंत्रित कम्पनी या नियंत्रण कम्पनी का प्रर्वतक, निदेशक या

प्रबंधकीय कार्मिक या कोई और अधिकारी या कर्मचारी है।

(iii) कम्पनी द्वारा दी गई रकम को प्राप्त करने का उसे लाभग्रही के रूप में अधिकार है, केवल डिबेंचर न्यासी के पारिश्रमिक के अतिरिक्त।

(iv) वह कम्पनी या उस की नियंत्रित या नियंत्रण कम्पनी या सहयोजित (associate) कम्पनी का ऋणी है।

(v) उस ने मूल ऋणों को जो डिबेंचरों द्वारा आरक्षित हैं या उसके ब्याज के बारे में गांरटी दी है।

(vi) चालू वित्त वर्ष में या तुरंत पूर्वगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी से मुद्रा सम्बंधी नाता रहा हो जो या तो सकल बिक्री का या कुल आय का दो प्रतिशत या अधिक या पचास लाख रुपए या वह अधिक राशि जो विहित है इनमें से जो भी कम हो।

(vii) किसी प्रर्वतक या किसी और व्यक्ति का जो किसी निदेशक का या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का रिश्तेदार है।

(च) जैसा ऊपर कहा जा चुका है कम्पनी द्वारा, जो डिबेंचर जारी करती है, डिबेंचर के आबंटन से साठ दिन के भीतर, न्यासी के पक्ष में निष्पादन करना होगा।

(छ) कम्पनी एक डिबेंचर मोचन निधि लेखा तैयार करेगी जो नियमों के अनुसार, जो विहित हो डिबेंचर के मोचन के लिए उपयोग होगा।

9.6 शेयर तथा डिबेंचर में अन्तर

शेयरों और डिबेंचरों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं:

(1) शेयरधारी कम्पनी का सदस्य होता है जबकि डिबेंचर धारी कम्पनी का लेनदार होता है।

(2) एक शेयरधारी को मतदान करने का अधिकार होता है। एक डिबेंचरधारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 71 की उपधारा (2) के अनुसार कोई कम्पनी ऐसे डिबेंचर जारी नहीं कर सकती जिन्हें मतदान का अधिकार हो।

(3) शेयरों की आय लाभों पर निर्भर होती है। शेयरधारियों को केवल लाभों में से ही लाभांश मिलता है। डिबेंचरधारियों को एक निश्चित दर पर ब्याज मिलता है। कम्पनी को लाभ हुआ है या नहीं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

(4) जब तक कम्पनी का समापन नहीं होता शेयरधारियों उन की पूंजी लौटाई नहीं जाती (मोचनी पूर्वाधिकार शेयरों को छोड़ कर)। डिबेंचर धारियों को एक निश्चित अवधि के बाद धन वापस हो जाता है।

(5) कम्पनी के समापन की दशा में, जब तक सभी बाहरी लेनदारों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक शेयरधारी अपनी पूंजी की मांग नहीं कर सकते। डिबेंचर क्योंकि आरक्षित लेनदार होते हैं अतः पूंजी लौटाने के सम्बन्ध में उन्हे शेयरधारियों की अपेक्षा अग्रता प्राप्त होती है।

(6) शेयरों पर लाभांश, लाभ पर प्रभार नहीं होता। जबकि डिबेंचरों पर देय ब्याज की राशि, लाभ पर प्रभार होती है तथा कर दायित्व की गणना करते समय ब्याज कर राशि लाभ में से घटाई जाती है।

9.7 सार्वजनिक जमा (Public Deposits)

आप ने कम्पनी द्वारा धन एकत्रित करने के दो मुख्य साधनों शेयर और डिबेंचर के बारे में पढ़ा है। अल्प अवधि के लिए पूंजी का एक और महत्वपूर्ण साधन सार्वजनिक जमा है।

9.7.1 जमा का अर्थ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(31) शब्द "जमा" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है "जमा के अंतर्गत जमा या ऋण के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त की गयी राशि शामिल है। परन्तु Companies (Acceptance of Deposit) Rule 2014 के अनुसार "जमा" में निम्नलिखित राशियों को जमा नहीं माना जाता :–

(1) ऐसी कोई राशि जो केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त हुई है या किसी और स्रोत से जिस की वापसी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई हो।

(2) कोई राशि जो अधिसूचित विदेशी सरकार से और विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुई हो।

(3) कोई राशि जो ऋण या कोई सुविधा के रूप में किसी बैंकिग कम्पनी से या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बैंकिग संस्था से या सहकारी बैंक से प्राप्त हुई हो।

(4) कोई राशि जो ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में किसी अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था से, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, बीमा कम्पनियों से, अनुसुचित बैंकों से प्राप्त हुई हो।

(5) कोई राशि वाणिज्य प्रपत्र जारी करके या कोई अन्य प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैक द्वारा दिये हुए निदेशों या अधिसूचना के अनुसार जारी कर प्राप्त हुई हो।

(6) कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त राशि

(7) कोई शेयर आवेदन राशि या अग्रिम राशि जो प्रतिभूतियों के आबंटन सम्बन्धी स्थगित (pending)आंबटन से पहले प्राप्त हुई हो।

यदि, प्रतिभूतियाँ जिन का, आवेदन राशि या अग्रिम राशि के प्राप्त करने के पश्चात, साठ दिन के भीतर आबंटन नहीं किया गया तो ऐसी आवेदन राशि या अग्रिम राशि पन्द्रह दिन के अन्दर अभिदाताओं को वापस करनी होगी। साठ दिन के बाद ऐसी राशि इन नियमों के अंतर्गत जमा मानी जाएगी।

(8) कोई राशि किसी व्यक्ति से जब प्राप्त हुई जब वह व्यक्ति प्राप्त राशि के समय कम्पनी का निदेशक था सिवाए इसके कि निदेशक ने उसके द्वारा दूसरे से ऋण या जमा लेने या उधार लेने के द्वारा अधिग्रहित धन से धन दिया है।

(9) आरक्षित बाँड या डिबेंचरों के निर्गमन से प्राप्त राशि परन्तु बाँड या डिबेंचरों की यह राशि ऐसी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित की गयी हो। गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जारी करने से जुटाई गई कोई भी राशि कंपनी की संपत्ति पर प्रभार नहीं है और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सजेंज में सूचीबद्ध है।

(10) किसी कर्मचारी से प्राप्त राशि जो उस के वेतन से अधिक न हो, कम्पनी को यह राशि रोजगार के अनुबंध के अर्न्तगत बिना ब्याज के एक जमानत निक्षेप (security deposit) के रूप में प्राप्त हो।

(11) न्यास के रूप में, बिना ब्याज के प्राप्त और रखी गई (hold) राशि।

(12) कम्पनी के व्यवसाय के दौरान, उद्देश्य के लिए कोई राशि :–

(क) एंडवास (अग्रिम) के रूप में माल की सप्लाई या सेवाएं प्रदान करने के लिए राशि, इस शर्त पर कि एंडवास पाने के तीन सौ पैंसठ दिन के भीतर वह माल की सप्लाई या सेवाओं को प्रदान करने के लिए, उपयोग हो।

(ख) प्राप्त एंडवास राशि किसी सम्पत्ति के करार करने पर इस शर्त पर कि वह एंडवास करार के तदनुसार सम्पत्ति के मूल में समायोजित की जाएगी।

(ग) राशि जमानत जमा के रूप में किसी माल सप्लाई या सेवा प्रदान करने के अनुबंध के निष्पादन के लिए प्राप्त हुई हो।

(घ) अग्रिम राशि किसी लम्बे समय की परियोजना या पूंजीगत माल की सप्लाई के लिए प्राप्त हो,

(च) लिखित अनुबंध या व्यवस्था के अनुसार वारंटी या रखरखाव अनुबंध के रूप में भविष्य की सेवाएं प्रदान करने के लिए विचार के लिए एक अग्रिम के रूप में, अगर ऐसी सेवाओं को प्रदान करने की अवधि सामान्य व्यावसायिक प्रचलित से अधिक नहीं है; सेवाओं में से जो भी कम हो।

(छ) एक अग्रिम के रूप में प्राप्त और किसी भी क्षेत्रीय नियामक द्वारा स्वीकार किया गया या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के निर्देश द्वारा।

(ज) प्रकाशन के लिए अंशदान के रूप में चाहे प्रिंट में, या इलेक्ट्रानिक में ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के हेतू समायोजित किया जाए।

(13) वित्तीय संस्था या बैंक को ऋण देने संबंधी शर्तों के अनुसार कोई भी अनारक्षित ऋण जो प्रर्वतकों द्वारा कम्पनी को दिया जाए लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी।

(14) निधि कम्पनी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी राशि को स्वीकार करना।

(15) चिट फंड अधिनियम 1982 के अंतर्गत चिट के संबंध में अंशदान के माध्यम से प्राप्त राशि।

(16) सेबी नियमों के अनुपालन में सामुहिक निवेश योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्राप्त राशि।

(17) स्टार्ट अप कंपनी द्वारा 25 लाख रुपये या उससे अधिक कोई भी राशि (i.e.) कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित निजी कम्पनी) नोट के माध्यम से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर वापिस करने योग्य है, एक व्यक्ति से एकल शेयर के हिस्से में।

(18) किसी कंपनी द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष, घरलू उद्यम पूंजी कोष, सेबी के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश फंड से प्राप्त राशि।

9.7.2 जमा और ऋण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(31) और Companies (Acceptance of Deposit) Rule, 2014, के अनुसार शब्द जमा (निक्षेप) के अंतर्गत ऋण भी सम्मिलित है अर्थात् कम्पनी द्वारा उधार ली गयी कोई राशि। यद्यपि पूर्व में न्यायालय के कई निर्णय हुए हैं जिन में "ऋण" और "जमा" में अन्तर बताया गया है। **Abdul Hamid Sahib vs. Rahmat Bi AIR 1965 Mad. 417** में यह पाया गया कि एक अर्थ में जमा भी एक प्रकार का ऋण है अन्तर केवल इतना है कि एक ऋण जब लिया जाता है वह तुरंत देय हो जाता है। किन्तु जमा की स्थिति में, पूर्वनिर्धारित परिपक्वता की स्थिति पर रकम देय होती है या जमा के करार की शर्तों के अनुसार जब रकम की मांग होगी वह देय होगा। दूसरे शब्दों में ऋण जो तुरन्त या सूचना देने पर

देय होता है, ऋण के विपरीत जमा राशि को लौटाने का तुरन्त दायित्व नहीं होता। इसका Companies (Acception of Deposits) Rules 2014 के आधार पर जो पुनः भुगतान किया जायेगा।

एक और वाद में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शब्द "जमा" और "ऋण" दोनों पर्यायवाची नहीं है और कोई लेन–देन 'जमा' है या 'ऋण' दस्तावेज की शर्तों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि पक्षों की इच्छा से पता लगता है। **(Anna Malai vs. Veerappa AIR 1956 SC 12)।** परिसीमा अधिनियम 1963 ऋण और जमा की समय सीमा अलग–अलग हैं। ऋण में समय सीमा उस समय प्रारंभ होती है जब ऋण दिया जाता है जबकि जमा में जब मांग की जाती समय सीमा उस समय से प्रारंभ होती है।

9.7.3 जमा और डिबेंचर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(30) के अनुसार डिबेंचर के अंतर्गत डिबेंचर स्टॉक कोई बॉंड (बंध पत्र) या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में कम्पनी की कोई अन्य प्रपत्र भी है, चाहे वह कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर प्रभार निर्मित करती हैं या नहीं। डिबेंचर एक दस्तावेज है जो ऋण को उत्पन्न करता है या एक ऋण की प्राप्ति की सूचना है। एक डिबेंचर आरक्षित या अनारक्षित हो सकता हैं। यदि डिबेंचर अनारक्षित है तो वह जमा की परिभाषा में नहीं आते। यह केवल डिबेंचर है जो Companies (Acceptance of Depoists) Rules 2014 की Rule 2(1)(0)(DG) में विहित शर्तों को पूरा करते हैं जमा की परिभाषा में नहीं आते।

9.8 ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (Global Depository Receipt)

ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR) एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें एक देश में स्थित एक कंपनी घरेलू देश के बाहर अपने एक या अधिक शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर / बॉन्ड जारी करती है। एक कंपनी इक्विटी शेयर जारी करके विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा सकती है।

कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 2 (44) के अनुसार, ''ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद का अर्थ है, डिपॉजिटरी रसीद के रूप में कोई भी साधन, जिसे भारत के बाहर किसी विदेशी डिपॉजिटरी द्वारा निर्मित और किसी कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया है (भारत में) ऐसी डिपॉजिटरी रसीद को जारी करना। इसी प्रकार, धारा 2 (48) के अनुसार भारतीय डिपॉजिटरी रसीद का अर्थ है, ''भारत में घरेलू डिपॉजिटरी द्वारा बनाई गई डिपॉजिटरी रसीद के रूप में केवल प्रपत्र और ऐसी डिपॉजिटरी रसीद का इश्यू बनाने वाली भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा अधिकृत''।

भारतीय कंपनियों द्वारा डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें रुपये के मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों को जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिन्हें विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से धन जुटाने, निवेशक आधार के विविधीकरण, दृष्यता में वृद्धि, वैश्विक उपस्थिति, तरलता में वृद्धि, बेहतर खुलासे और अन्य संबद्ध लाभ का परिणाम हो सकता है।

कंपनियों (वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें जारी करना) नियम 2014 के साथ धारा 41 पढने पर, जो किसी भी विदेश में डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम और विनियमन के संबधित प्रावधानों और स्कीम के संदर्भ में ऐसा करने के योग्य हैं। डिपॉजिटरी रसीदें सार्वजनिक प्रस्ताव या प्राइवेट (निजी) प्लेसमेंट के माध्यम से या विदेश में प्रचलित किसी अन्य तरीके से जारी की जा सकती हैं और इसे

सूचीबद्ध या विदेशी लिस्टिंग या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कारोबार किया जा सकता है।

जी.डी.आर के इश्यू (निर्गमन) के लिए शर्त, अन्य बातों के साथ शामिल है बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना और साथ ही एक आम सभा में विशेष प्रस्ताव जी.डी.आर. (GDR) कंपनी द्वारा नियुक्त एक विदेशी बैंक द्वारा जारी किया जाएगा और शेयरों को एक घरेलू कस्टोडियन बैंक की हिरासत में रखा जाएगा। कंपनी एक मर्चेंट बैंकर या एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी की नियुक्ति करेगी, डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने से संबंधित सभी अनुपालनों की देखरेख करने और उनसे अनुपालन रिपोर्ट लेने के लिए। अधिनियम के प्रावधान और अब तक जारी किए गए किसी भी नियम के तहत वे शेयरों या डिबेंचर के सार्वजनिक इश्यू से संबंधित हैं, विदेश में डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए लागू नहीं होंगे।

भारत में डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर / जीडीआर) जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक डिपॉजिटरी रसीद स्कीम 2014 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस स्कीम की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय की कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यद्यपि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान भारत के बाहर गैर–निवासी को डीआर के लिए अनुमति देने वाली अनुमेय प्रतिभूतियों के जारी करने और हस्तांतरण पर होते हैं, तब अनुमोदन, यदि कोई हो, अधिनियम के तहत आवश्यक होगा।

2. **पात्रता मानदंड:** 2014 की योजना के अनुसार, कोई भी भारतीय कंपनी जो सूचीबद्ध या असूचीबद्ध, निजी या सार्वजनिक या कोई अन्य जारीकर्ता या अनुमन्य प्रतिभूतियां रखने वाला व्यक्ति योग्य है जारी करने या स्थानांतरण करने के (जैसा कि मामला हो सकता है) ऐसी प्रतिभूतियों को किसी विदेशी डिपॉजिटरी को डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने से वंचित व्यक्तियों या कंपनियों को डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए प्रतिभूतियों को जारी या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है।

   डिपॉजिटरी रसीदें कानूनी क्षेत्राधिकार में संचालित करने की तथा कानूनी क्षमता रखने वाली एक विनियमित संस्था द्वारा जारी की जा सकती हैं।

3. **डिपॉजिटरी रसीद इश्यू के प्रकार:** डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के दो प्रकार हैं। प्रायोजित इश्यू और अप्रायोजित इश्यू। एक प्रायोजित एडीआर कार्यक्रम में, कंपनी मौजूदा शेयरधारकों के पास मौजूद शेयरों के बजाय एडीआर / जीडीआर को प्रायोजित करती है। जिस मूल्य पर इन शेयरों को एडीआर / जीडीआर में परिवर्तित किया जाएगा, वह लीड बुक रनिंग मैनेजरों द्वारा किया जाता है। प्रायोजित ADR/ GDR कार्यक्रम में कंपनी / जारीकर्ता डिपॉजिट एग्रीमेंट का पक्षकार है और एक समय में केवल एक ही ADR/ GDR प्रोग्राम मौजूद हो सकता है। अप्रायोजित इश्यू के मामले में जारीकर्ता जमा समझौते के पक्षकार नहीं है और कई कार्यक्रम एक साथ चल सकते हैं। अप्रायोजित डीआर को सूचीबद्ध अनुमेय प्रतिभूतियों के शर्त पर जारी किया जा सकता है, यदि दो शर्तें पूरी हो जाएं:

   (1) डीआर इंटरनेशनल एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं

   (2) डीआर धारक को वोटिंग निर्देश जारी करने का अधिकार दें।

4. **अनुमेय प्रतिभूतिः** सरकार, कंपनियों, म्युचुऊल फंड आदि द्वारा जारी किसी भी अनुमेय प्रतिभूतियों के सहारे डी आर जारी किया जा सकता है। अनुमेय प्रतिभूतियों को डी मैट रूप में होना आवश्यक है, इससे पहले कि वे डिपॉजिटरी रसीद जारी करने के लिए उपयोग किए जा सकें।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद/अमेरीकन डिपॉजिटरी रसीद और भारतीय डिपॉजिटरी रसीद विधिक, प्रचालन, तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि GDR, ADR और IDR क्रमशः वैश्विक, अमेरिकन तथा भारतीय वित्तीय बाजारों में जारी किए जाते हैं।

9.9 सारांश

वह धन राशि जो शेयर जारी करने के द्वारा प्राप्त हो उसे शेयर पूंजी कहते हैं। पूंजी की वह राशि जो सीमा नियम में दी हुई है उसे पंजीकृत या अधिकृत कहते हैं। सारी अधिकृत पूंजी को अभिदान के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाता। जनता की जो राशि अभिदान के लिए प्रस्तावित की जाती है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अभिदत्त हुआ है उसे अभिदत्त पूंजी कहते हैं। सारी अभिदत्त पूंजी कंपनी द्वारा मांग नहीं भेजी जाती। अभिदत्त पूंजी का वह भाग जिस के लिए मांग की है उसे मांगी गई या याचित पूंजी कहते हैं।

शेयर से किसी कम्पनी की शेयर पूंजी में कोई शेयर से अर्थ है और इसके अंतर्गत स्टॉक भी है। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने शब्द शेयर को और विस्तार से अर्थ दिया है। इस के अनुसार "किसी कम्पनी के शेयर से अर्थ कोई धन राशि नहीं परन्तु एक हित है जिस को एक धनराशि से और जो भिन्न प्रकार के अधिकारों को अन्तनियमों द्वारा, जो धारकों और कम्पनी के बीच अनुबन्ध होते हैं, मापा जाता है।"

एक और वाद में उच्चतम न्यायालय ने शेयर की परिभाषा इस तरह दी है "शेयर एक अधिकार है कम्पनी के लाभों में जब कम्पनी चल रही है व लाभांश घोषित करती है तथा इस के समापन पर इसकी परिसम्पत्तियों में सम्मिलित होने का"

एक शेयर निश्चित रूप में चल सम्पत्ति है परन्तु यह उस प्रकार चल सम्पत्ति नहीं है जैसे कपड़े की गांठ या गेहूँ की बोरी यद्यपि यह विनिमय साध्य प्रपत्र नहीं है। कम्पनी केवल दो प्रकार के ही शेयर निर्गमित कर सकती है पूर्वाधिकार तथा साधारण (इक्विटी)। इक्विटी शेयर मतदान के अधिकारों या लाभांश, मताधिकार या अन्य के संबंध में अधिकारों की विनिमयता के साथ पूर्वाधिकार शेयरों में निश्चित दर या निश्चित रकम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और कम्पनी के समापन के समय पूंजी वापस करने का इक्विटी शेयरधारियों के कुछ देने से पहले भी अधिकार है।

कम्पनी मोचनीय पूर्वाधिकार शेयर भी जारी कर सकती है, जो अवशिष्ट भागी या गैर अवशिष्ट भागी, सचंयी या असंचयी होते हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कम्पनी कोई अमोचनीय पूर्वाधिकार शेयर जारी नहीं कर सकती। कम्पनी श्रमसाध्य शेयर अपने निदेशकों या कर्मचारियों को नकदी से भिन्न, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति या मूल्य परिर्वधनों की प्रकृति में ज्ञान उपलब्ध कराने या उन के अधिकार उपलब्ध कराने के लिए छूट पर या प्रतिफल के लिए जारी कर सकती है। कम्पनी पहले से निर्गमित शेयरों के किसी वर्ग के श्रमसाध्य शेयरों का निर्गमन ही कर सकती है और विशेष प्रस्ताव पारित द्वारा ही कर सकेगी और किसी भी समय भी कम्पनी ऐसे शेयर प्रदत्त इक्विटी पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं कर सकेगी।

स्टॉक किसी व्यक्ति की शेयर पूंजी का संकलित जोड़ होता है। साधारण शब्दों में इस का अर्थ कुछ शेयरों का एक बंडल में एक साथ रखने से है। स्टॉक को मुद्रा के रूप

में व्यक्त किया जाता है न कि शेयरों की संख्या में। एक कम्पनी, यदि अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत है तो साधारण प्रस्ताव पास करके पूर्ण दत्त शेयरों को स्टॉक में या उसका विपरीत भी कर सकती है।

डिबेंचर के अंतर्गत स्टॉक, बांड (बंध पत्र), या किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में किसी कम्पनी की कोई अन्य लिखत भी है। चाहे वह कम्पनी की परिसम्पतियों पर प्रभार का गठन करती हो या नहीं। कम्पनी कई प्रकार के डिबेंचर जारी कर सकती है जैसे वाहक डिबेंचर, पंजीकृत डिबेंचर, आरक्षित डिबेंचर, परिवर्तनीय डिबेंचर या मोचनीय डिबेंचर। कम्पनी अधिनियम द्वारा अमोचनीय डिबेंचर जारी करना निषेध है।

जमा का अर्थ कम्पनी द्वारा जमा या ऋण के रूप में या किसी अन्य रूप में धन की कोई रसीद है। इसमें वह रकम शामिल नहीं है जो Companies (Acceptance of Deposit) Rule, 2014, द्वारा वर्जित हो।

जी डी आर एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें एक देश में स्थित एक कंपनी घरेलू देश के बाहर अपने एक या अधिक शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर/बाँड जारी रहती है। एक कम्पनी इक्विटी शेयर जारी करके विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा सकती है। भारत में डिपॉजिटरी जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक की डिपॉजिटरी स्कीम शामिल 2014 द्वारा किया जाता है।

9.10 शब्दावली

शेयर (Share): वह इकाई जिसमें कम्पनी की पूंजी बांटी जाती है शेयर कहलाती है।

निर्गमित पूंजी (Issued Capital): पूंजी की वह राशि जो कम्पनी ने जनता को निर्गमित की है।

पूर्वाधिकार शेयर (Prefernece Share): वे शेयर जिन्हें लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार व कम्पनी के समापन के समय अपनी पूंजी पहले प्राप्त करने का अधिकार है।

स्टॉक (Stock): किसी सदस्य के पूर्ण शेयरों का जोड़।

डिबेन्चर (Debenture): कम्पनी द्वारा ऋण की स्वीकृति का प्रलेख।

वाहक डिबेन्चर (Bearer Debenture): ऐसा डिबेन्चर जिसका सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण किया जा सकता है।

साधारण डिबेन्चर (Naked Debenture): वे डिबेन्चर जो किसी परिसम्पत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित नहीं होते।

अनारक्षित डिबेन्चर (Unsecured Debentures): ऐसे डिबेन्चर जिनका किसी परिसम्पत्ति पर बंधक या प्रभार नहीं होता।

आरक्षित डिबेन्चर (Secured Debentures): ऐसे डिबेन्चर जो कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति पर प्रभार या बंधकत्व द्वारा सुरक्षित होते हैं।

परिवर्तनीय डिबेन्चर (Convertible Debentures): ऐसे डिबेन्चर जिनकी राशि पूर्णतः या अंशतः इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सके।

मोचनीय डिबेन्चर (Redeemable Debenutres): ऐसे डिबेन्चर जिनकी राशि नियत अवधि के पश्चात् वापस लौटानी है।

जमा (Deposits): कम्पनी के पास जमा की गई धनराशि, इसमे ऋण की राशि भी शामिल होती है।

वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (Global Depository Receipts): एक ऐसा साधन जिससे कम्पनी विदेश में डिपॉजिटरी द्वारा पूंजी जारी करती है।

9.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) (i) क (ii) ख

2) (i) गलत (ii) गलत (iii) गलत (iv) सही (v) सही (vi) गलत

9.12 स्वपरख प्रश्न

1. शब्द "शेयर" की परिभाषा दीजिए। इस की प्रकृति क्या है क्या यह विनिमय साध्य प्रपत्र है ?
2. कम्पनी कितने प्रकार के शेयर निर्गमित कर सकती है ? वर्णन कीजिए।
3. "साधारण शेयर" और पूर्वाधिकार शेयर में अन्तर बताइए ?
4. साधारण शेयर जिन के लाभांश, मतदान और दूसरे विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं उन पर टिप्पणी लिखिए। क्या कम्पनी गैर मतदान शेयर जारी कर सकती है ?
5. पूर्वाधिकार शेयरों के निर्गमन और मोचन संबधी नियम बताइए।
6. कितने प्रकार के पूर्वाधिकार शेयरों कम्पनी जारी कर सकती है ? क्या कम्पनी अमोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों का निर्गमन कर सकती है।
7. डिबेंचर किसे कहते है ? डिबेंचर के मुख्य लक्षण क्या हैं ?
8. कम्पनी कितने प्रकार के डिबेंचर जारी कर सकती है ?
9. शेयर और डिबेंचर में अन्तर बतलाइए ।
10. शब्द जमा की परिभाषा क्या है? (Companies Acceptance of Deposit Rules 2014) के अनुसार कौन–कौन सा जमा "जमा"" नहीं होता।
11. अन्तर बताइए :–

    (क) जमा और ऋण

    (ख) जमा और डिबेंचर
12. श्रम साध्य साधारण शेयर क्या होते हैं? इन्हें जारी संबंधी शर्तो का वर्णन कीजिए।
13. वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद किसे कहते हैं? इन्हें जारी करने की भारतीय रिजर्व बैंक की डिपॉजटरी रसीद स्कीम 2014 की मुख्य विशेषताएं बताइए।

नोटः इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 10 शेयरों का निर्गमन और आबंटन (Issue and Allotment of Shares)

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 शेयरों को सम मूल्य पर जारी करना

10.3 शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट

10.4 शेयरों को सार्वजनिक जारी करना

- 10.4.1 शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
- 10.4.2 और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव

10.5 राइट्स शेयर

10.6 बोनस शेयर

10.7 बोनस शेयर और राइट्स शेयर में अन्तर

10.8 छूट पर शेयरों का निर्गमन

10.9 प्रीमियम पर शेयरों का निर्गमन

10.10 शेयरों का आबंटन

- 10.10.1 आबंटन की सूचना
- 10.10.2 शेयरों के आबंटन सम्बन्धी नियम
- 10.10.3 आबंटन की विधि
- 10.10.4 आबंटन का विवरण

10.11 शेयर प्रमाणप्रत्र

- 10.11.1 शेयर प्रमाणपत्र जारी करना
- 10.11.2 शेयर प्रमाणपत्र का प्रभाव
- 10.11.3 शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति

10.12 शेयरों पर मांग

- 10.12.1 वैध मांग के आवश्यक तत्व
- 10.12.2 मांग का नकद के स्थान पर किसी और प्रतिफल के बदले भुगतान
- 10.12.3 मांग का अग्रिम भुगतान
- 10.12.4 मांग पर देय ब्याज का भुगतान न होना

10.13 शेयरों को जब्त करना

10.14 जब्त शेयरों का पुनः निर्गमन

10.15 शेयरों का अभ्यर्पण

10.16 कम्पनी द्वारा अपने शेयरों का वापस क्रय

10.16.1 वापस क्रय करने के स्रोत

10.16.2 वापस क्रय करने की शर्तें

10.16.3 क्रय द्वारा वापसी के लिए प्रतिबंधित परिस्थितियाँ

10.16.4 अपने शेयर क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता

10.17 बुक बिल्डिंग

10.18 सारांश

10.19 शब्दावली

10.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.21 स्वपरख प्रश्न

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगें किः

- शेयरों के सम मूल्य के बारे में व्याख्या कर सकें;
- प्राइवेट प्लेसमेंट के अर्थ तथा इससे संबंधित नियमों का वर्णन कर सकें;
- राइट्स शेयर व बोनस शेयर के अर्थ तथा संबंधित नियमों की व्याख्या कर सकें;
- राइट्स शेयर व बोनस शेयर के बीच अन्तर जान सकें;
- शेयरों के प्रारंभिक प्रस्ताव सार्वजनिक प्रस्ताव व और आगे जारी करने के सार्वजनिक प्रस्ताव की चर्चा कर सकें;
- शेयरों का आबंटन के अर्थ की व्याख्या कर सकें;
- उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध कर सकें जिनमें शेयरों को छूट पर तथा प्रीमियम पर जारी किया जाता है;
- वैध मांग के आवश्यक तत्वों का वर्णन कर सकें;
- उन परिस्थितियों का वर्णन कर सकें जिनमें शेयर जब्त किए जाते हैं व उन्हें पुनः जारी किया जाता है;
- शेयरों के अभ्यर्पण तथा कम्पनी द्वारा अपने शेयर स्वयं क्रय करने के नियमों की व्याख्या कर सकें; और
- बुक बिल्डिंग की व्याख्या कर सकें।

10.1 प्रस्तावना

इकाई 8 में आपने विभिन्न प्रकार के शेयरों एवं डिबेन्चरों के बारे में पढ़ा। कम्पनी अधिनियम 2013 में शेयरों के निर्गमन तथा आबंटन की विस्तृत कार्यविधि का वर्णन किया गया है, और प्रत्येक कम्पनी को इसका पालन करना पड़ता है। इस इकाई में आप इस कार्यविधि का अध्ययन करेंगे तथा शेयरों को सम मूल्य पर जारी करना, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयरों को सार्वजनिक जारी करना, प्रारंभिक प्रस्ताव, शेयरों के आबंटन सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त आप शेयरों को छूट या प्रीमियम पर जारी करने तथा शेयरों को जब्त करने एवं जब्त किए गये शेयरों के पुनः निर्गमन तथा शेयरों के अभ्यर्पण और कम्पनी द्वारा अपने शेयर स्वयं क्रय करने के नियमों के बारे में तथा बुक बिल्डिंग के विषय में भी पढ़ेंगे।

10.2 शेयरों को सम मूल्य पर जारी करना

कम्पनी अपने शेयरों को अंकित या अंकित मूल्य के अलावा किसी भी मूल्य पर जारी कर सकती है। जब शेयर अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं, इन्हें शेयरों को सम मूल्य पर जारी करना कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब निर्गमन मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है तो इसे शेयर पर सममूल्य पर जारी करना कहते है। इसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। कम्पनी अपने शेयर सम मूल्य से अधिक या कम पर बेच सकती है, इसे क्रमशः शेयरों को कटौती या प्रीमियम पर बेचना कहते हैं।

शेयर क) सार्वजनिक प्रस्ताव ख) राइट्स इश्यू/बोनस शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सार्वजनिक प्रस्ताव (1) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) या और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव (FPO) हो सकता है। इनकी इकाई में चर्चा की गयी है।

10.3 शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। धारा 42 (3) के स्पष्टीकरण के अनुसार, प्राइवेट प्लेसमेंट का अर्थ है, किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के चुनिंदा समूह को (सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम के सिवाय) प्रतिभूतियों के अभिदान या जारी करने का कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव का निमंत्रण जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर–सह–आवेदन के माध्यम से हो और इस धारा की निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो।

शर्तें

क) (i) एक प्राइवेट प्लेसमेंट केवल उन चुनिंदा व्यक्तियों के समूह को किया जाता है जिनकी बोर्ड द्वारा पहचान की गई है, जिनकी संख्या पचास या उससे अधिक नहीं होगी जो निर्धारित की गई है (वर्तमान में, 200) (योग्य संस्थागत क्रेता और कंपनी के कर्मचारियों को जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प की योजना के तहत प्रतिभूतियों का प्रस्ताव दिया गया है, जो ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की गयी है, को छोड़कर)

योग्य संस्थागत क्रेताओं का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2009 में परिभाषित योग्य संस्थागत क्रेता।

(ii) प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव और निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के माध्यम से किया जाऐगा। यद्यपि प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव और आवेदन को त्याग का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्रीमती पोद्दातुरी मलाथी बनाम एसआरपी लॉजिस्टिक्स (पी) लिमिटेड [2018, 96 taxmann-com 565 (NCL-AT) में, प्रतिवादी निदेशकों ने कंपनी की शेयर पूंजी में वृद्धि की और कंपनी के R2– निदेशक को और बाहरी व्यक्तियों को सम मूल्य पर अधिमान्य/प्राइवेट प्लेसमेंट आबंटन द्वारा शेयरों को आबंटित किया, आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना, शेयर पूंजी में वृद्धि और बाद में शेयरों के आबंटन को अवैध ठहराया गया था और इस तरह रद्द कर दिया गया।

ख) प्राइवेट प्लेसमेंट के इश्यू के अभिदान के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए आवेदन में आवेदन करेगा, चेक या

डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग वित्तीय चैनल द्वारा भुगतान के द्वारा न कि नकद द्वारा।

बशर्ते कि कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग नहीं करेगी जब तक कि आबंटन नहीं किया जाता है और आबंटन की विवरणी उप–धारा (8) के अनुसार रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं की जारी है।

ग) इस धारा के तहत कोई नया प्रस्ताव या निमंत्रण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी भी प्रस्ताव या निमंत्रण के संबंध में आबंटन पहले पूरा नहीं किया गया हो या कंपनी द्वारा उस प्रस्ताव या निमंत्रण को वापस ले लिया गया है या छोड़ दिया गया हो।

घ) इस धारा के तहत एक प्रस्ताव या प्रस्ताव का आमंत्रण देने वाली कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन की राशि की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूतियों का आबंटन करेगी और यदि कंपनी उस अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को आबंटित करने में सक्षम नहीं है, तो छः दिनों की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर ग्राहकों को आवेदन का पैसा चुकाना होगा, और यदि कंपनी उपरोक्त अवधि के भीतर आवेदन धन राशि वापिस करने में विफल रहती है, तो उस धनराशि को बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ साठ दिन की समाप्ति से वापिस करना होगा बशर्ते कि इस धारा के तहत आवेदन पर प्राप्त धनराशि को एक निर्धारित बैंक में एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा और इसका उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाए

(क) प्रतिभूतियों के आबंटन के प्रति समायोजन के लिए या

(ख) कंपनी को प्रतिभूतियों का आबंटन करने में असमर्थ होने के लिए धन की अदायगी के लिए।

ङ) इस धारा के तहत प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कोई भी कंपनी किसी भी सार्वजनिक विज्ञापन को जारी नहीं करेगी या किसी भी मीडिया, विपणन या वितरण चैनल या एजेंटों का उपयोग करके इस तरह के इश्यू के बारे में जनता को सूचित करेगी।

च) इस धारा के तहत प्रतिभूतियों का आबंटन करने वाली कंपनी रजिस्ट्रार के पास आबंटन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर आबंटन की विवरणी के साथ फाइल करेगी उस तरीके से जैसा निर्धारित किया गया है, जिसमें आबंटियों की पूरी सूची शामिल होगी उनके पूरे नाम, पते, आबंटित की गई प्रतिभूतियों की संख्या और निर्धारित की गई अन्य उचित जानकारी।

दंड

(i) यदि कोई कंपनी उप–धारा (8) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आबंटन की विवरणी को जमा करने में चूक करती है, तो कंपनी, उसके प्रवर्तक और निदेशक प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये के प्रत्येक चूक के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक चूक जारी है जो पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) उप–धारा के अधीन (ii)] यदि कोई कंपनी कोई प्रस्ताव देती है या धन स्वीकार करती है, इस धारा के उल्लंघन में, तो कंपनी, उसके प्रवर्तकों और निर्देशकों दंड के लिए उत्तरदायी होगें जो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई

राशि तक बढ़ सकता है या दो करोड़, इनमें से जो भी कम हो, और कंपनी सभी धनराशि को उप–धारा (6) में निर्दिष्ट ब्याज के साथ अभिदानकार्त्ताओं को वापस कर देगी, जो कि जुर्माना लगाने के आदेश के तीस दिनों की अवधि के भीतर अभिदानकर्त्ताओं को दिया जाएगा।

10.4 शेयरों को सार्वजनिक जारी करना (Public Issue of Shares)

शब्द ''जारी (निर्गमन)'' का अर्थ यहाँ स्पष्ट रूप से जनता के लिए जारी किया गया है, जिसका आगे अर्थ है कि आम तौर पर जारी किया जाता है और केवल चयनित व्यक्तियों के एक समूह के लिए नहीं। प्रॉस्पेक्टस के संबंध में आम तौर पर जारी किए गए का अर्थ है व्यक्तियों के संबंध में जारी किए गए, भले ही प्रॉस्पेक्टस संबंधित निकाय के मौजूदा सदस्यों या डिबेंचर धारकों के लिए जारी किए गए हों। इसलिए सार्वजनिक शब्द में जनता का कोई भी वर्ग शामिल होगा।

निर्गमन को एक सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार या बोनस निर्गमन और निजी प्लेसमेंट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक प्रस्ताव (क) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) (ख) और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) हो सकता है। यह दोनों एक नया निर्गमन या बिक्री के लिए प्रस्ताव हो सकता है। यह एक डीमैट रूप में होना चाहिए। बोर्ड के परामर्श से कंपनी के कुछ सदस्य, जनता को शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव कर सकते हैं।

10.4.1 शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

शेयर द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जनता को प्रतिभूतियां जारी कर सकती है जिसे पब्लिक ऑफर कहते है। शब्द ''प्रतिभूति'' एक व्यापक शब्द है और इसमें शेयर और अन्य साधन शामिल हैं। एक सार्वजनिक कंपनी सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार / बोनस जारी करके या निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव द्वारा प्रतिभूतियों को जारी कर सकती है। सार्वजनिक प्रस्ताव को धारा 23 के स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है ''सार्वजनिक प्रस्ताव में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियों के और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव या मौजूदा शेयरधारक द्वारा जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल है, प्रॉस्पेक्टस जारी करने के माध्यम से''।

जब कंपनी या तो प्रतिभूतियों का एक नया निर्गमन करती है या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए पेश करती है या दोनों पहली बार सार्वजनिक करती है, तो इसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) कहा जाता है, जबकि पहले निर्गमन के बाद, जब भी कोई कंपनी या तो प्रतिभूतियों का नया इश्यू बनाती है जनता के लिए या जनता के लिए बिक्री के लिए एक प्रस्ताव, इसे और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) कहा जाता है।

जनता को शेयर जारी करने के लिए सेबी (SEBI) विनियमन 2018

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)

(अ) संस्थाएं आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने के योग्य (Eligible) नहीं हैं

(1) एक जारीकर्ता एक सार्वजनिक प्रस्ताव करने योग्य नहीं होगा

क) यदि जारीकर्ता, उसका कोई प्रमोटर (प्रवर्तक), प्रमोटर समूह या निदेशक या बेचने वाले शेयरधारकों में से किसी को बोर्ड (सेबी) द्वारा पूंजी बाजार की पहुंच से वंचित किया जाता है।

ख) यदि जारीकर्ता का कोई भी प्रमोटर या निदेशक किसी अन्य कंपनी का प्रमोटर या निदेशक है जो बोर्ड द्वारा पूंजी बाजार तक की पहुँच से वंचित है।

ग) यदि जारीकर्ता या उसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक एक इरादतन दोषी (विलफुल डिफॉल्टर) है।

घ) यदि इसका कोई प्रवर्तक या निदेशक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (fugitive economic offender) है।

उपर्युक्त (a) और (b) के तहत प्रतिबंध उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, जिन पर बोर्ड द्वारा अतीत में रोक (डिबार) लगाई गई थी और बोर्ड के साथ ड्राफ्ट ऑफर के दस्तावेज फाइल करने की तिथि या रोक समाप्त हो चुकी है।

(2) यदि कोई बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ या कोई अन्य अधिकार है जो जारीकर्ता के इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए किसी भी विकल्प के साथ किसी व्यक्ति को दावेदार बनाएगा, तो जारीकर्ता एक सार्वजनिक प्रस्ताव करने योग्य नहीं होगा।

यद्यपि, इस उप–नियमन के प्रावधान इस पर लागू नहीं होंगेः

क) कर्मचारियों को दिए गए बकाया विकल्प, वर्तमान में कर्मचारी है या नहीं, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अनुसार

ख) पूर्ण प्रदत्त बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जिन्हें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (Book-Building इश्यू के केस में) या प्रोस्पेक्टस (निश्चित निर्गमन के मामले में) फाइल करने की तिथि पर या उससे पहले परिवर्तित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ब) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए पात्रता आवश्यकताएँ

(1) एक जारीकर्ता केवल सार्वजनिक प्रस्ताव करने के लिए योग्य होगा, केवल यदिः

(क) इसके पास कम से कम तीन करोड़ रुपये की शुद्ध मूर्त संपत्ति है, जिसकी पुनस्थापित और समेकित आधार पर और रीस्टेट आधार पर गणना की गयी है, पूर्ववर्ती तीन पूर्ण वर्षों (बारह महीने में से प्रत्येक) में से प्रत्येक में, जिनमें से पचास प्रतिशत से अधिक मौद्रिक संपत्ति में नहीं है। यदि अगली मूर्त संपत्ति का पचास प्रतिशत से अधिक मौद्रिक परिसंपत्तियों में होता है, तो जारीकर्ता को अपने व्यवसाय या परियोजना

में ऐसी अतिरिक्त मौद्रिक संपत्ति का उपयोग करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ या प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा, मौद्रिक परिसंपत्तियों पर पचास प्रतिशत की सीमा तब लागू नहीं होगी, जब प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पूरी तरह से बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है।

(ख) इसका कम से कम पंद्रह करोड़ रुपये का औसत परिचालन लाभ है, जिसकी पुनस्थापित और समेकित आधार पर गणना की गयी है, पूर्ववर्ती तीन वर्षों (प्रत्येक के बारह महीने) के दौरान, इन पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से प्रत्येक में परिचालन लाभ के साथ

(ग) इसका प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्ष (प्रत्येक बारह महीने) कम से कम एक करोड़ रुपये का नेटवर्थ है एक पुनस्थापित और समेकित आधार पर गणना पर

(घ) यदि उसने पिछले एक वर्ष के भीतर अपना नाम बदल लिया है, तो कम से कम पचास प्रतिशत आय जिसकी गणना, एक पुनःस्थापित और समेकित आधार पर की गयी है, पूर्ववर्ती एक वर्ष में उसने नए नाम से इंगित गतिविधि से अर्जित की है ।

(2) एक जारीकर्ता जो उप–नियमन (1) में निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करता है वह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पुनस्थापित और समेकित आधार पर योग्य होगा, जब निर्गम (issue) पुस्तक–निर्माण (Book Building) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और जारीकर्ता निवल (net) प्रस्ताव का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत आबंटित करने का दायित्व लेता है योग्य संस्थागत क्रेताओं को और यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो पूर्ण अभिदान राशि वापस करना होगी।

(स) सामान्य शर्तें

(1) एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाला जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

क) इसने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी लेने के लिए एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एक आवेदन किया है और उनमें से एक को नामित (designated) स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना है।

ख) जो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां पहले जारी की जा चुकी है या की जानी है उसने डीमैटरियलाइजेशन के लिए एक डिपॉजिटरी के साथ एक समझौता किया है;

ग) प्रमोटरों द्वारा रखी गई उसकी सभी निर्दिष्ट प्रतिभूतियां एक प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पहले डीमैट रूप में हैं।

घ) इसके सभी आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान कर दिए गए हैं, या जब्त का लिए गए हैं।

ङ) इसने वित्त की पुख्ता व्यवस्था की है, जो इस बात के लिए है कि जारी किए गए किसी विशेष परियोजना के लिए वित्त के घोषित साधनों में से पचहत्तर प्रतिशत का मतलब है कि जारी की गई धनराशि से प्रस्तावित राशि को छोड़कर प्रस्तावित सार्वजनिक मुद्दे के माध्यम से या उसके माध्यम से वित्त पोषित करना पहचान योग्य आंतरिक प्रोद्भवन से।

2 एक सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए राशि, जो कि निर्गमन के उद्देश्य में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में और प्रस्ताव दस्तावेज में जारीकर्ता द्वारा जारी की गई राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

10.4.2 और आगे जारी करने का सार्वजनिक प्रस्ताव

पात्रता आवश्यकताएं

संस्थाएं जो और आगे सार्वजनिक प्रस्ताव देने के योग्य नहीं हैं।

जारीकर्ता और आगे सार्वजनिक प्रस्ताव योग्य नहीं होगा :

(a) यदि जारीकर्ता, उसके कोई भी प्रमोटर, प्रमोटर समूह या निदेशक, बेचने वाले शेयरधारकों की बोर्ड द्वारा पूंजी बाजार तक की पहुंच से वंचित किया है।

(b) यदि जारीकर्ता का कोई भी प्रमोटर या निदेशक किसी अन्य कंपनी का प्रमोटर या निदेशक है जो बोर्ड द्वारा पूंजी बाजार तक पहुँच से वंचित है।

(c) यदि जारीकर्ता या उसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक इरादतन दोषी (विलफुल डिफॉल्टर) है।

(d) यदि इसका कोई प्रवर्तक या निदेशक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।

उपर्युक्त (a) और (b)के तहत प्रतिबंध उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे, जिनका उल्लेख आगे है, जो अतीत में बोर्ड द्वारा वंचित किये गये थे और वंचित अवधि बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव फाइल करने की तिथि से पहले ही खत्म हो चुकी है

और आगे सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए पात्रता की आवश्यकताएं

(1) एक जारीकर्ता पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव दे सकता है, यदि उसने पिछले वर्ष के भीतर अपना नाम बदल दिया है, पिछले एक वर्ष की कम से कम पचास प्रतिशत आय उसने उसके नए नाम से संकेतित गतिविधि से अर्जित किया गया है। ।

(2) एक जारीकर्ता जो उप–नियमन (1) में निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करता है और आगे सार्वजनिक प्रस्ताव दे सकता है यदि निर्गमन बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और जारीकर्ता निवल प्रस्ताव (net offer) का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत योग्य संस्थागत क्रेताओ को आबंटित करने की जिम्मेदारी लेता है और अगर यह योग्य संस्थागत क्रेता को उक्त न्यूनतम आबंटन करने में विफल रहता है तो पूर्ण अभिदान धन राशि वापस करनी होगी।

सामान्य शर्तें

(1) और आगे जारी करने वाले सार्वजनिक प्रस्ताव को जारीकर्त्ता करने वाला सुनिश्चित करेगा किः

क) इसने ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी लेने के लिए एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को एक आवेदन किया है और सेबी के विनियम 2018 की, अनुसूची XIX के संदर्भ में उनमें से एक को नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना है।

ख) इसमें पहले से जारी किए गए और जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिभूतियों के डीमैट के लिए एक डिपोजिटरी के साथ एक समझौता किया है;

ग) इसके सभी आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को पूर्ण प्रदत्त किया गया है या जब्त कर लिया गया है;

घ) इसने वित्त की पुख्ता व्यवस्था की है, जो इस बात के लिए है कि प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से या उसके माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि को छोड़कर, जारी की गई धनराशि से प्रस्तावित विशिष्ट परियोजना के लिए वित्त के घोषित साधनों में से पचहत्तर प्रतिशत का मतलब है मौजूदा पहचान योग्य आंतरिक प्रोद्भवन (ccruals)।

(2) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और प्रस्ताव दस्तावेज में इश्यू के उद्देश्यों में वर्णित सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की राशि जारीकर्ता द्वारा जुटाई जा रहे राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

10.5 राइट्स शेयर (Rights Shares)

जब कोई कंपनी जिसकी शेयर पूंजी है वह अपनी अभिदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव पुनः शेयर जारी करके करती है, ऐसे शेयर मौजूदा शेयर धारकों को धारा [62 (1) (ए),] के तहत प्रस्तावित किए जाएंगे। इसे ''राइट्स शेयर (अधिकारिक शेयर)'' कहा जाता है। यदि इस तरह के शेयर कर्मचारियों को दिए जाते हैं, तो इसे अनुभाग [62 (1) (बी)], के तहत ''कर्मचारी स्टॉक विकल्प'' कहा जाता है।

धारा 62 (1) के अनुसार ''जहां किसी भी समय, शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी आगे शेयरों को जारी करके अपनी अभिदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे शेयरों को प्रस्तावित किया जाएगा।

(i) उन व्यक्तियों के लिए, जो प्रस्ताव की तारीख में, शेयर अनुपात में कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हैं जो लगभग परिस्थितियों के अनुसार, उन शेयरों पर भुगतान की गई शेयर पूँजी के अनुसार, प्रस्ताव पत्र भेजकर निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

प्रस्ताव की सूचना नोटिस द्वारा दी जाएगी, जो प्रस्तावित किए गए शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करेगी और समय सीमा पंद्रह दिनों से कम होगी और प्रस्ताव की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी जिसके भीतर यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा।

(ii) जब तक कि कंपनी के अंतर्नियमों में अन्यथा न दिया गया हो, मौजूदा शेयरधारी को उसे प्रस्तावित शेयरो को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्यागने का अधिकार होगा, इस अन्य व्यक्ति का कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(iii) नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद या उस व्यक्ति से पहले सूचना प्राप्त करने पर जिसे ऐसा नोटिस दिया जाता है कि वह प्रस्तावित किए गए शेयर को अस्वीकार करने का फैसला करता है, निदेशक मंडल इन शेयरों का इस तरह से निपटान (dispose off) करेगा जो शेयरधारकों और कंपनी के लिए हानिकार न हो।

10.6 बोनस शेयर

धारा 63 के अनुसार, कोई भी कंपनी अपने सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त शेयर जारी कर सकती है, इनमें से किसी भी तरीके सेः

(i) अपने मुक्त संचय से (free reserves) से;

(ii) प्रतिभूतियों का प्रीमियम खाते से;

(iii) पूंजी मोचन आरक्षित खाते।

बशर्ते कि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए पूंजीगत संचय द्वारा बोनस शेयरों का निर्गमन नहीं किया जाएगा।

पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों को जारी करने के उद्देश्य से कोई भी कंपनी अपने लाभ या संचय को पूंजीकृत नहीं करेगी, जब तकः

(क) यह अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत है;

(ख) यह बोर्ड की सिफारिशों पर, कंपनी की साधारण सभा में अधिकृत किया गया है;

(ग) इसकी सावधि जमा या ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक नहीं हुई है;

(घ) इसने कर्मचारियों के वैधानिक बकाये के पुनर्भुगतान के संबंध में चूक नहीं की है, जैसे कि, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और बोनस।

(य) आंशिक प्रदत्त (partly paid up) शेयर यदि आबंटन की तारीख पर कोई बकाया है, तो उन्हें पूरी तरह से प्रदत्त किया गया है।

बोनस शेयरों को लाभांश के स्थान पर जारी नहीं किया जाता।

शेयरधारकों के हाथों में बोनस शेयर कर योग्य नहीं हैं। बोनस शेयर जारी करने के साथ प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि का भुगतान होता है।

कंपनियों के नियम 14 (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार, एक बार बोर्ड ने बोनस इश्यू की सिफारिश कर दी है, तो इसे बाद में वापस नहीं लिया जा सकता है।

10.7 बोनस शेयर और राइट्स शेयर में अन्तर

राइट्स शेयर		बोनस शेयर	
1	जब ये जारी किए जाते हैं जब शेयर पूंजी वाली कंपनी शेयरों के आगे जारी करके अपनी अभिदत्त (सब्सक्राइब्ड) पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।	1	जब ये जारी किए जाते हैं जब कोई कंपनी अपने मुक्त संचय, प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते या पूंजी मोचन आरक्षित खाते को कैपिटलाईज करने का फैसला करती है।
2	यह केवल मौजूदा शेयरधारकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है जिन्हें सार्वजनिक निर्गम के बाद शेयर प्रस्तावित किए जाते है।	2	वे मौजूदा सदस्य को निः शुल्क जारी किए जाते हैं।
3	इक्विटी शेयरधारकों को ऑफर पत्र भेजा जाता है, उन शेयरों पर प्रदत्त पूंजी के अनुपात में शेयरों की निर्दिष्ट संख्या होती है।	3	कंपनी द्वारा शेयरधारकों को भेजे गए प्रस्ताव पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी लाभ या रिजर्व को कैपिटलाइज करती है। यदि वह अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो और बोर्ड की सिफारिश पर साधारण सभा में अधिकृत किया गया है।
4	यदि इक्विटी शेयरधारक प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो उसे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा	4	सदस्यों को ऐसे शेयरों के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी।

5	अगर इक्विटी शेयरधारक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो निदेशक मंडल उनकी इस तरह से निपटान कर सकता है, जो यह कंपनी के लिए और शेयरधारकों के लिए लाभकारी हो	5	जिस कंपनी ने बोनस के इश्यू की सिफारिश करते हुए अपने बोर्ड के फैसले की घोषणा की है, बाद में उसे वापस नहीं लिया जाएगा।
6	सदस्य के मौजूदा शेयरहोल्डिंग के साथ–साथ राइटस शेयर आंशिक प्रदत्त हो सकते हैं।	6	बोनस शेयर सदैव पूर्ण प्रदत्त होते हैं।
7	राइट्स शेयर का अपने नॉमिनी के पक्ष में त्याग किया जा सकता है।	7	बोनस शेयरों के मामले में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

10.8 छूट पर शेयरों का निर्गमन (Issue of Shares at a Discount)

यदि शेयर के क्रेता से अंकित मूल्य से कम मूल्य लिया जाता है, जैसे दस रुपए वाले शेयर के नौ रुपए लेना, ऐसा शेयर निगर्मन या विक्रय छूट **(बट्टे)** पर शेयरों का निर्गमन कहलाता है। छूट पर शेयरों का निर्गमन कानून द्वारा नियंत्रित होता है और धारा 53 के अनुसार, जैसा धारा 54 में दिया गया है को छोड़कर छूट पर शेयरों का निर्गमन नहीं हो सकता। धारा 54 केवल "श्रमसाध्य साधारण शेयरों को छूट पर निर्गमन करने की आज्ञा देता है और उस में भी कुछ शर्तों को पूरा करने पर।

कम्पनी द्वारा छूट पर कोई भी शेयर निर्गमन व्यर्थ होगा

यदि कम्पनी सिवाए श्रमसाध्य साधारण शेयरों के, कोई शेयर, जारी करती है जैसा ऊपर कहा गया है वह कम्पनी जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकता है या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा (धारा 53 (3)।

10.9 प्रीमियम पर शेयरों का निर्गमन

एक कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों को प्रीमियम पर जारी कर सकती है जब वह अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर उनका विक्रय करने में समर्थ होती है, उदाहरणार्थ 100 रुपए के शेयर 120 रुपए के मूल्य पर, इस पर 20 रुपए की प्रीमियम राशि है। कम्पनी अधिनियम 2013 मे शेयरों को प्रीमियम पर निर्गमित करने के सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों या प्रतिबन्धों की व्यवस्था नहीं की गई है। परन्तु अधिनियम में प्रतिभूतियों पर जो प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है उस के उपयोग पर शर्तें लगाई हैं।

पहला प्रीमियम को लाभ नहीं माना जा सकता इसलिए इसका लाभांश के रूप में वितरण नहीं किया जा सकता। परन्तु इस का पूंजीकरण किया जा सकता है और इसे बोनस शेयरों के रूप में वितरित किया जा सकता है। **दूसरे** प्रीमियम चाहे, नकद या अन्यथा रूप में हो, कुल रकम के बराबर राशि के "प्रतिभूति प्रीमियम खाते" में अंतरित की जाएगी। **तीसरा** शेयर प्रीमियम की राशि उसी भावना से रखी जाएगी जैसे शेयर पूंजी को रखा जाता है।

धारा 52(2) के अनुसार प्रीमियम राशि का उपयोग केवल निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है

(क) कम्पनी के सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस शेयरों करने के लिए

(ख) कम्पनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखत करने के लिए;

(ग) कम्पनी के शेयरों या डिबचरों को जारी करने पर हुए व्यय, दिए गए कमीशन या छूट की राशि को अपलिखित करने के लिए;

(घ) कम्पनी के किसी मोचनीय पूर्वाधिकार शेयरों या किन्हीं डिबचरों के मोचन पर देय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए;

(ड.) धारा 68 के अधीन अपने शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के क्रय के लिए।

Hyderabad Industres Ltd (2004) 53 SCL 376 (AP) के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक कम्पनी शेयर प्रीमियम का धारा 78(2) अब **(धारा (53)** में दिए गये उद्देश्यों के अलावा उन उद्देश्यों के उपयोग के लिए अंतर्नियम आज्ञा नहीं देते न्यायालय ऐसे प्रस्ताव को, मंजूरी नहीं दे सकती।

राजस्थान उच्च न्यायालय **Mangalam Cement Ltd (2008) 86 SCL 153 (Raj)** ने कहा कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते में यदि जमा शेष है तो आस्थगित कर दायित्व के भुगतान करने में उपयोग किया जा सकता है।

जब तक शेयर पूंजी की कमी नहीं आती और उस के अनुरूप प्रतिभूति प्रीमियम खाते में भी कमी आती है तब तक कम्पनी शेयर प्रीमियम खाते से अपनी हानि खारिज **(**write off**)** या समायोजन नहीं कर सकती **Hyderabd Industries Ltd in re (2004) ।**

इस ही वाद में यह निर्णय दिया गया कि शेयर प्रीमियम खाते की राशि को उन उद्देश्यों के लिए जो धारा 78(2) (अब धारा 53) में दिए गए हैं उपयोग करने के लिए न्यायालय की मजूंरी या स्वीकृति नहीं चाहिए।

बोध प्रश्न क

1) शेयरों को सम मूल्य पर जारी करना किसे कहते है।

.....
.....
.....
.....
.....

2) प्राइवेट प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं।

.....
.....
.....
.....
.....

3) बोनस शेयर जारी करने से पहले कम्पनी को कौन सी शर्तों का पालन करना होता है।

.....
.....
.....
.....
.....

4) राइट्स शेयर क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

10.10 शेयरों का आबंटन

यह तो आप जानते ही हैं कि सार्वजनिक कम्पनी जनता को कम्पनी में धन लगाने के लिए निमन्त्रित करती है तथा इस उद्देश्य के लिए एक प्रास्पेक्टस जारी किया जाता है। इस निमन्त्रण के जवाब में भावी निवेशक निर्धारित आवेदन–पत्र भेजकर कम्पनी के शेयर खरीदने का प्रस्ताव करते हैं। यदि कम्पनी उनके आवेदन–पत्र को स्वीकार कर लेती है, तब वह उन्हें शेयर आबंटित कर देती है। आबंटन पत्र जारी किए जाने पर, प्रस्ताव कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है तथा कम्पनी और आवेदक के बीच एक वैध अनुबन्ध हो जाता है। इस प्रकार आबंटन शेयर खरीदने के प्रस्ताव की कम्पनी द्वारा स्वीकृति देना होता है।

कम्पनी अधिनियम के आबंटन शब्द की कही भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसका अर्थ और तात्पर्य है शेयर पूंजी को एक निश्चित मूल्य या निश्चित वर्ग के शेयरों मे विभाजित करना तथा शेयरों को विभिन्न व्यक्तियों के नाम करना (**Re. Calcutta Stock Exchane Association Ltd (1957)।** उच्चतम न्यायालय ने **Sri Gopal Jalan and Co. vs. Calcutta Stock Exchange Association Ltd 1964** के केस में आबंटन की परिभाषा इस प्रकार दी है "कम्पनी के निश्चित संख्या में शेयरों को किसी व्यक्ति को कम्पनी की पूर्व अविनियोजित पूंजी में से विनियेजित करना"। क्योंकि जब्त किए हुए शेयरों का पुनः जारी करना अविनियोजित पूंजी में से विनियोजित नहीं होता, इस लिए उसे आबंटन नहीं कहते।

शब्द "आबंटन" साधारणतया न अधिक न कम कम्पनी द्वारा कम्पनी के शेयर लेने के प्रस्ताव की स्वीकृति होता है कथन न्यायाधिश चैटी (**Florence Land & Public Works Ltd (1955))।**

10.10.1 आबंटन की सूचना

आबंटन, किसी आवेदक द्वारा कम्पनी के शेयर खरीदने के प्रस्ताव की स्वीकृति है, तथा किसी अन्य स्वीकृति के समान इसकी भी सूचना दी जानी चाहिए। जब तक प्रस्ताव की स्वीकृति की उचित ढंग से सूचना नहीं दी जाती, तब तक वैध अनुबन्ध नहीं होता है। अतः आबंटिती को आबंटन की सूचना अवश्य ही दी जानी चाहिए। यदि आबंटन पत्र को डाक में सही तरीके से भेजा गया है, अर्थात् उस पर ठीक पता लिख कर उचित मूल्य का स्टाम्प लगाया गया है, तो वैध अनुबन्ध हो जाएगा, चाहे यह डाक द्वारा देर से पहुंचे या मार्ग में ही खो जाए। इस आबंटन पत्र से आवेदन किए गये शेयरों की संख्या व आबंटित शेयरों की संख्या के अतिरिक्त आबंटिती को एक निश्चित समय के भीतर कम्पनी के बैंकर के पास आबंटन पर देय राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है। परन्तु ऐसा तब तक नहीं होता जब तक आंशिक आंबटन की स्थिति हो या अतिरिक्त आवेदन–पत्र राशि में से आबंटन पर देय राशि को विनियोजित कर लिया जाता है।

10.10.2 शेयरों के आबंटन सम्बन्धी नियम

शेयरों के आबंटन सम्बन्धी नियम का हम मुख्यतः दो शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं – (अ) सामान्य नियम, (ब) कानूनी नियम।

सामान्य नियम (General Rules)

यह तो आप जानते ही हैं कि कम्पनी के निश्चित संख्या में शेयर खरीदने के प्रस्ताव की स्वीकृति को आबंटन कहते हैं। अतः वैध स्वीकृति के सामान्य नियमों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। शेयरों के आबंटन से सम्बन्धित सामान्य नियम निम्नलिखित हैं:

i) **उचित प्राधिकार** : शेयर आबंटित करना निदेशक मंडल का कार्य है। किन्तु निदेशक मंडल अपने इस अधिकार को, कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सौप सकता है। आमतौर पर एक कमेटी को जिसे "आबंटन कमेटी कहते हैं यह कार्य दिया जाता है। उचित प्राधिकार के बिना किया गया आबंटन, व्यर्थ करार कर दिया जाता है।

ii) **उचित समयः** कम्पनी के शेयर खरीदने के प्रस्ताव को उचित समय के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदक शेयर लेने से मना कर सकता है, क्योंकि उचित समय व्यतीत हो जाने पर प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। 'उचित समय' क्या है, वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

iii) **सूचनाः** आवेदक को शेयरों के आबंटन की सूचना दी जानी आवश्यक है। उचित तरीके से आवेदक का पता लिखकर व उचित मूल्य का स्टाम्प लगाकर डाक से भेजे गये आबंटन पत्र को उचित सूचना माना जाता है। यदि आबंटन पत्र लिखने में देर हो जाए या मार्ग में ही गुम हो जाए, तब भी आबंटिती आबंटन से बाध्य होता है। G ने एक कम्पनी में शेयरों के लिए आवेदन किया। आबंटन–पत्र उसे डाक से भेजा गया किन्तु वह उसे नहीं मिला। निर्णय दिया गया कि G कम्पनी के शेयरधारी के रूप में बाध्य है **(Household Fire Insurance Co. Ltd V. Grant)**।

iv) **पूर्ण एवं शर्तरहित** : शेयरों का आबंटन आवेदन की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। यदि आबंटन उन शर्तों के अनुरूप नहीं है तो यद्यपि आवेदक को शेयर आबंटित किए जा चुके हैं, वह उन शेयरों को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है। **(Raman Bhai vs. Ghasi Ram (1918)** के केस में आवेदक ने कम्पनी के शेयर इस शर्त पर लेने को कहा कि उसे ब्रांच मैनेजर नियुक्त कर दिया जाए। शेयर उसे आबंटित किए परन्तु उसे ब्रांच मैनेजर नियुक्त नहीं किया गया। अतः निर्णय हुआ वह आबंटन से बाध्य नहीं है।

यदि शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो उसे आबंटन को तुरन्त अस्वीकार कर देना चाहिए। उसके मौन रहने या स्वीकार कर लेने पर उसका अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

v) **आवेदन के बदले आबंटनः** आबंटन केवल लिखित आवेदन के बदले किया जाना चाहिए। मौखिक आबंटन/आवेदन नहीं किया जा सकता।

कानूनी नियम (Legal Rules)

आपको यह याद रखना चाहिए कि निजी कम्पनी द्वारा शेयरों के आबंटन पर कम्पनी अधिनियम द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। परन्तु अधिनियम द्वारा सार्वजनिक कम्पनी द्वारा शेयरों के आबंटन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गये हैं।

जब कोई सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं किया जाताः जब कोई सार्वजनिक कम्पनी जनता के सामने शेयर खरीदने के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित नहीं करती तो वह आबंटन तुरन्त कर सकती है।

जब जनता से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं : जब कोई कम्पनी अपने शेयर जनता के समक्ष रखती है तब निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए।

1) **प्रास्पेक्टस (प्रविवरण) का पंजीकरण (धारा 26(4))**: प्रास्पेक्टस की एक कापी रजिस्ट्रार के पास इसकी प्रकाशन तिथि या पहले जमा कराई जानी चाहिए तथा इस पर हर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहियें जिनका नाम कम्पनी के निदेशक या प्रस्तावित निदेशक या उसके प्राधिकृत अर्टानी के रूप में दिया है। यदि इसका उल्लघंन किया गया तो कम्पनी पर पचास हजार रुपये से कम जुर्माना नहीं होगा जो तीन लाख तक हो सकता है। उस व्यक्ति पर जो जान बूझकर इस प्रास्पेक्टस को जारी करने पर पक्षकार है उस पर तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना किया जायेगा जो 50 हजार से कम नहीं होगा परन्तु जो 3 लाख रुपए तक हो सकता है या दोनों।

2) **आवेदन राशि (Application Money** (धारा 39(2)): आवेदन राशि, शेयर के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए या ऐसी राशि या प्रतिशत जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई हो। SEBI विनियम 2018 के अनुसार आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का 25% से कम नहीं होनी चाहिए।

3) **न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription) (धारा 39 (1 और 3)** : अभिदान के लिए, जनता को प्रस्तावित किसी कम्पनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तक तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रास्पेक्टस में वर्णित रकम न्यूनतम रकम के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गई है और आवेदन के सम्बंध में देय राशियों को कम्पनी द्वारा चैक अथवा अन्य प्रपत्र द्वारा भुगतान और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो।

4 **अभिदान सूची का बन्द होना** : कम्पनी अधिनियम में अभिदान सूची कब तक खुली रहेगी इस के समय के बारे कोई प्रावधान नहीं हैं। सेबी विनियम 2018 के अनुसार अभिदान सूची को जनता के शेयर जारी करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवस तक खुला रखना होगा और दस कार्य दिवस से अधिक खुला नहीं रखा जाएगा। इस में मूल्य पुनरीक्षण के समय वे दिन भी शामिल होगें जिन में निर्गमन खुला रखा हो। "अधिकार शेयरो" (Rights issue) के लिए कम से कम 15 दिन तक सूची खुली रहेगी और तीस दिनों से अधिक खुली नहीं रखी जाएगी।

5. **स्टॉक एक्सचेंज से व्यौहार करने की आज्ञा (धारा 40)** : जनता के प्रस्ताव करने वाली प्रत्येक कम्पनी, ऐसे प्रस्ताव करने से पूर्व, एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों को आवेदन करेगी और प्रतिभूतियों के संबंध में व्यौहार करने की अनुमति प्राप्त करेगी।

जहां प्रास्पेकटस में यह कथन है कि कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज के नाम भी होगें जिन में प्रतिभूतियाँ व्यौहार जाएगी।

जब तक एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंज जिन का नाम प्रास्पेक्टस में दिया हुआ है जिनकी सूची में शेयरो के व्यौहार करने की आज्ञा नहीं मिलती कोई भी आबंटन व्यर्थ होगा। दूसरे शब्दों में जिन स्टॉक एक्सजेंज का नाम प्रास्पेक्ट्स में सूचीयन के

लिए दिया है और किसी एक स्टॉक एक्सचेंज ने अनुमति नहीं दी है तब भी शेयरों को सारा आबंटन व्यर्थ होगा चाहे और बाकी स्टॉक एक्सचेंजों ने अनुमति दे भी दी हो। **Supreme Court in Rishyashringa Jewellery Ltd vs. Stock Exchange (1995) Smt. Urmila Bharuka vs. Coventry Spring and Engineering Co. Ltd & Ores (1997)** फिर भी, स्टॉक एक्सचेंज के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है और अपील का फैसला होने तक कोई आबंटन व्यर्थ नहीं होगा।

प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता से आवेदन पर प्राप्त धनराशियां किसी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक खाते में रखी जाएगी और उन का उपयोग निम्नलिखित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगाः

(क) प्रतिभूतियों के आबंटन के विरूद्ध समायोजन के लिए जहां प्रतिभूतियों को प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज में व्यौहार के लिए अनुमति दी गई हैं, या

(ख) प्रास्पेक्टस के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त धनों के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर पुनः भुगतान (repayment) के लिए, जहां कम्पनी किसी अन्य कारण से प्रतिभूतियां आबंटित करने मे असमर्थ हैं।

यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई त्रुटि की जाती है तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी, और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसने चूक (त्रुटि) की है ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों से ही दंडनीय होगा [धारा 40(5)]।

10.10.3 आबंटन की विधि

जब कम्पनी अपने बैकों से समस्त आवेदन–पत्र प्राप्त कर लेती है, तब वह उनकी एक शेयर आवेदन सूची तैयार करती है। जहां यह ध्यान रहे कि केवल उन्हीं आवेदकों के नाम इस सूची में शामिल किए जाने चाहिए जिन्होने आवेदन राशि का भुगतान कर दिया है, क्योंकि आवेदन राशि के बिना जमा किया गया आवेदन–पत्र व्यर्थ होता है। निदेशक वह ध्यान रखेंगे कि आबंटन सम्बन्धी समस्त नियमों का पालन किया जा रहा है। तब वे शेयर आबंटन की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। यदि कम्पनी को जितने शेयर निर्गमित करने थे, उतने ही शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए है, तब तो आबंटन में कोई कठिनाई नहीं होती। इस दशा में निदेशक, प्रत्येक आवेदक को उतने शेयर आबंटित कर सकता है जितने उसने मांगे हैं। लेकिन वास्तव में कठिनाई अति–अभिदान (Over-subscription) की स्थिति में उत्पन्न होती है। कम्पनी को जितने शेयर निर्गमित करने हैं, जब उस संख्या से अधिक शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसे अति–अभिदान की स्थिति कहते हैं। अति–अभिदान की स्थिति में, स्वाभाविक है, कि आवेदकों द्वारा मांगे गए शेयरों से कम संख्या में शेयर आबंटित किए जाएंगे, इसे हम आंशिक आबंटन कहते हैं। जिस स्टॉक एक्सजेंज में कम्पनी के शेयर सूचीयत हैं, उसके परामर्श से तथा सेबी विनियम 2018 के अनुसार आबंटन का आधार तय किया जाता है।

आप नोट करें कि सेबी विनियम 2018 के अनुसार आबंटन आनुपातिक होना चाहिए बशर्ते जो न्यूनतम आबंटन न्यूनतम आवेदन पत्रों की संख्या जो जारीकर्ता ने तय तथा निर्धारित की है उस के बराबर हो। सेबी विनियम 2018 में अधिक अभिदान की किसी भी परिस्थितियों में अनुमति नहीं है, केवल जब आनुपातिक आबंटन, जो 10% से अधिक न हो, अधिक अभिदान के कारण आवश्यक हो गया हो।

आप यह याद रखें कि जब किसी व्यक्ति को आवेदन–पत्र में मांगे गये शेयरों की संख्या से कम शेयर आबंटित किए जाते हैं तो अतिरिक्त आवेदन राशि को वापस नहीं लौटाया जाता है बल्कि इसे आबंटन खाते में अन्तरित कर दिया जाता है और भविष्य में उसके द्वारा देय आबंटन राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाता है।

कम–अभिदान (under-subscription) की स्थिति में, निदेशक मंडल को केवल इस बात का ध्यान करना पड़ता है कि न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हो गई है या नहीं। न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त होने पर वे आबंटन का कार्य शुरू कर सकते हैं। जब निदेशक मंडल प्रस्ताव पारित करके आबंटन को पक्का करता है और यदि किसी कारण से किसी आवेदक को शेयर आबंटित नहीं किए जा सके हैं तो आवेदन राशि के रेखाकिंत चैक के साथ खेद–पत्र भेज दिया जाता है या Electronic Clearance Service (ECS) द्वारा उस के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

10.10.4 आबंटन का विवरण

आप शेयरों के आबंटन के नियमों एवं विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। जब शेयर पूंजी वाली कोई कम्पनी अपने शेयरों का आबंटन करती है, तो उसे रजिस्ट्रार को आबंटन की विवरणी, ऐसी विधि से जो निर्धारित की गयी है, फाइल (जमा) करनी होगी [धारा 39(4)]।

Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules 2014 के नियम 12 के अनुसार

(1) जब शेयर पूंजी वाली कम्पनी अपनी प्रतिभूतियों का आबंटन करती है तो उसे तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फार्म PAS-3 फीस के साथ जो Companies Registration Offices and Fees Rules. 2014 में जो विहित की जाए, के साथ आबंटन की विवरणी फाइल करनी होगी।

(2) इस फार्म के साथ जिन्हे प्रतिभूतियां आबंटित की हैं, उनके नाम, पते, व्यवसाय (यदि कोई हो) और हर व्यक्ति को कितनी प्रतिभूतियों आबंटित की हैं उन की संख्या के साथ एक सूची संलग्न करनी होगी। इस सूची को हस्ताक्षर करने वाला यह प्रमाणित करेगा कि यह सूची कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार पूर्णतः सही है।

(3) जब प्रतिभूतियों को (सिवाए बोनस शेयरों के) नकद के अतिरिक्त किसी और प्रतिफल के बदले पूर्ण या आंशिक प्रदत के रूप में आबंटित किया जाता हैं तो पूर्वकथित फार्म के साथ उचित मोहर लगी हुई, अनुबन्ध की कॉपी, जिस के अनुसार प्रतिभूतियाँ आबंटित की गई हैं संलग्न करनी होगी और इस के साथ किसी और सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के विक्रय संबंधी अनुबन्ध की प्रति या सेवाओं सम्बन्धी अनुबन्ध या और कोई प्रतिफल की प्रति संलग्न करनी होगी।

(4) यदि कोई अनुबन्ध लिखित रूप में नहीं हैं तो कम्पनी फार्म के साथ ऐसे अनुबन्ध को उस स्टाम्प के साथ (जितनी स्टाम्प शुल्क लिखित अनुबन्ध पर लगाया जाता) जमा करेगी और ऐसा विवरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार प्रपत्र माना जायेगा।

(5) एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की प्रतिफल के बारे में रिपोर्ट अनुबन्ध के साथ लगाई जाएगी।

(6) बोनस शेयरों का निगर्मन करने की स्थिति में साधारण सभा में पारित प्रस्ताव की कापी, जिस में ऐसे निगर्मन को प्राधिकृत किया हो, इस फार्म के साथ सलंग्न करनी होगी

(7) धारा 62 के उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार उस कम्पनी द्वारा सिवाए उस सूचीबद्ध कम्पनी के जिस के साधारण शेयर या परिवर्तित अधिमानी शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद्ध हैं फार्म PAS-3 के साथ रजिस्ट्रकृत मूल्याकंक द्वारा दी गई, मूल्यांकन रिपोर्ट सलंग्न करनी होगी।

दंड

चूक (व्यक्तिक्रम) की दशा में, कम्पनी और उस का अधिकारी जिसने चूक की है दंड के लिए दायी है, जो प्रत्येक चूक के लिए एक हजार रुपए प्रतिदिन जब तक चूक जारी रहती है या एक लाख रुपए, जो भी कम हो, दायी होंगे।

बोध प्रश्न ख

1) शेयरों के आबंटन से क्या आशय है ?

.....

.....

.....

.....

2) उन चार महत्वपूर्ण शर्तों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके पूरा किए जाने पर ही कम्पनी शेयरों का आबंटन कर सकती है।

.....

.....

.....

.....

3) उन उद्देश्यों की सूचीबद्ध कीजिए जिनके लिए शेयर प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है।

.....

.....

.....

.....

4) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

i) कम्पनी के शेयरों का आबंटन ..... के प्रस्ताव द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

ii) प्रत्येक शेयर पर आवेदन राशि, शेयर के अंकित मूल्य से ..... प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

iii) यदि कम्पनी निर्गमित राशि को ..... प्राप्त नहीं करती, तो वह शेयर आबंटित नहीं कर सकती।

iv) यदि कम्पनी अभिदान सूची बन्द होने की तिथि के ..... दिनों के भीतर न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं करती, तो इसे अगले .....दिनों के भीतर यह राशि वापस लौटा देनी चाहिए।

v) कम्पनी ..... की अनुमति से शेयरों पर को छूट पर जारी कर सकती है।

vi) जब्त किए गये शेयरों के पुनः निर्गमन को शेयरों का ..... नहीं माना जा सकता।

5 बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलतः**

i) प्रविवरण जारी करने के तुरन्त बाद कम्पनी शेयर आबंटित कर सकती है।

ii) जब तक न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कम्पनी शेयर आबंटित नहीं कर सकती।

iii) अति–अभिदान की दशा में, निदेशक आवेदन किए गये सभी शेयरों को आबंटित कर सकते हैं।

iv) कम्पनी नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले शेयर जारी कर सकती है।

v) प्रीमियम पर शेयरों के निर्गमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

vi) शेयर प्रीमियम राशि में से लाभांश का भुगतान किया जा सकता है।

vii) कम्पनी शेयरों को छूट पर जारी नहीं कर सकती है।

10.11 शेयर प्रमाणपत्र (Share Certificate)

शेयर प्रमाण पत्र कम्पनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा (Common seal) के अधीन निर्गमित प्रमाण–पत्र होता है जिसमें किसी सदस्य द्वारा लिए गए शेयर तथा प्रत्येक अंश पर भुगतान की गई राशि निर्दिष्ट होती है। शेयर प्रमाण पत्र आबंटिती (allotte) या हस्तांतरिती के स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह इस तथ्य की घोषणा है कि जिस व्यक्ति के नाम शेयर प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है तथा जिसे यह दिया जाता है, वह व्यक्ति कम्पनी का शेयरधारी है। परन्तु यहां यह ध्यान रहे कि शेयर प्रमाणपत्र, विनिमय साध्य प्रलेख (negotiable instrument) नहीं होता।

शेयर प्रमाणपत्र का रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, परन्तु एक वैध शेयर प्रमाणपत्र में निम्नलिखित व्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिएः

i) कम्पनी का नाम; ii) शेयरधारी का नाम व पता iii) उसके द्वारा लिए गये शेयरों की संख्या, iv) शेयरों का क्रमांक v) प्रत्येक शेयर पर भुगतान की गयी राशि vi) निर्गमन की तिथि vii) शेयर प्रमाणपत्र की संख्या viii) स्टॉम्प तथा, दो निदेशकों तथा सचिव के हस्ताक्षर।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में लिखा गया है, कोई शुल्क दिए बिना अपने सब शेयरों के सम्बन्ध में एक शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार है। शेयर प्रमाणपत्र को उसमें वर्णित सदस्य का उसमें निर्दिष्ट शेयरों पर स्वामित्व होने का प्रथमदृष्ट्या (prima facie) प्रमाण माना जाता है।

10.11.1 शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

कम्पनी अधिनियम में वह समय–सीमा निर्धारित की गयी है जिसके अन्तर्गत शेयर प्रमाण–पत्र सपुर्द कर दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 56(4) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी, को जब तक कि किसी कानून के किसी प्रावधान के, या न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्रधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है आबंटित, हस्तांतरित या अंतरित प्रतिभूतियों का सर्टिफिकेट सुपुर्द कर देना चाहिए :–

(क) सीमानियम के अभिदाताओं की दशा में निगमन से दो मास की अवधि के भीतर;

(ख) अपने किन्हीं शेयरों के आबंटन की दशा में आबंटन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर,

(ग) कम्पनी द्वारा हस्तांतरण प्रपत्र के प्राप्त होने या पारेषण की सूचना प्राप्त होने के तिथि के एक माह की अवधि के भीतर।

(घ) डिबेंचरों के आबंटन की दशा में आबंटन की तिथि से छः मास के भीतर।

परन्तु जहां प्रतिभूतियां किसी निक्षेपागार (depository) द्वारा लेन–देन की जाती हैं वहां प्रतिभूतियों के आबंटन के व्यौरे की सूचना निक्षेपागार को आबंटन के तुरंत बाद देनी होगी।

दंड

यदि अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है, वहां कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकता है दंडनीय होगी और कम्पनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो दोषी है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपए का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

10.11.2 शेयर प्रमाणपत्र का प्रभाव (धारा 46)

आप पढ़ चुके है कि शेयर प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति का उन शेयरों पर स्वामित्व होने का प्रथमदृष्ट या (Prima facie) प्रमाण होता है। शेयर प्रमाणपत्र के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं।

(i) **स्वामित्व का प्रमाण** :– शेयर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने पर उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है कम्पनी उन शयरों पर उस व्यक्ति के स्वामित्व से इन्कार नहीं कर सकती, बशर्ते उस व्यक्ति ने उन शेयरों को पूर्ण सद्विश्वास में तथा वैध हस्तांतरण विलेख के अर्न्तगत प्राप्त किया है। परन्तु यह धारक के स्वामित्व की अंतिम कसौटी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जाली हस्तांतरण के आधार पर शेयर प्राप्त किए हैं तो कम्पनी शेयर का हस्तांतरण पंजीकृत करने से मना कर सकती है। आप को यह ध्यान रखना चाहिए कि शेयर प्रमाणपत्र केवल स्वमित्व का प्रमाण है यह स्वामित्व विलेख नहीं है। यह विनिमय साध्य प्रपत्र भी नहीं है; जिस की "सुपुर्दगी" या "सुपर्दगी या समर्थन" देने मात्र से स्वामित्व हस्तांतरित हो सके।

(ii) **भुगतान के सम्बन्ध में विबंध (Estopple as to payment)** : यह तो आप जानते हैं कि शेयर प्रमाण पत्र में वह राशि लिखी होती है जो उन पर भुगतान की गई है। बाद में कम्पनी यह नहीं कह सकती कि शेयर प्रमाण पत्र में लिखी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए यदि शेयर प्रमाणपत्र में यह लिखा है कि वे पूर्णदत है तो कम्पनी यह नहीं कह सकती कि वे शेयर पूर्णदत्त नहीं हैं।

10.11.3 शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति

धारा 4(62) कहती है कि शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति निम्नलिखित परिस्थितियां में जारी की जा सकती है:

(अ) यह सिद्ध हो जाने पर कि प्रमाण पत्र नष्ट या खो गया है; या

(ब) विरूपित अथवा विकृत या कट फट गया है और कम्पनी को लौटा दिया है।

Companies (Share Capital and Debenture) Rules 2014 के उपनियम 6(2) के अनुसार जब प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) जारी की जाती है इस के ऊपर यह मुख्य रूप से लिखा जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ रखे जा रहे रजिस्टर में इसे रिकार्ड करना चाहिए कि यह शेयर प्रमाण पत्र संख्या .....के स्थान पर डुप्लीकेट जारी किया गया 'डुप्लीकेट' को शेयर प्रमाण पत्र पर मुहर द्वारा या प्रमुख रूप से मुद्रित किया जाना चाहिए।

यदि कम्पनी कपट के इरादे से शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करती है तो कम्पनी जुर्माने से, जो प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने में शामिल शेयरों के अंकित मूल्य के पांच गुने से कम नहीं होगा, किन्तु जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य के दस गुना या दस करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, तक का हो सकता है, दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो दोषी है, धारा 447 के अधीन कारवाई के लिए दायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति जाली व्यक्ति बन के (inpersonate) या शेयर प्रमाण पत्र कपट पूर्वक (fradulently) प्राप्त करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

यदि शेयरों के हस्तांतारण के बारे कोई विवाद है तो प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हस्तांतरिती के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती **(S. Sundaram Pillai vs. P Govinda Swami (1987))**

कम्पनी प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति केवल पंजीकृत सदस्य को ही जारी कर सकती है।

बोध प्रश्न ख

1) शेयर प्रमाणपत्र क्या होता है?

.....
.....
.....
.....

2) शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का क्या उद्देश्य है?

.....
.....
.....
.....

3) शेयर प्रमाणपत्र कम्पनी के ऊपर दो प्रकार के विबंध (estoppel) लगाता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए।

.....
.....
.....
.....

4) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

   1) शेयर प्रमाणपत्र ..... होता है

   2) प्रत्येक कम्पनी को आबंटन की तिथि के .....माह के भीतर शेयर प्रमाणपत्र जारी कर देने चाहिए।

   3) कम्पनी प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति केवल .....को ही जारी कर सकती है।

5) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलतः**

   1) शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है।

2) शेयर प्रमाणपत्र पूर्णदत्त अथवा आंशिक पूर्णदत्त हो सकता है।

3) शेयर प्रमाणपत्र को केवल सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित किया जा सकता है।

4) यदि यह सिद्ध किया जा सके कि मूल शेयर प्रमाणपत्र नष्ट या गुम हो गया हे तो शेयरधारी उसकी दूसरी प्रति प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

10.12 शेयरों पर मांग

जब कम्पनी शेयर जारी करती है तो आवेदनकर्ता से साधारणतः शेयरों के पूरे मूल्य की मांग एक किश्त में नहीं की जाती। आरम्भ में उनसे केवल आवेदन राशि (application money) की ही मांग की जाती है जो शेयरों के अंकित मूल्य से 5% कम नहीं हो सकती **(धारा** 39)। शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाता है। शेयरों के आंबटन के समय कुछ राशि देय होती है, इसे आबंटन राशि (allotment money) कहते हैं। कम्पनी शेष राशि की किस्तों में मांग करती है। प्रत्येक किस्त को मांग (call) कहा जाता है। यहां आप यह याद रखें कि आवेदन करते समय तथा आबंटन पर जो राशि भुगतान की जाती है उन्हें 'मांग' नहीं कहते हैं।

"मांग" की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, मांग कम्पनी द्वारा शेयरधारियों से की गई वह मांग है कि वे प्रत्येक शेयर पर बकाया राशि का पूर्ण अथवा अशतः भुगतान कर दें तथा वह भाग कम्पनी अपने जीवल–काल में कभी भी कर सकती है।

10.12.1 वैध मांग के आवश्यक तत्व

(1) शेयरों पर मांग करते समय सावधानी लेनी चाहिए किः

(i) निदेशक जो मांग कर रहे हैं विधि पूर्वक नियुक्त हुए हैं और यथोचित योग्यता प्राप्त हैं।

(ii) निदेशक मंडल की उचित रूप से सभा बुलाई गई है,

(iii) उचित कोरम उपस्थित है।

(iv) मांग करने का प्रस्ताव उचित रूप से पारित हुआ है और प्रस्ताव में मांग की राशि, भुगतान का समय तथा स्थान का वर्णन उचित।

(v) विवरण (कार्यवृत) पुस्तक में उचित प्रविष्ट की जानी चाहिए।

यदि उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया तो मांग अवैध मानी जायेगी।

(2) एक ही वर्ग के सभी शेयरों पर समान रूप से मांग की जानी चाहिएः (धारा 49) : इस धारा के प्रयोजनों के अनुसार समान अभिहित मूल्य के शेयरों को, जिन पर विभिन्न राशियां चुकाई गई हैं तो उन्हे एक ही वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, (स्पष्टीकरण धारा 49)।

(3) मांगों को कम्पनी के हित में सद्भावना से किया जाना चाहिएः निदेशक कम्पनी की पूंजी के न्यासी होते हैं। अतः मांग की गई राशि कम्पनी के लाभ के लिए उपयोग होनी चाहिए और इस की केवल कम्पनी के हित के लिए ही मांग करनी चाहिए। एक कम्पनी कठिन परिस्थितियों में थी उस के निदेशकों ने अपने परिश्रामिक लेने के लिए राशि की मांग की। ऐसी मांग को अवैध करार दिया गया क्योंकि निदेशकों ने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया और उन्हें अपना परिश्रामिक लौटाना पड़ा **(Alexander vs Automatic Telehphone Co (1900) 2 Ch 56 (CA)**

(4) **मांग की सूचनाः** धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को मांग के लिए भुगतान की सूचना भेजनी चाहिए। यह एक औपचारिक सूचना होती है और भुगतान करने के लिए कोई निवेदन या मांग नहीं होती। प्रत्येक शेयरधारी की यह कानूनी वाध्यता है कि वह अपने शेयरों की पूरी राशि दे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा (2) के अनुसार सीमानियम या अन्तनियमों के अधीन कम्पनी के किसी भी सदस्य द्वारा शेयरों पर सभी धनराशियाँ उस से कम्पनी को ऋण होते हैं। परन्तु इस ऋण के देने का दायित्व केवल वैध मांग का नोटिस देने पर ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक कम्पनी ने दूसरी कम्पनी के अयाचित (न मांगी गयी), (uncalled) पूंजी के अधिकार प्राप्त कर लिए और दूसरी कम्पनी के सदस्यों से भुगतान की मांग कर दी, यह निर्णय दिया गया कि ऐसी मांग एक औपाचारिक नोटिस का स्थान नहीं ले सकता **Pabna Dhana Bhandar Co. Ltd vs Foyezudin Mia AIR 1932 Cal. 716.**

नोटिस में मांग में राशि और भुगतान का समय सही होना चाहिए। **E and W Insurance Co. Ltd vs. Kamala Mehta (Supra)** । फिर भी, यदि नोटिस में धनराशि मांगी गई है और भुगतान का समय निश्चित दिया है तो नोटिस वैध है चाहे इस का स्वरूप गलत है **Shackleford, Ford & Co. V Dangerfield (1868) LR 3 CP 407 ।**

संयुक्त शेयरधारियों का दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होता है **(भारतीय अनुबनध अधिनियम की धारा 43)**।

10.12.2 मांग का नकद के स्थान पर किसी और प्रतिफल के बदले भुगतान

शेयरों का भुगतान नकद या वस्तु या किसी और प्रकार से हो सकता है जिस का प्रभाव नकद के रूप में कम्पनी को दिया माना जाएगा। एक बैंकिग कम्पनी को एक शेयरधारी का ऋण देय था, कम्पनी ने बकाया मांगों के लिए ऋण समायोजित कर दिया जो शेयरधारी को देनी थी। निर्णय हुआ कि जब तक बैंकिग कम्पनी सफल चल रही है वह ऐसा कर सकती है। **Hind Iran Bank Ltd vs. Raizada Jagan Nath Bali (1959) ।**

10.12.3 मांग का अग्रिम भुगतान

धारा 50 के अनुसार निदेशक, यदि उस के अंतर्नियमों ने अधिकार दिया है शेयरधारियों से उस के द्वारा धारित, किन्हीं शेयरों पर बकाया या पूरी राशि के भुगतान को स्वीकार कर सकते है।

धारा 50(2) के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के सदस्य को इस अग्रिम भुगतान के लिए किसी मत का अधिकार का तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक यह राशि मांग के रूप में देय न बन जाए। परन्तु धारा 51 के अनुसार यदि कम्पनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकार दिया हो तो वह प्रत्यके शेयर पर प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभांश दे सकती है।

10.12.4 मांगों पर देय ब्याज का भुगतान न होना

सामान्यतः यदि सदस्य ने मांग की रकम चुकाई नहीं है तो उससे मांग पर ब्याज लिया जाता है। ब्याज दर अंतर्नियमों में दी होती है। तालिका च के विनियम 16 शेयर राशि पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी कम दर से, यदि कोई हो, जैसा बोर्ड निश्चित करे, प्रावधान करता है। बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज का भुगतान पूर्णतः या अशतः छोड़ (waive) दे।

10.13 शेयरों को जब्त करना (Foreiture of Shares)

आप पढ़ चुके हैं कि कम्पनी अपने शेयरधारियों से शेयर की सम्पूर्ण राशि एक ही किस्त में नहीं मांगती। जब कभी भी आवश्यकता होती है तब मांग की जाती है। यदि कोई शेयरधारी निर्धारित समय के भीतर किसी वैध मांग की राशि का भुगतान करने में त्रुटि करता है, तो कम्पनी को दो विकल्प उपलब्ध हैं:

(1) कम्पनी राशि वसूल करने के लिए मुकदमा दायर कर सकती है, अथवा 2) कम्पनी उन शेयरों को जब्त कर सकती है। पहला विकल्प एक लम्बी प्रक्रिया है, अतः कम्पनियाँ साधारणतः दूसरे विकल्प अर्थात् शेयरों को जब्त करने की विधि को ही अपनाती हैं।

'ज़ब्त' शब्द से आशय है उन शेयरों को सदस्य से ले लेना। इससे शेयरधारी का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार छिन जाता है। शेयरों को केवल तभी ज़ब्त किया जा सकता है जब कम्पनी के अन्तर्नियमों में इस सम्बन्ध में प्रावधान हो। आपको यह ध्यान रखना चाहिए तालिका च के विनियम 28 के अनुसार किसी मांग या मांग की किस्त के भुगतान न किए जाने के कारण ही शेयरों को जब्त किया जा सकता है, सदस्यों द्वारा किसी अन्य ऋण के लिए नहीं। यद्यपि कम्पनी के अन्तर्नियम विधिपूर्वक शेयर जब्त करने के किसी भी कारण को शामिल कर सकते है। **(Naresh Chandra Sangal vs. Calcutta Stock Exchange (1971).**

सामान्यतः कम्पनियां शेयरों की ज़ब्ती के सम्बन्ध में तालिका च अपनाती हैं इसमें निम्नलिखित नियम हैं:

i) शेयरों की जब्ती करने का अधिकार अन्तर्नियमों में दिया होना चाहिए।

ii) मांग का भुगतान नहीं किए जाने पर ही शेयरों को जब्त किया जा सकता है।

iii) कम्पनी द्वारा शेयरधारी को मांग की एक उचित सूचना भेजकर मांगी गई धनराशि को एक निश्चित अवधि के भीतर भुगतान कर देने की चेतावनी दी जानी चाहिए तथा इस चेतावनी मे यह भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि धन का भुगतान नहीं करने पर शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। शेयरधारी को भुगतान करने के लिए कम–से–कम 14 दिन की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। इस सूचना में देय धनराशि की सही राशि लिखी जानी चाहिए। यदि इस सूचना में कोई भी कमी रह जाती है तो जब्त अवैध हो जाता है।

iv) निदेशक मंडल को शेयरों को ज़ब्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (संकल्प) अवश्य पारित करना चाहिए।

v) शेयरों को ज़ब्त करने के अधिकार का उपयोग सद्भावनापूर्वक एवं कम्पनी के हित के लिए ही करना चाहिए। यदि किसी मित्र का दायित्व समाप्त करने के लिए शेयरों को जब्त किया जाता है, तो वह अवैध होगा।

ज़ब्ती का प्रभाव

(1) **सदस्यता की समाप्ति** : शेयरधारी जब्त किए गए शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी का सदस्य नहीं रहता (Regulation 31(1) of Table F)।

(2) **दायित्व की समाप्ति** : जिस व्यक्ति के शेयर जब्त किए गये हैं ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और जब खत्म हो जाएगा जब जब्त शेयरों की सब धनराशियों का पूरा भुगतान कम्पनी को प्राप्त हो गया हो तालिका च उपनियम 32(2)। वह व्यक्ति, जिस के शेयर ज़ब्त कर लिए गए हैं, वे सभी धन राशियों,

जो ज़ब्त वाले दिन उस के द्वारा कम्पनी को देय थीं, उन्हें देने का दायित्व उस पर बना रहेगा (तालिका च उपनियम 32(1)। अतः शेयर ज़ब्त होने के बाद भी अयाचित मांगो का दायित्व बना रहता है।

(3) **भूतपूर्व सदस्यों के रूप में दायित्व** : यदि शेयर को ज़ब्त करने के 12 माह के भीतर कम्पनी का समापन हो जाता है तो धारक का भूतपूर्व शेयरधारी के रूप में मांग देने का उत्तरदायी होता है।

(4) **ज़ब्ती के पश्चात् ज़ब्त हुए शेयर कम्पनी की सम्पत्ति बन जाते हैं।** तदानुसार कोई ज़ब्त शेयरों को ऐसे नियम और ऐसी रीति से जिन्हें बोर्ड उचित समझता है पुनः जारी किया जा सकता जा सकता है या अन्यथा अन्य निपटान किया जा सकता है। (तालिका च उपनियम 31(1))। विक्रय या निपटान के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड शेयरों की ज़ब्ती को उचित समझता है, रद्द कर सकता है (तालिका च उपनियम 31(2))।

कम्पनी का अधिकार शेयर ज़ब्ती के समय केवल निपटान (dispose off) करने का है और प्राप्त रकम से किसी दायित्व को भार मुक्त करना है जिस के कारण ज़ब्ती की गई थी और यदि कोई शेष बचा है वह दोषी (defaulter) का है कम्पनी उसका उपयोग नहीं कर सकती। **(Naresh Chandra Sayal vs. Sanya v Calcutta Stock Exchange Assn. Ltd AIR 1971 Sc 422)**

10.14 ज़ब्त शेयरों का पुनः निर्गमन (Reissue of Forefeited Shares)

शेयरा ज़ब्त किए जाने पर कम्पनी की सम्पत्ति बन जाते हैं तथा ज़ब्त किए गये शेयरों की सीमा तक, कम्पनी की प्रदत्त पूंजी घट जाती है। अतः ज़ब्त किए गये शेयरों को प्रायः पुनः जारी कर दिया जाता है। भूतपूर्व शेयरधारी द्वारा दी गई राशि, पुनः निर्गमन पर मिली राशि और शेयरों पर बकाया राशि अंकित राशि से कम नहीं होती। ज़ब्त किए गये शेयरों को किसी भी मूल्य पर जारी किया जा सकता है अर्थात् छूट पर भी। परन्तु छूट की राशि उन शेयरों पर ज़ब्त राशि से अधिक नहीं हो सकती। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके शेयरों को पुनः जारी किया जा सकता है। शेयरों के पुनः जारी किए जाने पर, शेयरों का क्रेता उन शेयरों के पर समस्त भावी मांगों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, वह उस मांग के लिए भी उत्तरदायी होता है जिसके लिए शेयरों को ज़ब्त किया गया हे। क्रेता का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है तथा यदि मूल शेयरधारी ने शेयर प्रमाण–पत्र कम्पनी को लौटा दिए हैं, तो उन्हीं शेयरों को क्रेता के नाम जारी कर दिया जाता है, अन्यथा एक नया प्रमाणपत्र क्रेता के नाम जारी किया जाता है।

शेयरों की ज़ब्ती के सम्बन्ध में की गई किसी अनियमितता या क्रियाविधि में की गई किसी अवैधता से शेयरों के क्रेता के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। इस सम्बन्ध में वह याद रखना चाहिए कि ज़ब्त किए गये शेयरों को पुनः जारी करने को शेयरों का विक्रय कहते हैं, यह शेयरों का आबंटन नहीं कहलाता। अतः आबंटन की विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना भी आवश्यक नहीं है।

10.15 शेयरों का अभ्यर्पण (Surrender of Shares)

शेयरधारी के स्वेच्छा से शेयर वापस करने को अभ्यर्पण कहते हैं, इसके अन्तर्गत शेयरधारी अपने शेयर कम्पनी के पास रद्द करने के लिए वापस भेज देता है। न तो

कम्पनी अधिनियम में और न ही तालिका च (F) में शेयरों के अभ्यपर्ण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान है। परन्तु कम्पनी के अन्तर्नियमों में आंशिक प्रदत्त शेयरों के अभ्यर्पण के सम्बन्ध में ऐसी परिस्थितियों में प्रावधान किया जा सकता है जब कि शेयरों को ज़ब्त करना न्यायोचित हो।

आप नोट करें जब कम्पनी को शेयरों का अभ्यर्पण किया जाता है, तो शेयरधारी को कुछ भी राशि वापिस नहीं की जाती। ऐसा इसलिए हैं कि यदि कुछ राशि वापिस की जाती है तो यह कम्पनी द्वारा अपने शेयरों का क्रय करना माना जाएगा जो कम्पनी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार वर्जित है।

यदि अन्तर्नियमों द्वारा शेयरों के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाए तो निम्नलिखित परिस्थितियों में शेयरों का अभ्यर्पण किया जा सकता है।

i) यदि शेयरों का अभ्यपर्ण उसी अंकित मूल्य के नये शेयरों के बदले स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इससे कम्पनी की शेयर पूंजी में कोई कमी नहीं होती है।

ii) यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि वहां पर शेयरों की ज़ब्ती पूर्णतः न्योयोचित है, क्योंकि अभ्यर्पण ज़ब्ती का छोटा मार्ग है।

यदि उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, किसी शेयरों के अभ्यर्पण को स्वीकार किया जाता है, तो वह अवैध होता है।

वैध अभ्यर्पण की स्थिति में, वह सदस्य कम्पनी का सदस्य नहीं रहता, परन्तु उसका नाम अंशदाताओं की तालिका में लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि यदि अभ्यर्पण के 12 माह के भीतर कम्पनी का समापन हो जाता है, तो वह भूतपूर्व सदस्य की हैसियत से उत्तरदायी होगा। यदि शेयरों का अभ्यपर्ण गैर–कानूनी तरह से हुआ है तथा उन शेयरों को कम्पनी ने पुनः जारी न कर दिया हो, तो कितना भी समय बीत चुकने के बाद कभी भी वह व्यक्ति सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम लिखे जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

शेयरों की ज़ब्ती तथा अभ्यर्पण, दोनों ही दशाओं में उस शेयरधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। परन्तु ज़ब्ती की स्थिति में वह अनिवार्यतः या कम्पनी द्वारा जबरदस्ती से की जाती है, परन्तु शेयरों का अभ्यर्पण सदस्य द्वारा स्वैच्छिक कार्य है, जिससे कि वह शेयरों के ज़ब्त किए जाने की बदनामी से बच सकें।

10.16 कम्पनी द्वारा अपने शेयरों का वापस क्रय

कम्पनी अधिनियम की धारा 67(1) के अनुसार शेयरों के द्वारा या गांरटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी वाली कम्पनी अपनी स्वयं के शेयरों का क्रय नहीं कर सकती। यह प्रतिबन्ध उन सब कम्पनियों पर लागू होता है जो शेयर पूंजी वाली कम्पनी हैं चाहे वह प्राईवेट हो या पब्लिक। अपने शेयरों को क्रय करने का प्रतिबंध प्राइवेट कम्पनी पर लागू नहीं होगा

1) जिसकी शेयर पूंजी में किसी निगमित निकाय ने कोई राशि निवेश नहीं की है

2) यदि उस कम्पनी के उधार बैंक वित्तीय संस्थाओं और निगमित निकाय से इसकी प्रदत्त पूंजी से दूगने कम है या 50 करोड़ रुपये इनमे दोनो में जो भी कम है और

3) इस धारा के अंतर्गत उसने उधार, उस लेन–देन के समय, में भुगतान में कोई चूक नहीं की है। (MCA notification dated 5-6-2015).

परन्तु धारा 68 के अनुसार कम्पनी अपने शेयर स्वयं क्रय कर सकती है परन्तु कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। धारा 68 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

10.16.1 वापस क्रय करने के स्रोत

अपने शेयर और विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कोई कम्पनी कर सकती है:

(1) (क) अपने स्वतंत्र संचयों से; या

(ख) प्रतिभूति प्रीमियम खाते से; या

(ग) किन्हीं शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि से परन्तु उसी प्रकार के शेयरों या उसी प्रकार की विनिर्दष्ट प्रतिभूतियों के पूर्वति आगमों से वापस क्रय नहीं किया जा सकता।

धारा 69 के अनुसार यदि स्वतंत्र संचय से या प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से अपने ही शेयर क्रय किए हैं वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों में अभिहित मूल्य के बराबर राशि "पूंजी मोचन रिजर्व खाते" में अन्तरित कर दी जायेगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे बैलेंसशीट में प्रकट किए जाएंगे। इस खाते का कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10.16.2 वापस क्रय करने की शर्तें

1) धारा 68(2) के अनुसार कोई कम्पनी अपनी निजी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक क्रय नहीं करेगी जब तक :–

(क) वापस क्रय उसके अर्न्तनियमों द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

(ख) वापस क्रय को अधिकृत करने के लिए कम्पनी की साधारण सभा में कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो। क्रय द्वारा वापस लिया जाना कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचय का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में साधारण शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने के सम्बन्ध में वापस क्रय कुल प्रदत्त साधारण पूंजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

कम्पनी की कुल प्रदत्त साधारण पूंजी और मुक्त संचयों का 10% तक का वापस क्रय बोर्ड द्वारा अपनी सभा में प्रस्ताव पारित कर किया जा सकता है।

(ग) क्रय द्वारा वापस लेने का कोई प्रस्ताव पहले वापस लेने के प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक से अधिक शेयर वापस क्रय नहीं हो सकते।

(घ) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पश्चात् कम्पनी द्वारा देय आरक्षित और अनारक्षित ऋणों के योग का अनुपात प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचयों (free reserves) के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा किसी विशेष वर्ग की कम्पनी या कम्पनियो ंके लिए पूंजी से ऋण और स्वतंत्र संचयों का उच्चत्तर अनुपात अधिसूचित कर सकती हैं।

(ड़) क्रय द्वारा वापसी के लिए सभी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त हैं।

(च) एक सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा शेयरों का वापिस क्रय सेबी विनियमन के द्वारा होगा।

(2) प्रत्येक क्रय द्वारा वापस विशेष प्रस्ताव बोर्ड प्रस्ताव पारित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना चाहिए (धारा 68(2)

(3) क्रय द्वारा वापसी की अनुमति है:

(क) विद्यमान शेयर धारकों या प्रतिभूतियों धारकों से आनुपातिक आधार पर;

(ख) खुले बाजार से;

(ग) स्टॉक विकल्प या श्रमसाध्य साधारण शेयर की स्कीम के अनुसरण में कम्पनी के कर्मचारियों को निर्गमित प्रतिभूतियां क्रय करके।

(4) क्रय द्वारा वापस के लिए जाने से पूर्व कम्पनी कम से कम दो निदेशकों द्वारा जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कोई हो, हस्ताक्षरित शोधम क्षमता की घोषणा रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास ऐसे प्रारूप में फाइल करेगी, जो इस संदर्भ में निर्धारित किए जाए, और शपथ पत्र द्वारा इस प्रभाव के लिए सत्यापित की जाए कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने कम्पनी के मामलों की पूर्ण रूप से जांच कर ली है। जिस के परिणामस्वरूप उन्होनें यह राय बनाई है कि कम्पनी अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है और बोर्ड द्वारा उपरोक्त गयी घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। परन्तु ऋण शोधन की घोषणा ऐसी कम्पनी द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल नहीं की जाएगी जिसके शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सजेंज से सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं।

(5) जहां कम्पनी अपने ही शेयरों या अन्य विर्निष्टि प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेती है वहां वह क्रय द्वारा वापस लेने के पूरा होने के अन्तिम तारीख के सात दिन के भीतर इस प्रकार क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों को समाप्त और वास्तविक रूप से नष्ट करेगी।

(6) वापस किए शेयरों या विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ बोनस के रूप में या अधिपत्रों, स्टॉक विकल्प स्कीमों, श्रमसाध्य साधारण शेयरों के परिवर्तन या अधिमानी शेयरों या डिबेचरों का साधारण शेयरों में परिवर्तन जैसे विद्यमान बाध्यताओं के निर्वहन करने के सिवाए छह मास के अन्दर अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का और निर्गमन नहीं करेगी (धारा 68(8)).

(7) कोई कम्पनी, क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पूरा हो जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर क्रय द्वारा वापस लिए जाने से सम्बंधित ऐसी विशिष्टियों वाली एक विवरणी रजिस्ट्रार और प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास फाइल करेगी।

परन्तु किसी ऐसी कम्पनी द्वारा, जिस के शेयर मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सजेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास कोई विवरणी फाइल नहीं करने की आवश्यकता नहीं है।

दंड

यदि कोई कम्पनी धारा 68 के प्रावधानों और इस के नियम या विनिमय का अनुपालन करने के त्रुटि करेगी, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक हो सकता है दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो दोषी है, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष का हो सकता है या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा

10.16.3 क्रय द्वारा वापसी के लिए प्रतिबंधित परिस्थितियां (धारा 70)

कोई कम्पनी अपने ही शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रय नहीं करेगी:–

(क) किसी नियंत्रित कम्पनी के माध्यम से, जिस के अंतर्गत उसकी अपनी नियंत्रित कम्पनियां हैं;

(ख) किसी निवेश कम्पनी या कम्पनियों के समूह के माध्यम से; या

(ग) यदि कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के पूर्व या उस के पश्चात् स्वीकृत निक्षेपों के भुगतान, शेयर धारक को ब्याज का भुगतान, लाभांश का भुगतान या डिबेंचर या पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन या किसी वित्तीय संस्था या बैंककारी कम्पनी को किसी कालिक ऋण या उस पर ब्याज का प्रति भुगतान में कोई व्यतिक्रम किया जाता है।

व्यतिक्रम के समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष अवधि के पश्चात् क्रय वापस की अनुमति है।

परन्तु निम्नलिखित स्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि कम्पनी ने अपने शेयर स्वयं क्रय किए हैंः–

(क) जब यह पूर्वाधिकार शेयरों का मोचन करती है;

(ख) जब शेयरों पर "मांग" की राशि न मिलने पर शेयर जब्त करती है;

(ग) जब वैध शेयर अभ्यर्पण स्वीकार करती है।

10.16.4 अपने शेयर क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता

धारा 67 (2) किसी सार्वजनिक कम्पनी और उसकी नियंत्रित कम्पनी को उसके स्वयं के शेयर क्रय करने या अभिदान के लिए किसी व्यक्ति को (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) ऋण देने या कोई वित्तीय सहायता देने की अनुमति नहीं देती परन्तु यह निम्नलिखित को लागू नहीं होगाः

(क) किसी बैंकिग कम्पनी द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में धन उधार देना।

(ख) कम्पनी या उस की नियंत्रित कम्पनी में पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के क्रय या अभिदान के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से और ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार जो विहित की जाएं, कम्पनी द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार किसी कम्पनी द्वारा धन का उपबंध करने, यदि न्यासियों द्वारा शेयरों का क्रय या उन के लिए अभिदान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा या उन के फायदे के लिए किया जाता है;

(ग) किसी कम्पनी द्वारा उस के निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से भिन्न कम्पनी के नियोजन में व्यक्तियों को कम्पनी में या उस की नियंत्रित कम्पनी में पूर्ण प्रदत्त शेयरों का क्रय करने या उन के लिए अभिदान करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से उन के छह मास की अवधि के वेतन या मजदूरी से अनाधिक रकम के लिए उनके द्वारा फायदाग्रही स्वामित्व के रूप में धारित किए जाने के लिए उन्हें त्रृण देने के लिए ।

(घ) एक कम्पनी किसी सदस्य से अपने शेयर क्रय कर सकती है यदि अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत अधिकरण अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध का निवारण करने के लिए आदेश दे।

(ङ) एक प्राइवेट कम्पनी जो किसी पब्लिक की नियंत्रित नहीं है उसे अपने शेयर क्रय करने के लिए अनुमति नहीं है परन्तु अपनी नियंत्रित कम्पनी के शेयर क्रय करने के लिए कोई ऋण या वित्तीय सहायता दे सकती है।

(च) यह धारा उस नियंत्रक कम्पनी पर लागू नहीं होती जो किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता उसकी नियंत्रित कम्पनी के शेयर क्रय के लिए करती है।

यदि कोई कम्पनी धारा 67 के प्रावधानों का उल्लघंन करती है तो वह कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगी और कम्पनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो दोषी है ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकता है दंडनीय होगा।

10.17 बुक बिल्डिंग (Book Building)

बुक बिल्डिंग को परिभाषित किया गया हैः एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निगमित निकाय द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की मांग को प्राप्त किया जाता है और निर्मित किया जाता है और इस तरह की प्रतिभूतियों की कीमत का मूल्यांकन इस तरह की प्रतिभूतियों की मात्रा के निर्धारण के लिए किया जाता है जो निगर्मित की जाएगी एक नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज द्वारा।

इस प्रकार, बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक इश्यू (निर्गम) के मामले में, यद्यपि इश्यू का कुल आकार ज्ञात है, शेयरों की संख्या ज्ञात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन शेयरों को आबंटित किया जाएगा, उनकी कीमत ज्ञात नहीं है, यह केवल बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित होता है। प्रॉस्पेक्टस में केवल प्राइस बैंड का उल्लेख होता है (यानी, सबसे कम (फ्लोर प्राइस) और सबसे ज्यादा (अधिकतम कीमत)। सेबी विनियमों, 2018 के अनुसार अधिकतम मूल्य फ्लोर प्राइस का 20% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रक्रिया के भाग के रूप में, भावी निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और अंतिम मूल्य निर्धारित किया जाता है (अर्थात्, वह कीमत जिस पर यह इश्यू पूरी तरह से सब्सक्राइब होने की संभावना है)। निर्धारित मूल्य से कुल इश्यू के आकार को विभाजित करके, जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या पर पहुंचा जाता है। सेबी विनियम, 2018 के अनुसार, एक जारीकर्ता कंपनी बुक–बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से जनता को शुद्ध प्रस्ताव (net offer) का 100% एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जनता को प्रतिभूतियों को निर्गमित कर सकती हैं।

बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के लाभ –

बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के लाभों में शामिल हैंः

(i) एक निगमित निकाय द्वारा जारी की जाने वाली प्रस्तावित प्रतिभूति की माँग उत्पन्न और निर्मित की जा सकती है।

(ii) जारी की जाने वाली प्रतिभूति की मात्रा एक निश्चित डिग्री सटीकता के साथ निर्धारित की जा सकती है।

(iii) जिस मूल्य पर निर्गम पूरी तरह से अभिदत्त (सब्सक्राइब) होने की संभावना है, उसका पता लगाया जा सकता है।

(iv) यह एक सबसे अधिक सक्षम प्रक्रिया है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) बाजार में शेयर का मूल्य ज्ञात करने की।

(v) यह निवेशकों का आत्म विश्वास बढ़ाता है जिससे निवेशकों का एक बड़ा आधार बन जाता है।

(vi) क्योंकि निर्गमन पूर्व–विक्रय हो जाता है इसलिए निर्गम के भविष्य की अनिश्चितता नहीं होता।

सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए बुक बिल्डिंग एक वैकल्पिक तरीका है। यदि जारीकर्ता बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूतियों को आबंटित करने का चयन करता है तो उसे इस संबंध में सेबी के नियमों का पालन करना चाहिए।

बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को जारी करने का प्रस्ताव करने वाले जारीकर्ता को सेबी विनियम, 2018 की अनुसूची XIII की आवश्यकताओं का पालन होगा।

बोध प्रश्न ग

1) 'मांग' से क्या तात्पर्य है ?

.....
.....
.....
.....

2) वैध मांग के तीन लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए।

.....
.....
.....
.....

3) शेयरों को ज़ब्त करने के कारण बताइए।

.....
.....
.....
.....

4) शेयरों का अभ्यर्पण कब वैध होता है ?

.....
.....
.....
.....

5) अपने शेयर क्रय करना क्या होता है ?

.....
.....
.....
.....

6) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** है अथवा **गलत**

i) कम्पनी का कोई भी निदेशक अपने आप 'मांग' कर सकता है।

ii) मांग के नोटिस में देय राशि, भुगतान की तिथि तथा भुगतान का स्थान लिखा होना चाहिए।

iii) शेयरों पर की जाने वाली मांग समान रूप से की जानी चाहिए।

iv) शेयरो की ज़ब्ती का अर्थ पूंजी में कमी करना नहीं माना जाता।

v) शेयरों की ज़ब्ती किसी भाग या किसी अन्य ऋण का भुगतान न करने के कारण की जा सकती है।

vi) ज़ब्त किए गये शेयरों को रद्द किया जा सकता है या फिर निदेशक मंडल की इच्छानुसार पुनः जारी किया जा सकता है।

vii) ज़ब्त शेयरों पर छूट पर जारी किया जा सकता है, परन्तु छूट की राशि उन शेयरों पर ज़ब्त की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

viii) शेयरों का अभ्यर्पण और शेयरों को ज़ब्त करना एक समान है।

10.18 सारांश

कम्पनी शेयरों को अंकित मूल्य के अलावा किसी और मूल्य पर भी जारी कर सकती है। जब शेयर अंकित मूल्य पर जारी किए जाते है तो उसे सम मूल्य पर जारी करना कहते है। शेयर सार्वजनिक प्रस्ताव, राइट्स इश्यू/ बोनस इश्यू या प्राइवेट पलेसमेंट द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

शेयरों का सार्वजनिक प्रस्ताव प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव हो सकतो है। शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा कम्पनी प्रतिभूतियों को प्रस्ताव, अभिदान का निमंत्रण या प्रतिभूतियों को चुने हुए व्यक्तियों के समूह को कुछ शर्तों के साथ जारी कर सकती है।

शेयरों को सम मूल्य पर या प्रीमियम पर जारी किया जा सकता हैं। केवल श्रमसाध्य शेयरों को छूट पर जारी किया जा सकता है जब कुछ शर्तें पूरी कर दी गई हों। जब शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं प्रीमियम राशि का उपयोग केवल आरम्भिक खर्चों या पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए या बोनस शेयरों के जारी करने के लिए ही किया जा सकता है।

शेयर या डिबेन्चर जारी करके धन एकत्रित करने की प्रक्रिया में शेयरों का आबंटन एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन अथवा प्रास्पेक्टस के आधार पर कम्पनी के कुछ शेयर खरीदने कें लिए आवेदन करता है और कम्पनी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके उस शेयर आबंटित कर देती है तो इससे कम्पनी और उस आवेदक के मध्य एक वैध अनुबन्ध उत्पन्न हो जाता है। जब तक न्यूनतम राशि कम्पनी को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कम्पनी को आबंटन नहीं करना चाहिए।

जब तक शेयरों के अंकित मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर आवेदन राशि प्राप्त नहीं हो जाती तथा इस प्राप्त राशि को किसी अनुसुचित बैंक में जमा नहीं कराया जाता, तब तक आबंटन नहीं किया जाना चाहिए। कम्पनी के शेयरों को किसी एक या अधिक मान्य स्टॉक एक्सजेंज में होना चाहिए।

शेयर प्रमाणपत्र, सदस्य का उन शेयरों पर स्वामित्व का प्रमाण होता है। जब किसी व्यक्ति को शेयर आबंटित किए जाते हैं तो उसे कम्पनी से शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार होता है। शेयर प्रमाणपत्र कम्पनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया जाता हे तथा इसमें सदस्य का नाम व पता, प्रमाणपत्र संख्या, शेयरों की संख्या, प्रति शेयर भुगतान की गई राशि आदि का विवरण दिया जाता है। यदि मूल शेयर प्रमाण–पत्र गुम हो जाता है अथवा नष्ट या कट–फट जाता है तो कुछ शर्तों के अधीन कम्पनी उसके बदले दूसरा शेयर प्रमाण–पत्र दे सकता है।

शेयरों की सम्पूर्ण राशि एक ही किश्त में नहीं मांगी जाती। शेयरों के आबंटन के पश्चात् कम्पनी शेयरों पर बकाया राशि एक या दो किस्तों में मांग सकती है। प्रत्येक

मांग निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके, समान रूप से कम्पनी के लाभ के लिए तथा कम्पनी के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुरूप की जानी चाहिए।

यदि कोई शेयरधारी निर्धारित समय के अन्दर मांग की राशि का भुगतान नहीं करता, तो उसके शेयरों को ज़ब्त किया जा सकता है। परन्तु शेयर ज़ब्त करने से पहले कम्पनी द्वारा शेयरधारी को उचित सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। ज़ब्ती केवल तभी वैध होती हैं जब इसके लिए निदेशक मंडल ने प्रस्ताव पारित किया हो। ज़ब्त किए गये शेयरों को पुनः जारी किया जा सकता है, इसे शेयरो का आबंटन नहीं कहते बल्कि यह तो पहले से जारी शेयरों की पुनः बिक्री है।

शेयरधारी द्वारा जब शेयर स्वेच्छा से कम्पनी को रद्द करने के लिए दिए जाते है, तो इस शेयरों का अभ्यर्पण करते हैं। शेयरों का अम्यपर्ण केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब उनकी ज़ब्ती न्यायोचित हो। धारा 67 के अनुसार कम्पनी अपने शेयर स्वयं खरीद नहीं सकती केवल कम्पनी अधिनियम की धारा 68 और SEBI की लगाई हुई शर्तों के अन्तर्गत कम्पनियां अपने ही शेयर स्वयं खरीद सकती हैं।

बुक बिल्डिंग का अर्थ एक प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से जिन प्रतिभूतियों को जारी करने का प्रस्ताव किया जाता है उनकी मांग की और जितनी मात्रा में प्रतिभूतियां जारी की जानी है उनके मूल्य की गणना की जाती है परिपत्र, विज्ञापन व अन्य दस्तावेजों द्वारा।

10.19 शब्दावली

आबंटन (Allotment): किसी व्यक्ति को उसके आवेदन करने पर निश्चित संख्या में शेयर देना।

छूट पर शेयर जारी करना (Issue of Shares at discount) : अंकित मूल्य से कम मूल्य पर शेयर जारी करना।

प्रीमियम पर शेयर जारी करना: अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर जारी करना।

शेयर प्रमाण पत्र (Share Certificate): कम्पनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी प्रमाणपत्र जिसमें किसी सदस्य द्वारा लिए गये शेयरों की संख्या व भुगतान की गई राशि लिखी जाती है।

मांग (Call) : शेयरधारी द्वारा कम्पनी को देय एक किश्त।

ज़ब्ती (Forefeiture): मांग की राशि का भुगतान न करने पर शेयरों को वापस ले लेना, इससे शेयरधारी का उन शेयर पर अधिकार छिन जाता है।

शेयरों का अभ्यर्पण (Surrender of Share): शेयरों को स्वेच्छा से कम्पनी को लौटाना।

शेयरों का वापिस क्रय: कम्पनी द्वारा अपने शेयरों को स्वयं वापस खरीदना।

बुक बिल्डिंग : एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अभिगोपक मूल्य निर्धारित करता है जिस पर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किया जाता है।

10.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

ख) 4 i) निदेशक मंडल ii) पाच प्रतिशत iii) 90 प्रतिशत iv) 30, अगले 15

5. i) गलत ii) सही iii) गलत iv) गलत v) सही vi) सही vii) सही

ग) 4 i) स्वामित्व का प्रमाण ii) एक iii) पंजीकृत शेयरधारी

5 i) गलत ii) सही iii) गलत iv) सही

घ) 6 i) गलत ii) सही iii) सही iv) सही

v) गलत vi) सही vii) सही viii) गलत

10.21 स्वपरख प्रश्न

1) प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं। शेयरों के प्राईवेट प्लेसमेंट की शर्तों की चर्चा कीजिए।

2) राइट्स शेयर और बोनस शेयरों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

3) शेयरों के आबंटन की विधि का वर्णन कीजिए।

4) आबंटन के विवरण से क्या तात्पर्य है ?

5) कोई कम्पनी किन परिस्थितियों में श्रमसाध्य शेयरों को छूट पर जारी कर सकती है?

6) शेयरों को प्रीमियम पर कब जारी किया जा सकता है ? प्रीमियम राशि का किन उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है?

7) शेयर प्रमाणपत्र क्या होता है? यह कब जारी किया जाना चाहिए ? कम्पनी क्या शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकती है, यदि हां, तो कब ?

8) 'मांग' से क्या आशय है? वैध मांग के आवश्यक लक्षण क्या है ?

9) शेयरों को ज़ब्त करने की विधि की व्याख्या कीजिए। ज़ब्ती का क्या प्रभाव होता है ? शेयरों की ज़ब्ती शेयरों के अभ्यर्पण से किस प्रकार भिन्न होती है ?

10) कम्पनी अपने शेयर कब क्रय कर सकती है ? चर्चा कीजिए।

11) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की योग्यता की चर्चा कीजिए।

12) बुक बिल्डिंग क्या है ? इसके क्या लाभ हैं ?

नोटः इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

इकाई 11 शेयरों का हस्तांतरण और पारेषण (Transfer and Transmission of Shares)

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 शेयरों के हस्तांतरण की विधि

11.3 कोरा हस्तांतरण

11.3.1 कोरे हस्तांतरण के दोष

11.4 जाली हस्तांतरण

11.4.1 जाली हस्तांतरण के परिणाम

11.5 डिपॉजिटरी प्रणाली के अंतर्गत शेयरों का हस्तांतरण

11.5.1 अभौतिकीकरण के लाभ

11.6 नामांकन

11.7 शेयरों का पारेषण

11.7.1 जब संयुक्त नामों में शेयर हों

11.7.2 सदस्य का दिवालिया होना/समापन पर

11.7.3 डिपॉजिटरी प्रणाली में शेयरों का पारेषण

11.8 हस्तांतरण एवं पारेषण में अन्तर

11.9 इनसाइडर ट्रेडिंग

11.10 व्हिसल ब्लोंइग

11.11 सारांश

11.12 शब्दावली

11.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.14 स्वपरख प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगें किः

- कम्पनी के शेयरों के स्वतंत्र हस्तांतरण की चर्चा कर सकें,
- शेयरों के हस्तांतरण की विधि के बारे में जान सकें,
- कोरे हस्तांतरण की संकल्पना का वर्णन कर सकें,
- यह जान सकें कि जाली हस्तांतरण क्या होता है और इसके परिणाम क्या हैं;
- डिपॉजिटरी पद्धति में शेयरों के हस्तांतरण की विधि का वर्णन कर सकें;
- नामांकन सुविधा के बारे में जान सकें;
- पारेषण कैसे होता है, का वर्णन कर सकें;

- हस्तांतरण और पारेषण में अन्तर जान सकें; और
- इनसाइडर ट्रेडिंग और रिहसल ब्लोईग का वर्णन कर सकें।

11.1 प्रस्तावना

आप जानते हैं कि कम्पनी की सब से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस के शेयरों का स्वतन्त्र हस्तांतरण हो सकता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार कम्पनी के शेयर चल सम्पत्ति होते हैं जो कम्पनी के अन्तर्नियमों के प्रावधनों के अनुसार हस्तांतरित किए जा सकते हैं अतः इस धारा द्वारा प्रत्येक शेयरधारी को अपने शेयर अन्तर्नियमों में दी हुई विधि तथा और कानूनों के अनुसार हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु एक निजी कम्पनी के अपने सदस्यों के शेयरों के स्वतन्त्र हस्तांतरण करने के अधिकार पर विधि द्वारा कुछ प्रतिबन्धों को लगाने का दायित्व होता है। निजी कम्पनी में हस्तांतरण पर प्रायः एक सामान्य प्रतिबन्ध "पूर्वक्रय वाक्य" (pre emption clause) होता है जिस के अनुसार इरादा रखने वाला कोई हस्तांतरक अपने शेयर वर्तमान सदस्यों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखेगा और उनके मना करने पर जो सदस्य नहीं है उन्हें दे सकता है। किसी भी अवस्था में जब कोई भी वर्तमान सदस्य, अन्तर्नियमों द्वारा निर्धारित उचित मूल्य पर शेयर क्रय करने को तैयार नहीं है तब बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

सार्वजनिक कम्पनियाँ भी सदस्यों के शेयर हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती हैं। अनुसूची एक की सारणी 'च' (F) के अनुच्छेद 20 (Regulation 20 of Table F of schedule I) कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशक बोर्ड ऐसे किसी शेयर का जो पूर्णतः प्रदत्त नहीं हैं ऐसे व्यक्ति को किया गया हस्तांतरण जिसे वह ठीक नहीं समझता है अथवा ऐसे किन्हीं शेयरों की हस्तांतरण जिन पर कम्पनी का धारणाधिकार (Lieu) है पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है। कम्पनी अनुच्छेद 21 के अनुसार और भी कुछ शर्तें कम्पनी अपने अन्तर्नियमों में, शेयर हस्तांतरण के लिए, प्रतिबंध लगा सकती हैं। बोर्ड, किसी हस्तांतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार नहीं कर सकता जब तक

(क) हस्तांतरण लिखत (Instrument of transfer) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्रारूप में है;

(ख) हस्तांतरण लिखत के साथ उन शेयरों का, जिससे वह सम्बंधित है प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्षय (endorse) है, जो हस्तांतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे, तथा

(ग) हस्तांतरण लिखत शेयरों के केवल एक वर्ग के संबंध में है

Mathrubhumi printing and publishing co. ltd vs. Vardhaman Publishers Ltd (1992) 73 comp. cas. 150(ker) में यह निर्णय दिया कि शेयरधारी का अपने शेयरों को हस्तांतरण करने का अधिकार कम्पनी के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

बोर्ड कम्पनी के शेयरों का हस्तांतरण इन्कार कर सकता है जब तक वे कम्पनी के हित में है परन्तु वे यदि अपने स्वाविवेक (discretion) का प्रयोग दुर्भावपूर्ण (mala fide) नीयत से हस्तांतरण इन्कार करने के लिए करते हैं यानी अन्यायपूर्ण या भृष्ट नियत से कार्य करते हैं तो अधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है और रजिस्ट्रेशन का आदेश दे सकता है।

समय जिस के भीतर हस्तांतरण पंजीकृत होना चाहिएः— धारा 56 के अनुसार कम्पनी हस्तांतरण की सूचना की प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर शेयर प्रमाण पत्र सुपुर्द करेगी।

क्या हस्तांतरण को कम्पनी जो आधार अन्तर्नियमों में दिए है उन के अतिरिक्त आधारों पर भी हस्तांतरण इन्कार कर सकती है?

अन्तर्नियमों के प्रावधान इस सम्बन्ध में निश्चित होने चाहिए और निश्चित आधारों पर ही बोर्ड को हस्तांतरण पंजीकरण का इन्कार करने के अधिकार दिए जाने चाहिए।

अतः अन्तर्नियमों में निदेशकों के बोर्ड को हस्तांतरण का पंजीकरण का कारण दिए बिना, इन्कार करने का अधिकार देना अवैध होगा **Hemangini Finance and Leasing (P) Ltd vs. Tamilnadu Mercnatile Bank Ltd (1996)** के केस में कम्पनी लॉ बोर्ड (अब अधिकरण) ने यह निर्णय दिया गया कि कम्पनी को हस्तांतरण मना करने का व्यापक प्राधिकार नहीं है चाहे अन्तर्नियमों में पूर्ण अधिकार दिए हों। जब अन्तर्नियमों में कोई हस्तांतरण मना करने का अधिकार नहीं दिया हो तो कम्पनी इन्कार कर ही नहीं सकती। यदि अन्तर्नियमों में कुछ प्रतिबंधित अधिकार दिए हैं तो भी केवल उन विषयों के लिए ही शक्तियों का प्रयोग हो सकेगा।

Pawan Gupta vs. Hicks Thermometers (India) Ltd 1999 में यह व्यवस्था दी गई कि हस्तांतरक ऐसे कार्य में लगा हुआ था जो कम्पनी के हितों में नहीं थे यह हस्तांतरण मना करने का कोई आधार नहीं हो सकता। और केवल इस कारण से भी कि यदि हस्तांतारण के पंजीकृत करने पर हस्तांतरिती की कुल शेयर पूंजी 25% के निकट हो जायेगी जो कम्पनी को संकट में डालेगा, इस आधार पर भी कम्पनी हस्तांतरण से इन्कार नहीं कर सकती **[Bajaj Auto LTd vs. CLB (1998)]**

11.2 शेयरों के हस्तांतरण की विधि

धारा 56 में शेयर हस्तांतरण की विधि दी हुई जो इस प्रकार हैः

(1) कोई कम्पनी प्रतिभूतियों को तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक हस्तांतरण प्रपत्र निर्धारित प्ररूप में, जो विहित किया जाए, विधिवत स्टांपित, दिनांकित और हस्तांतरित तथा हस्तांतरिती का नाम, पता और उपजीविका, यदि कोई हो, हस्तांतरक या हस्तांतरिती द्वारा कम्पनी को भेज नहीं दिया हो।

(2) हस्तांतरण प्रपत्र कम्पनी को निष्पादन की तारीख से साठ दिन के भीतर कम्पनी के पास भेज देना चाहिए।

(3) हस्तांतरण प्रपत्र, प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र के साथ या यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र विद्यमान नहीं है तो प्रतिभूतियों के आबंटन पत्र के साथ देना होगा।

परन्तु जहां हस्तांतरण प्रपत्र खो गया है या हस्तांतरण प्रपत्र विहित अवधि के भीतर भेजा नहीं गया है वह कम्पनी उस हस्तांतरण को, क्षतिपूर्ति विषयक ऐसे निबंधनों पर जो बोर्ड ठीक समझे, पंजीकृत कर सकेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 के अध्ययन से साफ है कि शेयरों के हस्तांतरण प्रपत्र पर विधिवत् रूप से स्टॉम्प होनी चाहिए और चिपकने वाली (adhesive) स्टाम्प जो लगाई है उसको काट देना चाहिए जब प्रपत्र का निष्पादन (execution) किया जाए।

यदि इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो प्रपत्र को विधिवत रूप से स्टांपित नहीं माना जाएगा चाहे चिपकने वाली स्टाम्प लगी हुई है और

उन्हें काटा (cross) भी ना गया हो इस प्रकार हस्तांतरण वैध नहीं होगा। **(Nuddea Tea Co. Ltd vs. Ashok kumar Saha) (1988)** और ऐसा ही निर्णय हुआ। **Kothari Industrial Corpn. Ltd vs Lazor Detergent (P) Ltd (1993)** के वाद में।

यदि कम्पनी के किसी कर्मचारी ने स्वयं काटा (cross) है तो वह भी हस्तांतरण प्रपत्र विधिवत् रूप से स्टांपित नहीं माना जाएगा। परन्तु कम्पनी के कर्मचारी ने निदेशकों के बोर्ड के सामने स्टाम्पों को केन्सिल किया है तो भी कम्पनी का यह तर्क हस्तांतरण को वैध नहीं बना देता। **(Subhash Chander vs. Vardhaman spg. & Gen Mills Ltd. (1993))।**

4. कम्पनी को जब तक कि विधि के किसी प्रावधान या न्यायालय, अधिकरण या उच्च प्राधिकारी के आदेश द्वारा वर्जित न हो, कम्पनी द्वारा हस्तांतरण प्रपत्र के प्राप्ति होने की तारिख से एक मास की अवधि के भीतर प्रमाण पत्र भेजना होगा।

अंशतः प्रदत्त शेयरों का हस्तांतरण (Transfer of partly paid up shares)

जहां कोई आवेदन अकेले हस्तांतरक द्वारा किया जाता है और अंशतः प्रदत्त शेयरों से सम्बंधित है उस हस्तांतरण को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कम्पनी आवेदन की सूचना, ऐसी रीति में जो विहित की जाए हस्तांरिती को नहीं देती है और हस्तांतरिती सूचना की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर हस्तांतरण के सबंध में कोई आपत्ति (objection) नहीं करता है (धारा 56(3))।

सयुंक्त सदस्यता में शेयरों का हस्तांतरण

जब शेयर दो या अधिक शेयरधारियों के सयुंक्त नाम में हों तो हस्तांतरण फार्म पर सब के हस्ताक्षर होने चाहिए, या जब किसी एक या अधिक शेयरधारियों को शेष शेयरधारियों ने प्राधिकृत किया हो तो वे हस्ताक्षर करेंगे।

अतः **Shanta G. Pommerat vs. Sakal Papers (P) Ltd (1990)** के वाद में चार व्यक्तियों को हस्तांतरक दिखाया गया और शेयर हस्तांतरण फार्म पर तीन के हस्ताक्षर थे और चौथे व्यक्ति द्वारा उस की ओर से किसी और को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। निर्णय हुआ कि शेयरों का हस्तांतरण वैध नहीं हैं।

हस्तांतरण कब पूर्ण माना जाता है ?

जब हस्तांतरण कम्पनी के रजिस्टर में पंजीकृत हो जाए तब वह पूर्ण माना जाता है और हस्तांतरिती एक शेयरधारी बन जाता है **(Mathrubhumi Printing and Publishing Co. Ltd vs. Vardhaman Publishers Ltd. (1992) । Radhey Shyam Gupta vs Kamal Oil and Allied Industries LTd (1999)** के वाद में यह तर्क दिया गया कि धारा 108 (अब 56) में दी हुई कार्य विधि का पालन किये बिना कुछ व्यक्तियों का नाम सदस्यों के रजिस्ट्रर में दर्ज कर दिया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो पक्ष यह आरोप लगाता है उस पर सबूत देने का दायित्व है।

निदेशक बोर्ड का शेयर हस्तांतरण पंजीकरण इन्कार की शक्ति

जब अंतर्नियमों द्वारा निदेशक बोर्ड को हस्तांतरण पंजीकृत मना करने की शक्ति दी जाती है तो ऐसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा होता है। बोर्ड को उस समय तक हस्तांतरण इन्कार करने का अधिकार है जब तक वह कम्पनी के हितों के लिए

ऐसा करते हैं, यदि वे इस शक्ति के प्रयोग का दुर्भावपूर्ण नियत से हस्तांतरण मना करते हैं यानि वे अन्यायपूर्ण और कपटपूर्ण भाव से इन्कार करते हैं तो अधिकरण हस्ताक्षेप कर पंजीकरण का आदेश दे सकता है। यदि किसी निजी कम्पनी के अन्तर्नियमों में यह प्रावधान है कि कोई भी शेयर बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा यदि वर्तमान कोई सदस्य उन शेयरों को उस उचित मूल्य पर क्रय करने का तैयार है जो निदेशकों ने निर्धारित किया है और बाहरी व्यक्ति को जब ही हस्तांतरण की आज्ञा दी जाएगी जब निदेशक बोर्ड को निर्धारित समय तक कोई इच्छुक सदस्य नहीं मिल जाता। निदेशकों ने उन शेयरों को क्रय करने का प्रस्ताव किया, ऐसे में बाहरी व्यक्ति के नाम शेयर पंजीकरण करने का प्रश्न नहीं उठता **Satyanarayana Rathi vs. Annamalair Textiles (P) Ltd comp cas. 386 (CLB – Chennai)।**

Pawan Gupta vs. Hicks, Thermometers (India) Ltd (1999) 21 SCL 90 (CLB – New Delhi) के केस में कम्पनी के एक सहयागी के पुत्र के नाम हस्तांतरण पंजीकरण इस आधार पर मना कर दिया गया कि एक करार के अंतर्गत तीन सहयोगियों को 'पूर्वक्रय अधिकार (premptive right) दिया गया जिस के अनुसार यदि कोई सहयोगी अपने शेयर देना चाहता है तो दूसरे सहयोगियों को इन शेयरों को लेने का अधिकार होगा। निर्णय हुआ कि यह इन्कार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

इस प्रकार, इस ही वाद में यह भी कहा गया कि यदि हस्तांतरण का पंजीकरण इस आधार पर मना किया गया है कि हस्तांतरक कम्पनी के हितों के विरूद्ध कार्य कर रहा है, यह तर्कसंगत (उचित) नहीं होगा।

पंजीकरण से इंकार करना और इंकार किए जाने के विरुद्ध अपील

1) निजी कम्पनी की दशा में

निजी कम्पनी हस्तांतरण या पारेषण का इन्कार करती है तो उसे हस्तांतरक और हस्तांरिती को कारण देते हुए, सूचना भेजनी आवश्यक है। इन्कार की सूचना एक मास के भीतर, उस तारीख से जब हस्तांतरण प्रपत्र या पारेषण की सूचना जैसी भी स्थिति हो कम्पनी को दी गई थी, भेजना अनिवार्य है धारा 58(1)। हस्तांतरिती सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर या जहाँ कम्पनी द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई है, उस तारीख से दो मास के भीतर जब हस्तांतरण प्रपत्र या पारेषण की सूचना कम्पनी को सौंपी गई थी जो भी स्थिति हो इन्कार किए जाने के विरुद्ध अधिकरण से अपील कर सकेगा।

2) सार्वजनिक कम्पनी की दशा में

एक सार्वजनिक कम्पनी का सदस्य अपनी प्रतिभूतियां या दूसरे हित स्वेच्छा से हस्तांतरित कर सकता है। परन्तु दो व्यक्तियों के बीच कोई अनुबंध या समझौता प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के बारे में है तो वह एक अनुबंध के रूप में प्रवर्तनीय होगा।

धारा 58(4) के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक कम्पनी, पर्याप्त कारण के बिना, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जब यथास्थिति, हस्तांतरण प्रपत्र या पारेषण की सूचना कम्पनी को परिदत्त की गई थी, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण रजिस्टर करने से इंकार करती है तो हस्तांतरिती, यथास्थिति, ऐसे इन्कार किए जाने के साठ दिन की अवधि के भीतर या जहां कम्पनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है वहां हस्तांतरण प्रपत्र या पारेषण की सूचना के सौंपे जाने के 90 दिन के भीतर अधिकरण से अपील कर सकेगा।

अधिकरण अपील के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय चाहे सार्वजनिक या निजी कम्पनी हो, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् या तो अपील को खारिज कर सकेगा या आदेश द्वारा :–

(क) यह आदेश दे सकेगा कि हस्तांतरण या पारेषण कम्पनी द्वारा पंजीकृत किया जायेगा और कम्पनी, आदेश प्राप्ति के दस दिन के भीतर, उस आदेश का पालन करेगी।

(ख) रजिस्टर का परिशोधन करने का आदेश देगा और कम्पनी को यह भी निर्देश देगा कि किसी व्यक्ति को हुई किसी क्षति यदि कोई हो, का भुगतान करे।

दंड

यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, जो तीन वर्ष तक की हो सकता है और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

11.3 कोरा हस्तांतरण (Blank Transfer)

जब एक शेयरधारी शेयर हस्तांतरण फार्म पर हस्ताक्षर करता है और हस्तांतरिती का नाम नहीं लिखता और शेयर प्रमाण–पत्र के साथ इसे हस्तांतरिती को दे देता है ताकि वह इन शेयर में लेन–देन कर सके, "कोरा हस्तांतरण" उसे कहते हैं।

कोरे हस्तांतरण का मुख्य लाभ यह है कि क्रेता इस पर अपना नाम लिखे बिना या हस्ताक्षर किए बिना इन शेयरों का क्रय तथा विक्रय कर सकता हैं और कोरे हस्तांतरण फार्म के साथ शेयर प्रमाण पत्र केवल सुपुर्दगी से दिये जाते हैं। क्योंकि कोरे हस्तांतरण के साथ यह सुविधा प्राप्त है इसलिए शेयरों का क्रय व विक्रय प्रायः कोरे हस्तांतरण द्वारा होता है। सरल हस्तांतरण के अतिरिक्त कोरे हस्तांतरण से स्टाम्प डयूटी की भी बचत होती है। केवल अंतिम हस्तांतरिती ही स्टाम्प डूयटी देता है जब वह शेयरों को कम्पनी के पास पंजीकरण के लिए भेजता है। अतः सब मध्यवर्ती हस्तांतरिती स्टाम्प डयूटी बचाते हैं।

केवल इसलिए कि एक कोरा हस्तांतरण प्रपत्र सुपुर्दगी द्वारा दिया जाता है इस कारण यह विनिमय साध्य प्रपत्र नहीं बन जाता है। इसलिए जो हस्तांतरिती कोरे हस्तांतरण द्वारा शेयर प्राप्त करता है उस का स्वामित्व (title) हस्तांतरक के स्वामित्व पर निर्भर करता है। इस कारण एक सद्भावना वाला हस्तांतरिती, जिस ने एक धोखेबाज व्यक्ति से कोरा हस्तांतरण प्रपत्र प्राप्त किया है, उसको उन शेयरों पर वैधानिक स्वामित्व नहीं मिलता जो प्रपत्र में दर्ज है।

कोरा हस्तांतरण, जब शेयर प्रमाण पत्र के साथ दिया जाता है उस समय हस्तांतरिती को दोनों कानूनी एवं न्यायपूर्ण (legal and equitable) अधिकार प्राप्त होते हैं। और उसको कम्पनी में हस्तांतरण पंजीकरण कराने का भी अधिकार है **(Colonial Bank vs. cady (1980))।** हस्तांतरक की मृत्यु के बाद भी हस्तांतरिती को अपने आप को एक कम्पनी के सदस्य के रूप में पंजीकरण कराने का अधिकार होता है। **(In re Bengal Silk Co. Ltd (1942))**

11.3.1 कोरे हस्तांतरण के दोष

1. **स्टाम्प ड्यूटी की हानिः** मध्यवर्ती हस्तांतरिती द्वारा स्टाम्प ड्यूटी बचाना राज्य सरकार की आय की हानि है। (स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार के अधीन है)

2. **आय कर की हानिः** कोरे हस्तांतरण से यह सुविधा है कि इस के द्वारा अनेक हस्तांतरण हो सकते हैं जब तक कोई हस्तांतरिती कम्पनी का पंजीकृत शेयरधारी बनना चाहता है। ऐसा हस्तांतरिती अपना नाम और दूसरे ब्यौरे भर कर हस्तांतरण फार्म कम्पनी में जमा कराता है। इस फार्म में प्रविष्टियों के आधार पर यह प्रकट होगा मानो अंतिम हस्तांतरिती ने पंजीकृत शेयर धारी से सीधे शेयर क्रय किए हैं। परिणामस्वरूप जिन मध्यवर्ती हस्तांतरितीयो नें शेयर लाभ कमाने के लिए शेयर क्रय किए हैं अपने लाभ को अपनी आय में नहीं दिखाते क्योंकि लेन–देनों का कहीं रिकार्ड नहीं किया जाता इस कारण यह कर के दायित्व से बचने का एक सरल रास्ता है। अतः राजकोष को हानि होती है।

11.4 जाली हस्तांतरण (Forged Transfer)

ऐसे किसी भी हस्तांतरण प्रपत्र, जिस पर हस्तांतरक के जाली हस्ताक्षर बनाए जाते हैं उसे जाली हस्तांतरण कहते हैं। जालसाजी से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जालसाजी में स्वतन्त्र सहमति नहीं होती, बल्कि सहमति ही नहीं होती। इसलिए जाली हस्तांतरण द्वारा हस्तांतरिती को शेयरों का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, चाहे यह सौदा कितना ही वास्तविक प्रतीक हो। अतः यदि हस्तांतरण जाली है और कम्पनी उसे पंजीकृत कर देती है तो वास्तविक स्वामी कम्पनी को आवेदन देकर सदस्यों के रजिस्टर का परिशोधन करवा कर अपना नाम वापस रजिस्टर में दर्ज करा सकता है।

11.4.1 जाली हस्तांतरण के परिणाम

(1) जाली हस्तांतरण व्यर्थ होता है इसलिए शेयरों का वास्तविक स्वामी अपने अधिकारों सहित शेयरधारी बना रहता है; अर्थात् लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, अधिकार शेयर, बोनस लेने का अधिकार इत्यादि – (**Barton vs. N. Staffordshire Rly (1988)**) **।**

(2) यदि कम्पनी शेयर प्रमाण पत्र हस्तांतरिती को जारी करती है और उस ने किसी मासूम क्रेता को शेयर विक्रय कर दिए हैं तो कम्पनी उस क्रेता का स्वामित्व इन्कार नहीं कर सकती क्योंकि शेयर प्रमाण पत्र इसे ऐसा करने से रोकता है। इसलिए कम्पनी यदि उसे शेयरधारी पंजीकृत नहीं करती तो उस व्यक्ति को कम्पनी हर्जाना देगी (**Balkis consolidated Co. Ltd vs Fredrick Tomkinson (1893**)

(3) यदि कम्पनी जाली हस्तांतरण के कारण कुछ हानि उठाती है तो वह हानि उस व्यक्ति से वसूल कर सकती है जिस ने हस्तांतरण प्रपत्र कम्पनी के पास भेजा था चाहे उस व्यक्ति ने सद्भावपूर्ण यह किया हो।

कोई व्यक्ति जो कम्पनी में शेयरों के हस्तांतरण का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन करता है और उसके फलस्वरूप वर्णन देता है कि हस्तांतरण प्रपत्र वास्तविक है और बाद में यदि जालसाजी निकलती है तो कम्पनी को उस व्यक्ति के स्वामित्व को इन्कार करने से रोका नहीं जा सकता चाहे उसे यह पता नहीं था कि हस्तांतरण जाली है जब उसने उसे प्रस्तुत किया था। परिणामस्वरूप, यदि कम्पनी उस व्यक्ति को शेयर प्रमाण पत्र जारी करती है जो हस्तांतरण प्रपत्र प्रस्तुत करता है और वह उस पर भरोसा करता है, कम्पनी उस का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा सकती है वह व्यक्ति कम्पनी से गलती से नाम हटाने पर हर्जाना नहीं मांग सकता (**Skeffield Corpn vs. Barclay (1905), Johnston vs. Renton (1870))**।

फिर भी जब हस्तांतरण का पंजीकरण हो जाता है तो उस हस्तांतरिती को और हस्तांतरितीयों पर प्राथमिकता मिलेगी जिस ने पहले पंजीकरण करवाया है चाहे उस ने अपना दावा किसी भी तारीख को किया हो **(Moore vs. Nath Western Bank (1891))**।

11.5 डिपॉजिटरी प्रणाली के अंतर्गत शेयरों का हस्तांतरण

डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 में शेयरों के हस्तांतरण की एक दूसरी पद्धति दी हुई है। निवेशकों को यह छूट एक सूचीबद्ध कम्पनी के स्टॉक एक्सचेंज में (भौतिक रूप) में मौजूदा शेयरों को जारी रख सकती है। या ऑफ मार्केट लेन–देन में क्रेता और विक्रेता के बीच एक भौतिक रूप से हो सकती है। इसलिए सभी शेयर 31st मार्च, 2019 के बाद भौतिक रूप में रखे अतरल (illeguid) हो जाएगें केवल पारेषण और हस्तांतरण को छोड़कर (इकनॉमिक टाइम्स 27/03/2019)।

बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकडों के अनुसार 90 प्रतिशत अब सौदे अमूर्त (अभौतिक) प्रणाली द्वारा ही होते हैं। इसलिए अर्मूत प्रणाली सरल होने के कारण यह उपयुक्त होगा यदि एक्सचेंज से व्यवहार करने के लिए एक "लाभग्रही स्वामी खाता" **(**Beneficial owner account**)** खोला जाए।

11.5.1 अभौतिकीकरण के लाभ (Benefits of Dematerialisation)

डिमेट के लाभ निम्नलिखित हैं:

- प्रतिभूतियों को रखने का एक सुविधापूर्ण और सुरक्षित तरीका;
- प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण;
- प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं;
- जोखिम जैसे गलत सुपुर्दगी, जाली प्रतिभूतियां, विलंब, चोरी आदि जो भौतिक प्रमाण पत्र में हो जाते है उन की समाप्ति;
- प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में कागज के प्रयोग में कमी;
- लेन–देन की लागत में कमी;
- एक शेयर या अनेकों शेयरों का व्यवहार करने में कोई समस्या नहीं;
- नामांकन की सुविधा;
- पता जो डिपॉजिटरी (DP) में रिकार्ड है उस के बदलने पर उन सब कम्पनियों में जिन में यांत्रिक रीति (electronic mode) प्रयोग होती है और निवेशक की उन कम्पनियों में प्रतिभूतियां हैं पंजीकरण हो जाएगा। प्रत्येक का मिलान करने की आवश्यकता नहीं होती।
- प्रतिभूतियों का पारेषण डी पी (Despository), द्वारा हो जाता है कम्पनियों से पत्र व्यवहार नहीं करना पड़ता;
- एक ही खाते में इक्विटी शेयरों में निवेश व ऋण प्रपत्र रखे जा सकते हैं।

डिपोजटरी अधिनियम 1996 के अनुसार एक या अधिक निक्षेपागार स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक निक्षेपागार को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा और ऐसी शर्तें जो विहित की जाएं पूरी करने पर कारोबार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिया जायगा। वर्तमान में दो निक्षेपागार, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार [National Securities Depository Ltd (NSDL)] और केन्द्रीय निक्षेपागार प्रतिभूति

सेवाएं (भारत) (Central Depostiroy Services (India)) Ltd. (CDSL)ने SEBI में पंजीकरण किया हुआ है। निवेशक जो इस प्रणाली में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें एक या कई सहयोगियों के पास पंजीकरण करवाना होगा, ये सहयोगी **(**participants**)** निक्षेपागार के एजेंट होते हैं। सहयोगी इस प्रकार का अभिरक्षक (custodial) एजेंट होते हैं जो बैकों, वित्तीय संस्थाओं और बड़ी दलाली निगम या फर्म की ओर से कार्य करते हैं।

जब यह प्रणाली अपनाई जाती है तो निवेशक के प्रमाण पत्र को अभौतिक (अमूर्त) कर दिया जाता है। सहयोगी की पुस्तकों मे उन का नाम 'लाभग्रही स्वामी **(**beneficial owner**)** लिख दिया जाता है और कम्पनी के रजिस्टर में निवेशक के नाम के स्थान पर निक्षेपागार का नाम प्रतिभूतियों के पंजीकृत स्वामी के रूप में लिख दिया जाता है।

निवेशक के अपने मतदान का अधिकार, और शेयरों से आर्थिक लाभ चालू रहते हैं। निवेशक को इस प्रणाली में लाभग्रही स्वामी (फायदाग्रही स्वामी) कहा जाता है।

डिपॉजिटरी प्रणाली में शेयरों की विशेष संख्या समाप्त हो जाती है। वास्तव में, प्रत्येक प्रतिभूति का एक अनूठा बारह अंक वाला वर्ण–संख्यात्मक नंबर (12 alphanumeric identification number) होता है। इसे ISIN (International Securities Identification Number) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्यांक कहते हैं, जैसे INE 383C01018। यदि इक्विटी पूर्णतः प्रदत्त शेयर, इक्विटी अंशतः प्रदत्त शेयर, विभेदक मतदान/लाभांश अधिकार वाले इक्विटी शेयर (equity with differential voting/dividend rights) एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी किए हैं तो उनका ISINs अलग–अलग होगा।

"भुगतान करने पर सुपुर्दगी" के आधार पर डिपॉजिटरी प्रणाली में स्वामित्व को स्वतः (automatic) बदल दिया जाता है। कम्पनी को डिपॉजिटरी के रिकार्ड से स्वामित्व का पूरा ब्यौरा नियमित व अनिवार्य सूचना के आधार पर मिलता रहेगा।

यदि कम्पनी को किसी व्यक्ति के शेयर अधिग्रहण को मान्यता देने पर कुछ आपति है जिस का आधार यह है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से शेयरों का अधिक मात्रा में अधिग्रहण और नियत्रण सम्बंधी प्रावधानों का उल्लघंन होता है तो कम्पनी अधिकरण को आवेदन कर सकती है कि डिपॉजिटरी के स्वामित्व सम्बंधी रिकार्ड का परिशोधन किया जाए। यदि अधिकरण के समक्ष कम्पनी का आवेदन लंबित है तो उस अवधि में हस्तांतरिती सब अधिकारों और लाभों का हकदार होगा सिवाए मतदान अधिकार के जो अधिकरण के आदेशों के अधीन होगा।

निक्षेपागार या भागीदारी की असावधानी से हुई हानि की निक्षेपागार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

यह नोट करें कि धारा 56 के प्रावधान लागू नहीं होते जहां हस्तांतरक और हस्तांरिती दोनों का निक्षेपागार के रिकार्ड में फायदाग्राही स्वामी दिखाया गया हो। **(Finolex Industries Ltd vs. Anil Ram Chand Chhabria (2000))**

बोध प्रश्न क

1) सार्वजनिक कम्पनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होते हैं – टिप्पणी कीजिए।

.....

.....

.....

2) कोरा हस्तांतारण क्या होता है ?

.....

.....

.....

3) जाली हस्तांतरण क्या है?

.....

.....

.....

4) बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत

i) कम्पनी के शेयर चल सम्पत्ति हैं जिन्हें अन्तर्नियमों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है।

ii) हस्तांतरण प्रपत्र का किसी निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य नहीं है।

iii) हस्तांतरण प्रपत्र में कोई भी प्रविष्ट करने से पहले उसे निर्धारित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

iv) हस्तांतरण प्रपत्र पर स्टाम्प आवश्यक नहीं है।

v) यदि कम्पनी शेयर का हस्तांतरण पंजीयन करने से मना कर देती है तो उसे 30 दिन के भीतर हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती को इस प्रकार की सूचना अवश्य दे दनी चाहिए।

vi) हस्तांतरिती कम्पनी का सदस्य उस समय बनता है जब हस्तांतरण प्रपत्र कम्पनी के पास प्रस्तुत किया जाता है।

vii) जाली हस्तांतरण की स्थिति मे, वास्तविक स्वामी कम्पनी को सदस्यों के रजिस्टर में पुनः अपना नाम लिखने के लिए बाध्य कर सकता है।

11.6 नामांकन (Nomination)

शेयर और डिबेचरों का नामांकन करने की अनुमति के लिए धारा 72 कहती है:

(1) किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, किसी भी समय विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकेगा, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां उसकी मृत्यु की दशा में निहित होंगी।

(2) जहां किसी कम्पनी की प्रतिभूतियां संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित की जाती हैं, वहां संयुक्त धारक एक साथ, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकेंगे, जिसमें सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में प्रतिभूतियों के सभी अधिकार निहित होंगे।

(3) वसीयत या कोई अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी नाम के होते हुए भी ऐसा नामांकन माना जायेगा। अतः नामांकन अधिभावी (overriding) है।

(4) प्रतिभूति धारक नामांकन को किसी भी समय कम्पनी की विहित रीति से बदल सकता है।

(5) जहां नामति व्यक्ति (nominee) अवयस्क है वहां नामांकन करने वाली प्रतिभूतियों के धारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अवयस्कता के दौरान नामित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में कम्पनी की प्रतिभूतियों का हकदार होने के लिए विहित रीति में किसी व्यक्ति को नियुक्त करे।

11.7 शेयरों का पारेषण (Transmission of Shares)

शेयरों का पारेषण होता है (i) जब पंजीकृत शेयरधारक की मृत्यु हो जाए, (ii)जब वह दिवालिया घोषित हो जाए (iii) जब पंजीकृत शेयरधारक कम्पनी है और उसका समापन हो जाए।

शेयरधारी की मृत्यु पर उस के शेयर कानूनी प्रतिनिधि में निहित हो जाएंगे। यदि कानूनी प्रतिनिधि कम्पनी का पंजीकृत सदस्य नहीं रहना चाहता तो वह बिना पंजीकृत हुए, शेयरों का विक्रय कर सकता है या अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अधीन वह कम्पनी का पंजीकृत सदस्य बन सकता है। इस कार्य के लिए कम्पनी को स्वामित्व का प्रमाण जैसे इच्छा पत्र (probate) या प्रबन्धाधिकार पत्र (letter of administration) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (succession certificate) की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना अनिवार्य है। कम्पनी को पारेषण इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं है यदि वैधानिक उत्तराधिकारी वसीयत, इच्छा पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जायदाद सम्बंधी सबूत प्रस्तुत करता है और अन्तर्नियम में ऐसे प्रावधान हैं। इन वैधानिक सबूत को कम्पनी के इन्कार के विरुद्ध उत्तराधिकारी न्यायालय से निषेधाज्ञा (injunction) लेकर रोक सकता है **(Anil R. Chhabria vs. Finolex Industries LTd (1999) 22 SCL 437 (CLB –Mum)।**

धारा 56(2) के अनुसार कम्पनी को किसी व्यक्ति से, जिसको ऐसे अधिकार पारेषित किए गए हैं, विधि के प्रर्वतन द्वारा प्रतिभूतियों के किसी अधिकार के पारेषण की किसी सूचना के प्राप्त होने पर रजिस्टर करने की शक्ति होगी। उपधारा (4) कहती है कि प्रत्येक कम्पनी जब तक कि विधि के किसी प्रावधान या न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा वर्जित न हो, पारेषण की सूचना की प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र प्रतिदत्त करना होगा।

किसी मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया किसी प्रतिभूति या अन्य हित का हस्तांतरण कानून प्रतिनिधि के स्वयं उस का धारक न होने के बावजूद भी उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह हस्तांतरण प्रपत्र के निष्पादन के समय उस का धारक रहा हो (उपधारा 5)।

इंकार करने के विरुद्ध अपील और दंड

ऐसे ही प्रावधान धारा 58 में दिए हैं जो उपर्युक्त हस्तांतरण के बारे में परिचर्चित किए हैं, जब एक वादी ने धारा 111 (अब धारा 56) के अतंर्गत याचिका फाइल की जिस में उसने अपनी मृत माता के शेयरों का पारेषण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मांगा था परन्तु जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रोक दिया गया। **CLB (अब अधिकरण) ने Nirvav Jhaveri vs. Mit-N-MIR (P) Ltd. (2012) 20 taxmann. com 303 (CLB – Mum)** केस मे निर्णय दिया कि याचिका खारिज की जाती है क्योंकि याचिकाकर्ता एक कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। यदि याचिकाकर्ता विधिक प्रतिनिधि नहीं है और विधिक प्रतिनिधि सदस्य बनना चाहता है तो उसे एक लिखित और हस्ताक्षरित सूचना कम्पनी को अपने निर्णय बताने के लिए भेजनी होगी। इस सूचना को "निवेदन पत्र" कहते हैं। यदि वह शेयरों का हस्तांतरण करना चाहता है तो उसे अपना निर्णय शेयरों के हस्तांतरण का निष्पादन करने के बाद बताना होगा। वे सारे नियम ऐसी सूचना और हस्तांतरण में भी लागू होंगे जो हस्तांतरण और हस्तांतरण के पंजीकरण के अधिकार पर लागू होते हैं। यदि मृतक सदस्य के पास उसकी मृत्यु की तारीख पर शेयरों के बारे में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था तो भविष्य में बोनस शेयर जारी होने पर या और शेयर जारी होने पर हर

बार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी **(Arjun Kumar Israni vs. Cipla Ltd (1999 35CLA 339 Mum)**। इस वाद में Company Law Board (अब अधिकरण) ने यह कहा कि प्रतिवादी कम्पनी का इस कारण कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय ने जारी किया उस पर कोर्ट फीस स्टाम्प कम मूल्य की लगी थी उस आधार पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को इन्कार करना गलत था।

11.7.1 जब शेयर संयुक्त नाम में हों

सारणी "च" (F) अनुच्छेद (23) के अनुसार जहां पर सदस्य सयुंक्त धारक है, सदस्य की मृत्यु पर, उत्तरजीवी (survivor or survivors) ही ऐसे व्यक्ति होगें जिन्हें शेयरों में उसके हित पर एक रखने वाले के रूप में कम्पनी द्वारा मान्यता की जायेगी।

उपनियम (ii) के अनुसार संयुक्त धारक मृतक की संपत्ति को किसी भी देयता से मुक्त नहीं किया जायेगा किसी भी शेयर के संबंध में जो संयुक्त रूप से धारी किए गए है।

11.7.2 सदस्य का दिवालिया होना/समापन पर

शेयरधारी के दिवालिया होने के परिणाम स्वरूप उस के शेयर कम्पनी समापक/शासकीय रिसीवर को हस्तांतरित हो जाते हैं और वह उन्हें क्रय कर सकता है या हस्तांतरित कर सकता है या अपने आप को सदस्य के रूप में पंजीकृत करा सकता है।

जहां कम्पनी शेयर धारक है यदि उस का समापन होता है तो कम्पनी का समापक उस के शेयर क्रय और हस्तांतरित कर सकता है।

11.7.3 डिपॉजिटरी प्रणाली में शेयरों का पारेषण

आप ने पहले अनुच्छदों में पढ़ा है कि पारेषण वह प्रणाली है जिसमें मृत शेयर धारक के शेयर उस के कानूनी उत्तराधिकारी या नामित को हस्तांतरित किए जाते हैं। डीमेट प्रणाली मे पारेषण बहुत सरल है क्योंकि सभी प्रतिभूतियों को पारेषण की औपचारिकताएं निक्षेपागार को दस्तावेज जमा कर हो जाती है जबकि भौतिक प्रतिभूतियों में कानूनी उत्तराधिकारी या नामित या जीवित संयुक्त धारक को प्रत्येक कम्पनी के साथ जिनकी प्रतिभूतियां हैं, या रजिस्ट्रार के साथ स्वतंत्र रूप से पत्राचार करना होता है।

अकेले शेयर धारक की मृत्यु की दशा में, दावेदार को एक आवेदन (जिसे पारेषण निवेदन फार्म कहते हैं) निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित निक्षेपागार को देना होगाः–

1. अकेले शेयरधारक की मृत्यु की दशा में; यदि उस ने कोई नामित नियुक्त किया है तो नामित को नोटरी से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
2. अकेले शेयरधार की मृत्यु की दशा में, यदि उस ने कोई नामित नियुक्त नहीं किया है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी/वारिस को नोटरी से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज देना होगाः

   (1) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (2) वसीयत नाम के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (copy of probated will) (3) प्रबन्धाधिकार पत्र (letter of administration)

जब निक्षेपागार इस बात पर सुनिश्चित हो जाएगा कि आवेदन वास्तविक है तो प्रतिभूतियों को दावेदार के खाते में हस्तांतरित कर देगा।

11.8 हस्तांतरण और पारेषण में अन्तर

शेयरों का हस्तांतरण हस्तांतरक का एक स्वैच्छिक कार्य है जबकि पारेषण कानून के

प्रर्वतन का परिणाम होता है। दोनों ही स्थिति में अन्तिम प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयरों का स्वामित्व सौंपना होता है।

हस्तांतरण और पारेषण में निम्नलिखित अन्तर हैंः–

हस्तांतरण	पारेषण
1. यह हस्तांतरक का स्वैच्छिक कार्य है।	1. यह कानून के प्रवर्तन का परिणाम है और केवल शेयरधारी की मृत्यु या दिवालया होने पर ही होता है।
2. हस्तांतरक और हस्तांतरिती दोनों को हस्तातरण प्रपत्र निष्पादित करना आवश्यक है।	2. इस में केवल स्वामित्व का प्रमाण देना होता है।
3. इसके निष्पादन में स्टाम्प फीस में दी जाती है।	3. कोई स्टाम्प फीस नहीं दी जाती।
4. किसी प्रतिफल के बदले शेयर हस्तांतरित होते हैं।	4. प्रतिफल के बिना शेयर कानूनी उत्तराधिकारी को पारेषित हो जाते हैं।

11.9 इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading)

इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) आमतौर पर ''वैश्वासिक कर्तव्य या भरोसे और विश्वास के अन्य संबंधों के उल्लंघन में प्रतिभूति की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, जब कंपनी की प्रतिभूति के बारे में महत्वपूर्ण, गैर सार्वजनिक, मूल्य संवेदनशील जानकारी पास हो। इसमें ऐसी जानकारी की गुप्त सूचना (tipping) या उसका दुरूपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए बोर्ड के सदस्य, ऑडिटर, आंतरिक कर्मचारी, जो कंपनी के असाधारण वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानते हैं, अपने स्वयं के द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों को ट्रेड करते हैं या परिणामों की घोषणा से पहले दूसरों को यह जानकारी देते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग (insider trading) कहलाती है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 195 में प्रतिभूतियों के इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) पर प्रतिबंध से संबंधित है। इस धारा अनुसार, कोई भी निदेशक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित कोई भी व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल नहीं हो सकता है। इस धारा का स्पष्टीकरण के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंगः

(क) (i) किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या किसी कंपनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी प्रतिभूतियों का अभिदान, खरीदने, बेचने, बेचने या अभिदान लेने, खरीदने, बेचने, लेन–देन करने की सहमति देने का एक तरीका, या तो प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में, यदि ऐसे निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी गैर–सार्वजनिक मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का कार्य या

(ii) किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गैर–सार्वजनिक मूल्य–संवेदनशील जानकारी की प्राप्ति या संचार के बारे में परामर्श देने का कार्य;

(ख) मूल्य–संवेदनशील ऐसी जानकारी 'का अर्थ किसी भी जानकारी से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी से संबंधित है और जिसके प्रकाशित

होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। कंपनी संशोधन अधिनियम (2017) की धारा 65 में कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 195 को हटा दिया गया है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को सेबी अधिनियम 1992 और नियमों 2009 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ व्यापक रूप से निपटने का अधिकार दिया गया।

कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैः

इनसाइडर (अन्दर के व्यक्तियों) द्वारा व्यापार का खुलासा

सामान्य प्रावधान

यह प्रावधानों ये आवश्यक करते हैं कि इन विनियमों में आवश्यक प्रत्येक सार्वजनिक प्रकटीकरण को ऐसे रूप में निर्दिष्ट किया जाए जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस विनियमन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले खुलासे में तत्काल रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति की ट्रेडिंग गतिविधि शामिल होगी, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ट्रेडिंग निर्णय लेता है। प्रकटीकरण में प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव का व्यापार भी शामिल होगा और इस तरह के सभी खुलासे कंपनी द्वारा पांच साल की न्यूनतम अवधि के लिए इस तरह के रूप में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

कुछ व्यक्तियों द्वारा खुलासे

(1) प्रारंभिक प्रकटीकरण (Initial disclosure)

(क) प्रत्येक प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह का सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और प्रत्येक कंपनी के निदेशक जिनकी प्रतिभूतियां किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, कंपनी के प्रतिभूतियों की उसकी शेयर पूंजी (होल्डिंग) का खुलासा इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि पर इन नियमों के प्रभावी होने के दिन के तीस के भीतर कंपनी को करेगा।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर या प्रमोटर या प्रमोटर समूह का सदस्य बनने पर कंपनी की प्रतिभूतियों का नियुक्ति की तारीख पर, खुलासा करना होगा। कंपनी में इस तरह की नियुक्ति, प्रमोटर समुह के सदस्य बनने के सात दिनों के भीतर।

(2) निरंतर प्रकटीकरण (Continual disclosure)

(क) प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, प्रत्येक कंपनी के नामित व्यक्ति और निदेशक कंपनी को इस तरह के प्रतिभूतियों की संख्या का खुलासा करेंगे या इस तरह के लेनदेन के, दो व्यापारिक दिनों के भीतर, अधिग्रहण की गयी है, या निपटायी गयी है यदि व्यापार की गयी प्रतिभूतियों का मूल्य चाहे एक लेन–देन में या लेन–देन की एक श्रृंखला में, किसी भी कैलेंडर तिमाही में दस लाख रुपये से अधिक के व्यापार मूल्य या ऐसे अन्य मूल्य के रूप में जैसा निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) प्रत्येक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे ट्रेडिंग के विवरणों को अधिसूचित करेगी, जिन पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है, व्यापार के दो दिन के भीतर या ऐसी जानकारी से अवगत होने के पर।

अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा खुलासे

3) कोई भी कंपनी जिसकी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया

जाता है, अपनी समझ से किसी अन्य जुड़े हुए व्यक्ति या जुड़े व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिभूतियों में होल्डिंग्स और ट्रेडिंग का खुलासा करने को कह सकती है ऐसे रूप में और आवृत्ति पर जैसा इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रबंध निदेशक, मध्यस्थ या विश्वासश्रित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली बनाएंगे ताकि इन नियमों में दी गई आवश्यकताओं का अनुपालन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

(2) आंतरिक नियंत्रणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले सभी कर्मचारियों को नामित कर्मचारी के रूप में पहचाना जाएगा;

(ख) सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की पहचान की जाएगी और इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी;

(ग) इन विनियमों के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने या संचारण पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे;

(घ) उन सभी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची, जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा की जाती है, उन्हें बनाए रखा जाएगा और गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या ऐसे सभी कर्मचारियों और व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा।

(च) इन नियमों के तहत निर्दिष्ट अन्य सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा;

(छ) ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक प्रक्रिया की समीक्षा ।

(3) एक सूचीबद्ध कंपनी की अंकेक्षण समिति या मध्यस्थ या विश्वासश्रित के लिए अन्य अनुरूप निकाय एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करेगी और सत्यापित करेगी कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

(4) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्रकट (leak) होने या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संदिग्ध प्रकट होने के मामले में जांच के लिए लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्माण करेगी, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट (leak) होने या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संदिग्ध प्रकट के बारे में पता होना और ऐसे प्रकट होने पर उचित पूछताछ शुरू की जाएगी और इस तरह की प्रकट, पूछताछ, पूछताछ के परिणामों के बारे में बोर्ड को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(5) सूचीबद्ध कंपनी के पास एक व्हिसल–ब्लोअर नीति होगी और वह कर्मचारियों को ऐसी नीति से अवगत कराएगी, जिससे कर्मचारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट होने के केस की रिपोर्ट कर सकें।

11.10 व्हिसल ब्लोइंग (Whistle Blowing)

व्हिसल ब्लोइंग एक ऐसा कार्य या कार्रवाई है जिसका उद्देश्य वैधानिक अधिकारियों/ सक्षम अधिकारियों का ध्यान उन कार्यों की ओर आकर्शित करना है जो गैरकानूनी हैं और जो राजस्व में हानि, कुछ व्यक्तियों को धन का लाभ, दुराचार और अन्य संबंधित अपराधों से है। भारत में व्हिसल ब्लोअर को किसी अन्य अनपेक्षित परिणामों के उत्पीड़न से बचाने के लिए व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट (2014) पारित किया गया है।

व्हिसल ब्लोअर (शिकायतकर्ता) अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण (खुलासे) कर सकते हैं। यहाँ प्रकटीकरण का अर्थ शिकायत से है जो संबंधित हैः

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध करने या करने का प्रयास।

(ii) शक्ति का विवेकपूर्ण दुरूपयोग या विवेकाधिकार का दुरूपयोग, जिसके कारण सरकार को हानि होती है या लोक सेवक को या किसी तीसरे पक्ष को गलत तरीके से लाभ प्राप्त होता है;

(iii) लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपराध करने या करने का प्रयास, लोक सेवक के विरुद्ध लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश द्वारा किया जाता है और इसमें सार्वजनिक हित का खुलासा भी शामिल है।

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण की आवश्यकता

(1) आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के होते हुए भी यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी गैर–सरकारी संगठन सहित कोई भी अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित का खुलासा कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी प्रकटीकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के रूप में माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा और प्रकटीकरण करने वाली शिकायत, सक्षम प्राधिकारी की ओर से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक प्रकटीकरण सद्भाव में किया जाएगा और प्रकटीकरण करने वाला व्यक्ति यह कहते हुए व्यक्तिगत घोषणा करेगा कि वह यथोचित विश्वास करता है कि उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी और उसमें निहित आरोप काफी हद तक सही हैं।

(4) प्रत्येक प्रकटीकरण लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश में प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया गया है और इसमें पूर्ण विवरण तथा समर्थन दस्तावेज, या अन्य सामग्रियां, यदि कोई हों, के साथ होना चाहिए।

(5) सक्षम प्राधिकारी, यदि यह उचित समझे, प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिक जानकारी या विवरण के लिए बुला सकता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि प्रकटीकरण शिकायतकर्ता या लोक सेवक जो सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करता है उसकी पहचना नहीं दर्शाता है या शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान गलत या गलत पाई जाती है।

अधिनियम की धारा (4) के तहत जनहित प्रकटीकरण प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकारीः

(क) शिकायतकर्ता या लोक सेवक से पता लगाता है कि वह व्यक्ति या लोक सेवक था जिसने खुलासा किया था या नहीं;

(ख) शिकायतकर्ता की पहचान छुपाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता स्वयं किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण के समक्ष अपनी पहचान सार्वजनिक हित का खुलासा करते हुए या अपनी शिकायत में या अन्यथा नहीं करता।

खंड 5 (2), (3), (4) और (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के तरीके से संबंधित हैं। खंड 5 (6) मामले को सार्वजनिक हित के प्रकटीकरण में उठाए जाने के बंद होने से संबंधित है और खंड 5 (7) संभावित कार्रवाइयों से संबंधित है, जब जांच रिपोर्ट में या तो शक्ति के दुरूपयोग का या दुभार्वनापूर्ण दुरुपयोग का खुलासा होता है या भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि होती है।

उपरोक्त में से यदि कुछ भी स्थापित होता है, सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक उपाय करने की सिफारिश करेगाः

(i) संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करना;

(ii) सरकार को, भ्रष्ट व्यवहार या कार्यालय के दुरुपयोग या विवेक के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के निवारण के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाना, जैसा भी मामला हो;

(iii) संबंधित कानूनों के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी या एजेंसी को सिफारिश करना हैं, यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाता है;

(iv) सुधारात्मक उपाय करने के लिए सिफारिश करना

(v) खंड (i) से; (vi) के अंतर्गत नहीं आने वाले के लिए कोई अन्य उपाय करना जो इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता हैः–

अधिनियम का खंड (8) कुछ मामलों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें पूछताछ के संचालन के दौरान प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हैं। ये मामले भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित को प्रभावित करने वाले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में प्रभावित कर सकते हैं

(a) संघ सरकार की कैबिनेट या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण हो सकता हैं;

(b) राज्य सरकार की कैबीनेट या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण में शामिल हो सकता हैं;

प्रकटीकरण (खुलासा) करने वाले व्यक्तियों का संरक्षणः इस अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति ने खुलासा किया है या जांच कराने के लिए सहायता प्रदान की है उसे किसी भी प्रकार की कार्यवाही या अन्यथा कष्ट न दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कष्ट दिया जा रहा है या वह कष्ट दिए जाने के बारे में आशंकित है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण जैसा समझे कार्यवाही कर सकता है। वह संबंधित लोक सेवक / प्राधिकारी को पीड़ित होने से बचाने या उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दे सकता है। पूछताछ में सहायता

प्रदान करने वाले गवाहों और व्यक्तियों को समान सुरक्षा भी उपलब्ध है पुलिस सुरक्षा सहित।

शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय करने पर या स्वयं न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने तक, सक्षम अधिकारी शिकायकर्ता और जाँच के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए के दस्तावेजों और सूचनाओं की पहचान को छुपाएगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध और जुर्माना। जब सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि किसी उचित कारण के बिना संबंधित संगठन या अधिकारी ने निर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या दुर्भावपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है या जानबूझकर अपूर्ण, गलत या भ्रामक या गलत रिपोर्ट दी या नष्ट कर दी है जिसका खुलासा किया जाना था या किसी भी तरह से रिपोर्ट या जानकारी किसी भी तरह से बाधित थी, वह लगाएगाः–

(क) एक जुर्माना जो रिपोर्ट जमा करने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है, यद्यपि इस तरह के जुर्माना की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां संबंधित संगठन या अधिकारी ने जानबूझकर अधूरी, गलत या भ्रामक या गलत रिपोर्ट दी है या रिकॉर्ड या जानकारी को नष्ट किया जिसका खुलासा किया जाना या करने या रिपोर्ट को जमा करने में किसी भी तरीके से बाधित किया था, जुर्माना किया जा सकता है जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

यदि शिकायतकर्ता की पहचान या तो लापरवाही या गलत तरीके से सामने आती है, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान उजागर करने वाले व्यक्ति को ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, जो पचास हजार तक का हो सकता है। झूठी और तुच्छ शिकायतों के मामले में कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दो साल तक हो सकता है और जुर्माना तीस हजार तक हो सकता है।

कुछ मामलों में विभाग के प्रमुख को दंड – (1) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के किसी भी विभाग द्वारा अपराध किया गया है, विभाग के प्रमुख को अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और वह कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा तदनुसार दंडित किया जायेगा जब तक कि वह यह साबित नहीं करता कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध के कृत्य को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किया था।

(2) उप–धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत एक अपराध सरकार के विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी अधिकारी सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या जिम्मेदार है, ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा तदानुसार कार्यवाही की जाएगी और उसके अनुसार दंडित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत व्हिसल ब्लोइंग प्रावधान

कंपनी अधिनियम 2013 एक प्रभावी कॉर्पोरेट सतर्कता प्रक्रिया के माध्यम से धोखाधड़ी उन्मूलन पर बल देता है। व्हिसल ब्लोइंग एक प्रभावी कॉर्पोरेट सतर्कता प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

कंपनी अधिनियम 2013 में व्हिसल ब्लोइंग को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया

है, लेकिन अधिनियम के विभिन्न खंड निरीक्षण, जांच और पूछताछ से संबंधित विस्तृत प्रावधानों को शामिल करते हैं, धारा 177 (9) निर्दिष्ट करती है कि सभी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियां निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करेंगी कि वे वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जैसा कि निर्धारित किया गया है। पुनः धारा 177 (10) इस तरह की प्रक्रिया का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट करती है। इस धारा के अलावा, अधिनियम की धारा 206 से 229 सुरक्षा निरीक्षण, जांच पड़ताल, जांच का एक ढांचा प्रदान करती है कंपनी के कामकाज और अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में। अधिनियम की धारा 208 इंस्पेक्टर (रजिस्ट्रार के अलावा) को कंपनी के रिकॉर्ड के माध्यम से जानने और संदेह के ऐसे मामलों में आगे की जांच की सिफारिश करने का अधिकार देती है। धारा 210 केंद्र सरकार को जांच का आदेश की शक्ति देती है और धारा 211 के तहत कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी की जांच के लिए 'गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय' (SFIO) की स्थापना की गई है। इससे पहले, अंकेक्षकों को धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कानूनी रूप से सशक्त नहीं किया गया था, वे केवल मुख्य रूप से इस तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट करने वाले थे, हालांकि, इस अधिनियम के तहत वे सरकार या उपयुक्त संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ।

SEBI (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 जो कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति को विनियम 22 के अधीन बनाना अनिवार्य बनाने है। व्हिसल ब्लोअर प्रणाली का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना होगा। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (अंकेक्षण समिति) व्हिसल ब्लोअर प्रक्रिया के कामकाज की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। उनके कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग में कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में सतर्कता प्रक्रिया की स्थापना और व्हिसल ब्लोअर नीति के बारे में रिपोर्ट होनी चाहिए।

भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार की गई व्हिसल ब्लोअर नीतियों का एक दोष यह है कि शिकायतों को कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से निपटाया जाता है और शेयरधारकों के पास शिकायत के विवरण तक पहुंच नहीं होती है।

कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के तहत अपराध एक कंपनी द्वारा किया गया है, उस समय जब अपराध हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभार था, और कंपनी के लिए कारोबार के लिए जिम्मेदार था, वह कंपनी के साथ ही अपराध का दोषी माना जाएगा तदानुसार दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस उप–धारा में निहित कुछ भी इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी दंड के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का उपयोग किया है।

(2) उप–धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, जहां इस अधिनियम के तहत एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत के साथ किया गया है, या किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की ओर से, किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसे निदेशक,

प्रबंधक, सचिव या अन्य कार्यालय को भी अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

बोध प्रश्न ख

1) नामांकन से क्या अर्थ है?

.....

.....

.....

.....

2) शेयरों का पारेषण क्या है ?

.....

.....

.....

.....

3) 'हस्तांतरण' और 'पारेषण' में तीन अन्तर बताइए।

.....

.....

.....

.....

4) इनसाइडर टैडिंग क्या है ?

.....

.....

.....

.....

5) व्हिसल ब्लोइंग से आप क्या समझते है ?

.....

.....

.....

.....

6) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलतः**

(i) नामांकन केवल एक सदस्य द्वारा ही किया जा सकता है।

(ii) नामांकन स्थिति (status) के द्वारा वसीयत या उत्तराधिकार को निरस्त कर देता है।

(iii) एक अवयस्क नामित (nominee) नियुक्त नहीं हो सकता।

(iv) नामित उन शेयरों का हस्तांतरण नहीं कर सकता, उसे उन्हें अपने नाम पंजीकृत करना होगा।

(v) पारेषण में कानूनी उत्तराधिकारी शेयरों का विक्रय कर सकता है या वह कम्पनी का सदस्य बन सकता है।

(vi) जब शेयर संयुक्त नाम में हों तो उत्तराधिकारी संयुक्तधारक कम्पनी का सदस्य बन जाता है।

11.11 सारांश

सार्वजनिक कम्पनी के शेयर स्वतन्त्रतापूर्वक अर्न्तनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित किए जा सकते हैं। शेयरो का हस्तांतरण 'हस्तांतरण के प्रपत्र' के निष्पादन द्वारा किया जाता है। जिसे "हस्तांतरण प्रपत्र विलेख" कहते हैं। कम्पनी के पास शेयर प्रमाण पत्र हस्तांतरण प्रपत्र के साथ जमा कराया जाता है। यदि सब बाते ठीक हैं तो निदेशक बोर्ड को एक प्रस्ताव पास करना होगा और हस्तांतरण का पंजीकरण हो जाएगा। यदि हस्तांतरण करने से इन्कार कर दिया गया है तो कम्पनी हस्तांतरण का आवेदन आने के एक मास के भीतर हस्तांतरक ओर हस्तांतरिती दोनों को इन्कार का नोटिस भेजेगी और साथ में इन्कार के कारण भी सूचित करेगी।

यदि हस्तांतरण जाली है और कम्पनी ने हस्तांतरण का पंजीकरण कर दिया है तो असली मालिक सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन करने के लिए आवेदन पत्र वह अपना नाम वापस लिखने के लिए देगा।

डिपॉजिटरी प्रणाली में यदि शेयर हैं तो शेयरधारी अपने निक्षेपागार को शेयर हस्तांतरण का आदेश देगा। इस डिपॉजिटरी के पास उस का खाता होता है और उसे लाभग्रही (beneficial owner) कहते हैं।

कोई भी शेयरधारी, किसी भी समय, उस रीति से जो विहित की गई हों, नामांकन कर सकता है कि उस की मृत्यु के पश्चात् कम्पनी के शेयर उस के नाम हो जाएंगे। नामांकन के अधिकार कानूनी उत्तराधिकारी (चाहे वह वसियत से या हैसियत से बना हो) से अधिक होते हैं। नामित शेयरों का विक्रय या हस्तांतरण कर सकता है या अपने को शेयरधारी पंजीकृत करवा सकता है।

कानून के प्रर्वतन द्वारा शेयर का हस्तांतरण शेयर पारेषण कहलाता है। कानूनी उत्तराधिकारी के नाम शेयर हस्तांतरित हो सकते हैं यदि वो अपने स्वत्वाधिकार का प्रमाण, जब किसी सदस्य की मृत्यु या पागलपन या दिवालया हो, दें। शेयर पारेषण पर कोई स्टाम्प फीस नहीं दी जाती और कोई प्रतिफल भी नहीं होता।

सुरक्षा और भरोसे और विश्वास के संबंधों के उल्लघंन में प्रतिभूतियो की खरीद और बिक्री इन्साइडर ट्रेड़िंग कहलाती है। सेबी अधिनियम और विनियम को व्यापक रुप से इनसाइडर ट्रेड़िग को व्यापक रुप से निपटने का अधिकार दिया गया है।

व्हिसल ब्लोइंग एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य वैधानिक अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों का ध्यान गैर कानूनी कार्यों की ओर आर्कषित करना है।

जो व्यक्ति ऐसे कार्यों की ओर ध्यान आर्कषित करता है उसे व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। व्हिसल ब्लोअर को उत्पीड़न से बचाने के लिए व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन 2014 परित किया गया है।

11.12 शब्दावली

शेयरो का हस्तांतरण : हस्तांतरण प्रपत्र को स्वेच्छा से निष्पादित कर के शेयरों के स्वामित्व को हस्तांतरित करना।

कोरा हस्तांतरण : हस्तांतरक, हस्तांतरण प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है तथा अन्य विवरण खाली छोड़ दिए जाते हैं।

जाली हस्तांतरण : ऐसा हस्तांतरण प्रपत्र जिस पर हस्तांतरक के हस्ताक्षर जाली हैं।

डिमेट : शेयरों को निक्षेपागार प्रणाली में रखना।

नामांकन : शेयरधारी यह घोषणा करता है कि उस की मृत्यु होने पर उस के शेयर अमुक व्यक्ति के नाम पारेषित होंगे।

शेयर का पारेषण : शेयरों का कानून के प्रर्वतन द्वारा हस्तांतरित करना।

इनसाइडर ट्रडिंग (भेदिया व्यापार) : सुरक्षा और भरोसे और विश्वास के अन्य संबधों के उल्लघन में प्रतिभूति की खरीद और बिक्री।

व्हिसल ब्लोइंग : ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य वैधानिक अधिकारियों /सक्षम अधिकारियों का ध्यान उन कार्यों की ओर आकर्षित करना है जो गैर कानूनी हैं।

11.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 4 (i) सही (ii) गलत (iii) गलत (iv) गलत (v) सही (vi) गलत (vii)सही

ख) 4 (i) सही (ii) सही (iii) गलत (iv) गलत (v) सही (vi) सही

11.14 स्वप्ररख प्रश्न

1. शेयर को हस्तांतरण करने की विधि का वर्णन कीजिए
2. कम्पनी कब शेयर हस्तांतरण का पंजीकृण करने से इन्कार कर सकती है?
3. कोरे अतंरण के क्या दोष हैं ?
4. कम्पनी के हस्तांतरण का पंजीकरण इन्कार करने पर हस्तांतरिती के क्या अधिकार होते हैं ?
5. डिपॉजिटरी प्रणाली में शेयरों के हस्तांतरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
6. हस्तांतरण और पारेषण के अन्तर बताइए।
7. कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतरित सदस्य द्वारा शेयरों का नामांकन करने सम्बंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
8. इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) क्या है ? यह अवैध क्यों है ?
9. व्हिसल ब्लोंइग से आप क्या समझते है ? उस व्यक्ति को क्या सुरक्षा उपलब्ध हैं जो प्रकटीकरण करते हैं ?
10. व्हिसल ब्लोइंग अधिनियम के कम्पनी और विभाग के मुख्य अधिकारियों पर लगने वाले दंडों की चर्चा कीजिए, यदि उन्हें दोषी पाया जाता है।

नोटः इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

इकाई 12 कम्पनी की सदस्यता (Memebership of a Company)

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 सदस्य एवं शेयरधारी

12.2.1 सदस्य की परिभाषा

12.2.2 सदस्य एवं शेयरधारी में अन्तर

12.2.3 सदस्य कौन बन सकता है?

12.3 सदस्य बनने की विधियां

12.4 सदस्यता की समाप्ति

12.5 सदस्यों के अधिकार

12.6 सदस्यों के दायित्व

12.7 सदस्यों का रजिस्टर

12.8 सारांश

12.9 शब्दावली

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.11 स्वपरख प्रश्न

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगें कि:

- सदस्य के अर्थ को स्पष्ट कर सकें;
- सदस्य एवं शेयरधारी में अन्तर कर सकें;
- सदस्य बनने की विधियों का वर्णन कर सकें;
- उन परिस्थितियों की व्याख्या कर सकें जिनमें कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता,
- सदस्यों के अधिकार एवं दायित्वों को सूचीबद्ध कर सकें; और
- सदस्यों के रजिस्टर को रखने से सम्बन्धित नियमों का वर्णन कर सकें।

12.1 प्रस्तावना

आप पहले पढ़ चुके है कि पंजीकृत कम्पनी का अपना पृथक निगमित अस्तित्व होता है तथा वह अपने सदस्यों से अलग होती है। 'सदस्य' तथा 'शेयरधारी' शब्दों को एक दूसरे के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। परन्तु कानून की दृष्टि में इन दोनों में बहुत ही बारीक अन्तर है। इस इकाई में आप 'सदस्य' शब्द के वास्तविक अर्थ, सदस्य बनने की विधियों, सदस्यता समाप्त होने की परिस्थितियों तथा सदस्यों के अधिकार एवं दायित्वों के सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त, आप सदस्यों के रजिस्टर को रखने से सम्बन्धित नियमों के बारे में भी पढेंगे।

12.2 सदस्य एवं शेयरधारी (Member and Shareholder)

12.2.1 सदस्य की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(55) सदस्य को इन शब्दों में परिभाषित करती है:

1) कम्पनी के सीमानियम का ऐसा अभिदाता, कम्पनी का सदस्य बनना स्वीकार किया गया समझा जाएगा और अपने रजिस्ट्रीकरण पर उसे उसके रजिस्ट्रर में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया जायेगा।

2) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो कम्पनी का सदस्य बनने के लिए लिखित करार करता है और जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट है। **Hardilla Unimers Ltd vs. Renu Jain (1985)** के वाद में निर्णय दिया गया कि जिस क्षण शेयरों का आबंटन हुआ और शेयर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हुए और सदस्यों के रजिस्टर में नाम लिखा गया हो, आबंटिती **(allottee)** शेयरधारी बन जाता है चाहे उसे शेयर मिले हों या नहीं।

3) कम्पनी के शेयरधारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में किसी हितकारी स्वामी के रूप में प्रविष्ट है।

   इस आधार पर किसी व्यक्ति को एक कम्पनी का सदस्य बनने के दो लिए पूर्व शर्तें हैं:

   (i) कम्पनी के शेयर लेने के लिए एक लिखित करार; और

   (ii) उस का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हो।

इस के अतिरिक्त कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य निक्षेपागार पद्धति द्वारा भी बन सकता है।

अतः कोई व्यक्ति कम्पनी के शेयर या तो कम्पनी के निर्माण के आरम्भ से लेने को सहमत हो या किसी भी निम्नलिखित रीति से:–

(क) इस के और या नए शेयर का अभिदान करने पर;

(ख) किसी वर्तमान सदस्य द्वारा अपने शेयर दूसरे का हस्तांतारण करने पर ;

(ग) कम्पनी द्वारा अपने शेयरों के क्रय या अर्जित करने पर (उदाहरण के लिए प्रबंध ग्रहण करने का प्रयास या वर्तमान सदस्य द्वारा "अधिकार शेयरो" का त्यजन (renuniciation of right shares));

(घ) हस्तांतारण द्वारा अधिग्रहण पर (उदाहरण के लिए किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस के कानूनी प्रतिनिधियों को शेयर पारेषण द्वारा, दिवालिया होने पर, या अधिकरण के विलयन या समामेलन करने के आदेश पर); और

(ड) परिवर्तनीय डिबेंचरों या ऋणों को परिवर्तित करने पर, ऐसे डिबेंचरो या ऋण जो जारी करते समय करार की शर्तों के अनुसार हैं।

एक अभिदाता जो कम्पनी के निर्माण के समय शेयरों को लेने पर सहमत होता है और जो व्यक्ति बाद में शेयर लेने पर सहमत होता है उनमें मूल रूप से यह अंतर है कि पहले वाला कम्पनी के निगमन के तुरन्त बाद सदस्य बन जाता है अर्थात् वह स्वतः सदस्य बन जाता है। बाद वाला, यद्यपि शेयर लेने को सहमत हो गया है, वह सदस्य जब बनेगा जब उस का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है।

12.2.2 सदस्य एवं शेयरधारी में अन्तर

सामान्य स्थिति में 'सदस्य' एवं 'शेयरधारी' शब्दों को समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है परन्तु कानूनी तौर पर दोनों में अन्तर है। एक शेयरधारी वह व्यक्ति है जो कम्पनी के शेयरों को धारण या उन का स्वामित्व रखता है जबकि सदस्य वह व्यक्ति है जिस का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा है। कुछ दशाओं में एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है परन्तु शेयरधारी नहीं या वह एक शेयरधारी है, परन्तु सदस्य नहीं है। इस दोनो में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं।

i) गारंटी द्वारा सीमित कम्पनी जिनकी शेयर–पूंजी नहीं होती है उनके सदस्य तो होते हैं परन्तु शेयरधारी नहीं होते हैं।

ii) जब कोई व्यक्ति अपने शेयर हस्तांतरित कर देता है तो वह उन शेयरों का धारक नहीं रहता परन्तु वह उस समय तक कम्पनी का सदस्य बना रहता जब तक कि उसके नाम के स्थान पर हस्तांतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं लिख दिया जाता।

iii) मृत सदस्य के वैधानिक प्रतिनिधि, उस सदस्य की मृत्यु होते ही तुरन्त शेयरधारी बन जाते हैं परन्तु जब तक उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा नहीं जाता तब तक वे सदस्य नहीं बनते।

iv) ऐसे व्यक्ति, जिसके शेयरों को जब्त कर लिया गया है या जिसने अपने शेयरों को कम्पनी को अभ्यर्पण (surrender) कर दिया है, यदि उसके सदस्य न होने की तिथि से बारह माह के भीतर कम्पनी का समापन हो जाता है तो उस व्यक्ति का नाम अंशदाताओं की सूची में शामिल किया जाता है यद्यपि जब वह कम्पनी का शेयरधारी नहीं रहा हैं।

Kedar Nath Agarwal vs. Jay Engineering Works Ltd. के मामले में निर्णय दिया गया कि कम्पनी का 'सदस्य' उसका 'शेयरधारी' तो हो सकता है, परन्तु 'शेयरधारी' कम्पनी का 'सदस्य' भी हो, यह आवश्यक नहीं।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कम्पनी के शेयरों को रखने वाला व्यक्ति शेयरधारी कहलाता है, जबकि सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो कम्पनी को निर्गमित संस्था का रूप देते हैं तथा जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होते हैं।

12.2.3 सदस्य कौन बन सकता है ?

कम्पनी अधिनियम में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कम्पनी का सदस्य कौन बन सकता है। इसमें कहीं ऐसी अयोग्यताओं का भी वर्णन नहीं किया गया है जिसके कारण किसी व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य बनने से रोका जाए। अधिनियम में केवल यही व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो लिखित रूप मे कम्पनी का सदस्य बनना स्वीकार करता है, वह उसका सदस्य बन सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि कम्पनी में शेयर खरीदने का अनुबन्ध अन्य अनुबन्ध के समान ही है। अतः केवल वही व्यक्ति कम्पनी के सदस्य बन सकते हैं जो अनुबन्ध करने में सक्षम हैं। परन्तु जहां तब सदस्य की सक्षमता का सम्बन्ध है, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के नियम लागू होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि **अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हे अनुबन्ध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, कम्पनी के सदस्य नहीं बन सकते।**

आइए, अब कुछ विशेष प्रकार के सदस्यों की स्थिति की चर्चा करते है।

i) **अवयस्क** : अनुबन्ध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अवयस्क अनुबन्ध करने के अयोग्य होता है, अतः वह कम्पनी का सदस्य नहीं बन सकता। **Palaniappa vs. Official Liquidator, Pasupathi Bank Ltd.** के मामले में एक पिता ने अपनी अवयस्क पुत्री को अवस्यक बतलाकर, उसके नाम शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया। बाद मे, कम्पनी का समापन हो गया। निर्णय दिया गया कि वह आबंटन व्यर्थ है तथा अवस्यक या उसके पिता को अंशदाता के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु यदि कम्पनी को उसकी अवयस्कता की जानकारी नहीं है और उसको शेयर आबंटित कर दिए गए हैं तो कम्पनी आबंटन को रद्द कर सकती है तथा उसके नाम को सदस्यों के रजिस्टर में से काट सकती है। अवयस्क भी अवयस्कता के दौरान कभी भी आबंटन को रद्द कर सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में कम्पनी को अवयस्क से प्राप्त राशि वापस करनी होगी। यदि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आबंटन को रद्द नहीं किया जाता तो अवस्यक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में बना रहेगा, परन्तु फिर भी अवस्यक का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता।

अवयस्क जब कभी भी वयस्क होता है, तब भी वह अपने दायित्व से इंकार कर सकता है, भले ही उसने अवयस्कता के दौरान लाभांश प्राप्त किया हो **(Sadiq Ali vs. Kishori)** परन्तु वह अपने दायित्व से उस समय इंकार नहीं कर सकता जब उसने वयस्क होने के बाद लाभांश प्राप्त किया है तथा जानबूझकर कम्पनी को विश्वास दिलाया है कि वह कम्पनी का सदस्य है **(Fazalbboy vs. The Credit Bank of India Ltd.)** अतः वह कम्पनी के अपने हित में है कि वह केवल पूर्णदत्त शेयर ही अवस्यक को आबंटित करे अन्यथा अवयस्क से शेयरों पर बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती।

अधिनियम में ऐसी कोई भी नियम नहीं है जिसके अनुसार अवयस्क को पूर्णदत्त शेयरों का हस्तांतरिती बनने से रोका जा सके। **Miss Nandita Jain vs. Bennet Coleman and Company Ltd.** के मामले में कम्पनी लॉ बोर्ड ने यह निर्णय दिया कि अपने संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले किसी अवयस्क द्वारा पूर्णदत्त शेयरों का हस्तांतरण पंजीकरण कराने के लिए किया गया अनुबन्ध वैध एवं बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि इस प्रकार होगी, "A (अवयस्क) अपने संरक्षक के द्वारा .....।"

यदि अवयस्क के नाम कुछ शेयर हस्तांतरित किए जाते हैं, तब भी हस्तांतरक (transferor) उन शेयरों पर की जाने वाली भावी 'मांगों' के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसे हस्तांतरिती की अवस्यक की जानकारी नहीं थी। यदि शेयरों का हस्तांतरण पंजीकरण करने के समय कम्पनी को हस्तांतरिती के अवयस्क होने की जानकारी है, तो कम्पनी अवयस्क के नाम शेयर हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इंकार कर सकती है। परन्तु पूर्णदत्त शेयरों का हस्तांतरण पंजीकृत किया जा सकता है।

ii) **कम्पनीः** कम्पनी, कानूनी व्यक्ति होने के कारण, अनुबन्ध करने में सक्षम है। अतः यदि कम्पनी के सीमानियम या अन्तर्नियम इस सम्बन्ध में अधिकार दें, तो एक कम्पनी किसी अन्य कम्पनी की सदस्य बन सकती है। एक नियंत्रित कम्पनी अपनी नियंत्रक कम्पनी की सदस्य नहीं बन सकती।

iii) **साझेदारी फर्म** : साझेदारी फर्म को कानून की दृष्टि में विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता अतः फर्म अपने नाम से कम्पनी के शेयर नहीं खरीद सकती।

परन्तु साझेदारी फर्म, साझेदारों के व्यक्तिगत नामों में शेयर रख सकती है और उस स्थिति में, सदस्यों के रजिस्टर में उन्हें संयुक्त शेयरधारी के रूप में शामिल किया जाता है। परन्तु अधिनियम की धारा (8) के अन्तर्गत लाइसेंस दी गई ऐसी कम्पनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, साझेदारी फर्म उनकी सदस्य बन सकती हैं। समिति दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सीमित दायित्व वाली साझेदारी विधिक व्यक्ति होती है और पृथक अस्तित्व होने के कारण कम्पनी का सदस्य बन सकती है।

iv) **संयुक्त हिन्दू परिवार** : संयुक्त हिन्दू परिवार अपने कर्ता के नाम से कम्पनी के शेयर रख सकता है। इस प्रकार 'कर्ता' को ही कम्पनी का सदस्य माना जाता है तथा 'कर्ता' का ही नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है।

V) **दिवालिया** : यदि कम्पनी का कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो गया है, उसे तब तक कम्पनी का सदस्य माना जाता है जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है। वह अपने शेयरों के लिए मतदान भी कर सकता है, परन्तु उसके शेयरों पर लाभांश सरकारी प्रतिनिधि या रिसीवर को दिया जाता है।

vi) **विदेशी व्यक्ति** : विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करके, विदेशी व्यक्ति कम्पनी का सदस्य बन सकता है। परन्तु, यदि वह बाद में विदेशी शत्रु बन जाता है तो कम्पनी के सदस्य के रूप में उसके अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं।

vii) **संयुक्त धारकः** कम्पनी के शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम से हो सकते हैं। सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में, संयुक्त शेयरधारियों को पृथक सदस्य गिना जाता है, परन्तु निजी कम्पनी की स्थिति में, अधिनियम की धारा 2(68) के प्रयोजन के लिए संयुक्त शेयरधारियों को एक सदस्य ही माना जाता है। शेयरों के संयुक्तधारी, स्वयं को जिस भी क्रम में चाहे, पंजीकृत करा सकते हैं, कम्पनी उस व्यक्ति को लाभांश का भुगतान करेगी, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दर्ज है। इस प्रकार, संयुक्त शेयरधारियों में से प्रथम शेयरधारी की दी गई सूचना को सब शेयरधारियों की दी गई सूचना माना जाता है। यह ध्यान रहे कि सयुंक्त शेयरधारी, कम्पनी को देय मांग की राशि के लिए सयुंक्त रूप से एवं पृथक–पृथक उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त शेयरधारियों के शेयरों का हस्तांतारण केवल तभी प्रभावकारी होता है जब यह उन सबके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए।

viii) **सार्वजनिक कार्यालय** : कोई भी सार्वजनिक कार्यालय जैसे आयकर विभाग, बिक्री कर विभाग इत्यादि कम्पनी के सदस्य नहीं हो सकते। अपने नाम से शेयरों का पंजीकरण नहीं करा सकते। एक पंजीकृत श्रमिक संघ या पंजीकृत सोसाइटी अपने नाम से शेयर रख सकती है।

ix) **राष्ट्रपति एवं राज्यपालः** भारतीय राष्ट्रपति व राज्यपाल सरकारी कम्पनियों में शेयर अपने नाम से पंजीकृत करा सकते हैं।

12.3 सदस्य बनने की विधियां

कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित विधियों में से किसी भी प्रकार कम्पनी का सदस्य बन सकते हैं:

1) **सीमानियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करके** : कम्पनी के

सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कम्पनी के निगमन पर स्वतः उसका सदस्य बन जाता है। उसे सदस्य कहलाने के लिए शेयरों के लिए आवेदन करने व आबंटन की आवश्यकता नहीं होती, वे अभिदान के आधार पर ही सदस्य बन जाते हैं। यदि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, जब भी उसे कम्पनी का सदस्य माना जाता है।

2) **आवेदन तथा आबंटन के द्वारा** : प्रत्येक वह व्यक्ति जो लिखित रूप से कम्पनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है तथा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है, वह भी कम्पनी का सदस्य होता है। शेयरों के लिए आवेदन, शेयर खरीदने का एक प्रस्ताव है, तथा आबंटन उस प्रस्ताव की स्वीकृति है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध अधिनियम के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के नियम लागू होते हैं। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति ने कुछ शर्तों के सहित आवेदन किया है, तो कम्पनी को उन शर्तों के अनुसार आबंटन करना चाहिए, अन्यथा आबंटिती उन शेयरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता है।

3) **शेयरों के हस्तांतरण द्वारा** : यह तो आप जानते ही हैं कि सार्वजनिक कम्पनी के शेयर स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित किए जा सकते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति खुले बाजार में शेयर खरीद सकता है तथा उन शेयरों को अपने नाम पंजीकृत करा सकता है। शेयरों का हस्तांतरण जब कम्पनी द्वारा पंजीकृत कर किया जाता है तब हस्तांतरिती कम्पनी का सदस्य बन जाता है।

4) **शेयरों के पारेषण द्वारा** : कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सदस्य बना सकता है अर्थात् पारेषण (transmission) द्वारा। किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में, मृत व्यक्ति के नाम के स्थान पर अपना नाम लिखवा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हस्तांतरण विलेख (Instrument of transfer) का होना आवश्यक नहीं है।

5) **विबंध द्वारा (By Estoppels)** : यह नियम तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपने को सदस्य बताता है या जानबूझ कर अपना नाम शेयरों के हस्तांतरण के बाद भी रजिस्टर में रहने देता है। कम्पनी के समापन के समय वह और सदस्यों की तरह दायी माना जाएगा **(Hans Raj vs. Asthama)**। परन्तु अधिनियम की धारा 2(55) मे निर्दिष्ट नियम के अनुसार, व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में सदस्य बनने की सहमति अवश्य दी जानी चाहिए, अतः केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में लिख दिया गया है, वह कम्पनी का सदस्य नहीं माना जा सकता। अतः उसे सदस्यों के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। परन्तु सदस्यों के रूप में उतरदायी है। फिर भी वह सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकता और दायित्वों से बच सकता है।

12.4 सदस्यता की समाप्ति

आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है, तो वह कम्पनी का सदस्य बन जाता है। तदनुसार, जब किसी व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में से हटा दिया जाता है तो वह कम्पनी का सदस्य नहीं रहता। किसी व्यक्ति की कम्पनी की सदस्यता निम्नलिखित किसी भी स्थिति में समाप्त समझी जाती है:

1) **शेयरों का हस्तांतरण**: यदि वह अपने शेयर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है तथा कम्पनी इस हस्तांतरण को पंजीकृत कर लेती है तक हस्तांतरक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में से काट दिया जाता है।

2) **शेयरों का पारेषण** : किसी सदस्य की मृत्यु या पागल हो जाने पर, उसके शेयर उसके कानूनी प्रतिनिधियों के नाम पारेषित हो जाते हैं।

3) **शेयरों की ज़ब्ती** : शेयरों पर मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर तथा अन्तर्नियमों में वर्णित अन्य कारणों के लिए शेयरों को जब्त किया जा सकता है। शेयरों के जब्त किए जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है।

4) **शेयरों का अभ्यर्पण** : जब कोई सदस्य वैध तरीके से अपने शेयर कम्पनी को अभ्यर्पित कर देता है, तो वह सदस्य नहीं रहता।

5) **सदस्य का दिवालियापन** : जब किसी सदस्य को दिवालिया घोषित किया जाता है तो उसके शेयर सरकारी प्रतिनिधि या रिसीवर में निहित हो जाते हैं। यह सरकारी रिसीवर इन शेयरों को बेच सकता है तथा जब हस्तांतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है तो दिवालिया व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं रहता।

6) **कम्पनी का समापनः** कम्पनी के समापन पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, परन्तु वह अंशदाता के रूप में उत्तरदायी रहता है।

7) **अनुबन्ध रद्द करने पर** : जब कोई सदस्य मिथ्यावर्णन, अथवा प्रविवरण में, गलत वर्णन करने अथवा अनियमित आबंटन आधार पर शेयर लेने के अनुबन्ध को रद्द करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

8) **ग्रहणाधिकार को प्रवर्तित करके (Enforcement of lien):** जब कम्पनी का शेयरों पर ग्रहणाधिकार होता है और उसे प्रवर्तित करने के लिए ये शेयर बेच दिए जाते हैं अथवा न्यायालय की डिक्री (decree) के निष्पादन के लिए शेयर बेच दिए जाते हैं, तब सदस्यता समाप्त हो जाती है।

9) **शेयरों का मोचन** : यदि किसी सदस्य के पास मोचनीय पूर्वाधिकार शेयर हैं, तो उन शेयरों के मोचन पर सदस्यता समाप्त हो जाती है।

10) **अधिकरण के आदेश पर** : कम्पनी अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत जब अधिकरण किसी सदस्य के शेयर खरीदने का आदेश देता है, तो उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

12.5 सदस्यों के अधिकार

कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा सदस्यों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं:

i) आवेदन करके व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर सीमानियम एवं अन्तर्नियमों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार।

ii) तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार।

iii) अन्तर्नियमों और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शेयर हस्तांतरित करने का अधिकार।

iv) सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल कराने का अधिकार।

v) पूंजी में वृद्धि किए जाने पर बढ़े हुए शेयरों को प्राप्त करने की प्राथमिकता का अधिकार।

vi) सभाओं की सूचना प्राप्त करने, उनमें उपस्थित होने, प्रॉक्सी नियुक्त करने तथा मतदान करने का अधिकार।

vii) वार्षिक साधारण सभा में निदेशकों, अंकेक्षकों आदि की नियुक्ति में भाग लेने का अधिकार।

viii) सदस्यों के रजिस्टर, डिबेन्चरधारियों के रजिस्टर तथा वार्षिक विवरणों की जाँच करने का अधिकार।

ix) सदस्यों के रजिस्टर में परिशुद्धि कराने के लिए अधिकरण को आवेदन करने का अधिकार।

x) जब निदेशक मंडल कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने में असमर्थ होते हैं, तो अधिकरण से यह सभा बुलाने के लिए आवेदन करने का अधिकार अथवा जब भी आवश्यकता हो कम्पनी की असाधारण सभा बुलाने का अधिकार।

xi) वार्षिक साधारण सभा से पहले बैलेंस शीट, लाभ हानि खाते व निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार।

xii) विशेष सूचना वाले प्रस्ताव के लिए उचित सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

xiii) साधारण सभा की कार्यवाही का विवरण प्राप्त करने का अधिकार।

xiv) कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिए अधिकरण के पास याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार।

xv) अन्याय एवं कुप्रबन्ध की स्थिति में अधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार।

xvi) कम्पनी के समापन के लिए अधिकरण में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार।

xvii) कम्पनी के समापन पर अधिशेष परसम्पत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार।

xviii) जब कोई निर्गमित निकाय के किसी कम्पनी का सदस्य होने पर उसे साधारण सभा में प्रतिनिधि को उपस्थित करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार।

xix) धारा 111 के अनुसार कम्पनी के प्रस्ताव का परिचालन करवाने का अधिकार।

xx) धारा 48 के अन्तर्गत अधिकरण को शेयरधारकों के अधिकार में फेरफार रद्द करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध आवेदन करने का अधिकार।

xvi) निदेशकों को हटाने वाले साधारण प्रस्ताव में मत देने का अधिकार।

उपर्युक्त से अपने ध्यान किया होगा कि सदस्यों के ये अधिकार कम्पनी के प्रबन्धकों को ठीक मार्ग पर चलाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अधिकारों का वे कितने प्रभावकारी ढंग से उपयोग करते है, यह एक अलग प्रश्न है।

12.6 सदस्यों के दायित्व

कम्पनी की प्रकृति पर सदस्यों का दायित्व निर्भर करता है। तद्नुसार इसका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है।

i) **असीमित कम्पनी** : ऐसी कम्पनी का प्रत्येक सदस्य, उस अवधि के दौरान जब वह कम्पनी का सदस्य था, कम्पनी द्वारा लिए गये समस्त ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है। यघपि कम्पनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है, कोई भी दावेदार /ऋणदाता सीधे सदस्य/ शेयरधारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता, इनके दायित्व साझेदारी फर्म की भांति संयुक्त व पृथक नहीं होते।

ii) **गांरटी द्वारा सीमित कम्पनी** : कम्पनी के सीमानियम के दायित्व खंड में दी गई सदस्य द्वारा गांरटी की राशि की सीमा तक वह उत्तरदायी होता है।

iii) **शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी** : अधिकांश कम्पनियां इस प्रकार की होती हैं। ऐसी कम्पनी की स्थिति में प्रत्येक सदस्य द्वारा खरीदे गये शेयरो पर अदत्त राशि तक वह उत्तरदायी होता है। यदि उसने शेयरों पर सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है, तो उसका दायित्व शून्य होगा।

आपको यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सीमानियम या अन्तर्नियमों के अन्तर्गत किसी भी सदस्य द्वारा कम्पनी को देय राशि उनके द्वारा कम्पनी को देय ऋण समझा जाता है। यदि किसी ऐसी शेयरधारी की मृत्यु हो जाती है जिसके पास अपूर्ण–दत्त शेयर थे, तब अदत्त राशि के लिए मृतक की सम्पत्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

बोध प्रश्न क

1) किसी कम्पनी के 'सदस्य' शब्द से आप क्या समझते है?

.....
.....
.....
.....

2) सदस्य और शेयरधारी में अन्तर बताइए।

.....
.....
.....
.....

3) कम्पनी का सदस्य बनने के विभन्न तरीकों की सूची बनाइए।

.....
.....
.....
.....

4) वे तीन परिस्थितियां बताइए जब कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं रहता ?

.....
.....
.....
.....

6) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** है अथवा **गलत**

i) 'सदस्य' एवं 'शेयरधारी' शब्दों का एक ही अर्थ है।

ii) अवयस्क कम्पनी का सदस्य नहीं बन सकता।

iii) विदेशी व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं बन सकता।

iv) जब किसी सदस्य के शेयर जब्त कर लिए जाते हैं तो वह सदस्य नहीं रहता।

v) पूंजी की वृद्धि किए जाने पर शेयर खरीदने में प्राथमिकता प्राप्त करने का सदस्यों को अधिकार है।

vi) प्रविवरण के भ्रामक होने के आधार पर कोई सदस्य कम्पनी से शेयर खरीदने के अनुबन्ध को रद्द नहीं कर सकता।

12.7 सदस्यों का रजिस्टर (Register of Members)

धारा 88 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सदस्यों का रजिस्टर रखेगी जिस में भारत में या उस से बाहर निवास कर रहे प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित इक्विटी और पूर्वाधिकार शेयरों के प्रत्येक वर्ग को पृथक रूप से उपदर्शित किया गया हो। प्रत्येक रजिस्टर में उस में सम्मिलित नामों की अनुक्रमणिका (index) होगी।

यदि शेयर डिपॉजिटरी विधि में रखे गए हैं, डिपॉजिटरी द्वारा रखा गया रजिस्टर तथा हिताधिकारी स्वामियों की अनुक्रमणिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समान रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा।

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 द्वारा इस सम्बन्ध में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित प्रावधान दिए हैंः–

1. **रजिस्टर में प्रविष्टि** : धारा 88 के अधीन रखे हुए रजिस्टर में प्रविष्टियां जब निदेशक बोर्ड या विधिवत् गठित समिति शेयरों का आबंटन या अंतरण की स्वीकृति दें, उस के सात दिन के भीतर करनी होगी।

2. **रजिस्टर रखने का स्थानः** कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखना होगा। साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर के इस रजिस्टर को पंजीकृत कार्यालय वाले नगर, कस्बे अथवा गांव में किसी अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है। भारत के किसी अन्य स्थान पर यह रजिस्टर जब रखा जा सकता है जब कुल सदस्यों का 1/10 भाग से अधिक, जिन का नाम रजिस्टर में है, वहां रहते हों।

3. **रजिस्टर की प्रविष्टियों में संशोधन** : बोर्ड या समिति द्वारा स्वीकृति के सात दिन के भीतर रजिस्टर में संशोधन करना होगा यदि वह संशोधन शेयरों के जब्त करने, शेयरों का क्रय द्वारा वापस लेने, श्रम साध्य इक्विटी शेयरों के निर्गमन से, शेयरों के निर्गमन से, शेयरों के पारषेण से, तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प से सम्बधित हों।

कम्पनी ने सदस्यों के रजिस्टर में जब शेयर आबंटन या किसी प्रतिभूति के हस्तांतरण के कारण कोई प्रविष्टियां की हैं तो उस की समय अनुक्रमानिणका में भी आवश्यक प्रविष्टियां की जाएगी।

जब शेयर कोई न्यासी धारण करता है तो एक घोषणा कम्पनी के पास फाइल की जाएगी जिस में

यदि शेयर न्यासी द्वारा रखें जाए तो उस का नाम और दूसरे ब्यौरे कम्पनी के पास जमा करने होंगे।

Companies (Management and Adminsitration Rules 2014) के नियम नः 9 के अनुसार नाम की जब प्रविष्टि की गयी थी उस तारिख से 30 दिन के भीतर घोषणा फाइल करनी होगी।

दंड

यदि किसी कम्पनी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों या डिबेचर धारकों या प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर नहीं रखा गया या रखने में असफल रहती है तो कम्पनी और कम्पनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो दोषी है ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, और जहां ऐसी चूक जारी रहती है वहां ऐसे और जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् जब तक चूक जारी रहती है, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा।

बोध प्रश्न ख

1) सदस्यों के रजिस्टर से क्या तात्पर्य है

.....
.....
.....
.....
.....

2) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** है अथवा **गलत** :

i) सदस्यों का रजिस्टर रखना कम्पनी की इच्छा पर निर्भर है।

ii) सदस्यों का रजिस्टर साधारण प्रस्ताव पारित कर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी और स्थान पर भी रखा जा सकता है।

iii) रजिस्टर में प्रविष्टियां जब निदेशक बोर्ड या विधिवत् गठित समिति शेयरों के आबंटन या हस्तांतरण की स्वीकृति दे उस के सात दिन के भीतर करनी होंगी।

12.8 सारांश

कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होता है, 'सदस्य' कहलाता है। सदस्य और शेयरधारी, इन दोनो शब्दों को समानार्थी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शेयरधारी, सदस्य हो तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य, शेयरधारी हो। शेयर–पूँजी के बिना वाली कम्पनियों में केवल सदस्य ही होते है।

निम्नलिखित में से किसी भी विधि से कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य बन सकता है। (i) सीमानियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर कर के। (ii) लिखित रूप में शेयर लेने के लिए सहमति देने पर, (iii) योग्यता शेयर लेने पर, (iv) विबंध द्वारा (v) हस्तांतरण या पारेषण के द्वारा।

कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों में कम्पनी का सदस्य नहीं रहता : (i) शेयर हस्तांतरित करने पर (ii) उसकी मृत्यु या पागल होने पर, (iii) शेयर जब्त होने पर (iv) शेयरों का अभ्यर्पण किए जाने पर, (v) दिवालिया घोषित होने पर, (vi) कम्पनी के समापन पर (vii) शेयर लेने पर अनुबन्ध रद्द करने पर, (viii) कम्पनी द्वारा शेयरो पर ग्रहण ाधिकार करने पर (ix) शेयरों के मोचन पर, (x) अधिकरण के आदेश पर।

प्रत्येक कम्पनी के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने सदस्यों का रजिस्टर रखना अनिवार्य है, इसमें सदस्यों के सम्बन्ध में निर्धारित सूचना दी होती है। यह रजिस्टर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाना चाहिए।

12.9 शब्दावली

सदस्य (Member): प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।

शेयरधारी (Shareholder) : वह व्यक्ति जिसके पास शेयर है या जो उनका स्वामी है।

सदस्यों का रजिस्टर (Register of Member): ऐसा रजिस्टर जिसमें सदस्यों के नाम, पत्ते तथा अन्य विवरण लिखा होता है।

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) i) सही ii) सही iii) गलत iv) सही v) सही vi) गलत

ग) i) गलत ii) गलत iii) सही

12.11 स्वपरख प्रश्न

1) सदस्यों एवं शेयरधारी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

2) कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य कब बन सकता है ? क्या अवयस्क, साझेदारी फर्म, कम्पनी का सदस्य बन सकती है?

3) क्या कोई लिखित करार के बिना कोई व्यक्ति कम्पनी का सदस्य बन सकता है?

4) कोई सदस्य कम्पनी का सदस्य कब नहीं रहता ?

5) सदस्यों के अधिकारों एवं दायित्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

6) सदस्यों के रजिस्टर पर टिप्पणी लिखिए।

नोट: इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।